सोमवार,
१४ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार १४ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्तार क्षेत्र योजना

*१२४१. **प्रो० डो० सी० शर्मा** :(क) क्या योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में विस्तार क्षेत्र योजना प्रारम्भ कर दी है ?

(ख) इन गहन कृषि क्षेत्रों में किसानों को सामान्य रूप से क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पंजाब के लिये सात राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र नियत किये गये हैं, जो कि २ अक्तूबर १९५३ को लिये जायेंगे ।

(ख) इस की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय विस्तार सेवा के संघ पुस्तिका में प्राप्य है जिस की प्रतियां पुस्तिकालय में उपलब्ध हैं ।

प्रो० डो० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि ये विस्तार क्षेत्र कहां कहां होंगे ?

श्री हाथी : इन क्षेत्रों के स्थान एवं इन के चयन का कार्य वहां की राज्य सरकार पर निर्भर है ।

प्रो० डो० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सात विस्तार क्षेत्रों पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री हाथी : प्रत्येक विस्तार क्षेत्र के लिये १० लाख रुपया नियत किया गया है । इन के बारे में विस्तृत रूप से उस पुस्तिका में लिखा है जिस का हवाला मैं ऊपर दे चुका हूं ।

श्री हेडा : क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार ने इन विस्तार क्षेत्रों के स्थान एवं स्थिति बदल दी है ?

श्री हाथी : नहीं श्रीमान् : ऐसा तो सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में हुआ है । इस प्रश्न का सम्बन्ध तो विस्तार क्षेत्रों से है । केन्द्र ने इस के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया है; और न इस बारे में ही कि वे कहां स्थापित किये जायेंगे के नाम ही पूछे गये थे ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या २ अक्तूबर को सभी विकास क्षेत्र एक साथ खोल दिये जायेंगे तथा कितने खोले जायेंगे ?

श्री हाथी : १८० प्रारम्भ हो जायेंगे ।

परियोजना मूल्यांकन

*१२४३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) परियोजना मूल्यांकन संघ का कार्य क्या है ? (२) तथा यह संघ कब बना ?

(ख) क्या यह संघ अपने कार्य का सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ?

(ग) यदि हां, तो क्या वे छपते हैं ?

(घ) सरकार के कौन प्राधिकारी इन प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) (१) इस संघ के मुख्य कार्यों में सामुदायिक योजनाओं के कार्य की निरन्तर देख भाल तथा गहन विकास सम्बन्धी योजनाओं की देख भाल द्वारा सभी को उन की प्रगति से अवगत कराना और ऐसे सफल उपायों से अवगत कराना है जिन का लाभप्रद प्रयोग किया जा सके ।

(२) संचालक ने १ अक्तूबर १९५२ को कार्यभार संभाला । संघ के बहुत से कर्मचारियों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हो जाने के पश्चात् अप्रैल १९५३ से कार्य करना प्रारम्भ किया । उचित प्रशिक्षा के उपरान्त मई १९५३ के आरम्भ से इस संघ का कार्य प्रारम्भ हुआ है ।

(ख) सामुदायिक योजनाओं के तैयार हो जाने के उपरान्त उन के विशेष अंगों के कार्य की जांच के आधार पर यह संघ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । अपने कार्य के वार्षिक प्रतिवेदन भी यह संघ प्रस्तुत करेगा ।

(ग) ये प्रतिवेदन योजना आयोग को प्रस्तुत किये जायेंगे जो कि इन के छपवाने के सम्बन्ध में आदेश देगा ।

(घ) योजना आयोग जो कि सामुदायिक परियोजनाओं की केन्द्रीय समिति है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कार्य संचालन का ढंग तै हो गया है ?

श्री हाथी : हां ये पदाधिकारी किस प्रकार कार्य करेंगे यह तो निश्चित हो गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस संघटन में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

श्री हाथी : निम्न व्यक्ति हैं :— संचालक, उपसंचालक तथा, परियोजना मूल्यांकन पदाधिकारी हैं जो कि प्रत्येक परियोजना पर रहेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सामुदायिक परियोजनाओं के प्रतिवेदन सीधे मंत्रालय को आयेंगे अथवा इस संघ के द्वारा ?

श्री हाथी : वस्तुतः यह योजना आयोग की एक शाखा है । प्रतिवेदन इस संघ के पास आयेंगे जो पश्चात् संघ द्वारा योजना आयोग को भेजे जायेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति भी इस संघ से सम्बन्धित है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई विदेशी विशेषज्ञ इस संघ से सम्बन्धित है ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं प्रश्न (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में जान सकती हूं कि क्या योजना आयोग सरकार के दैनिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार का तो यहां कोई प्रश्न नहीं है । यह संघ तो परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये है । भला इस में सरकार कैसे आई ?

कुमारी एनी मस्करीन : प्रश्न घ का उत्तर ? . . . :

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के कौन प्राधिकारी इन प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं ?

श्री हाथी : योजना आयोग सामुदायिक परियोजना प्रशासन के लिये केन्द्रीय समिति है। और इसी नाते यह प्रतिवेदनों पर विचार करती है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह परियोजना मूल्यांकन संघ एक स्वतंत्र संघ है अथवा यह केन्द्रीय योजना आयोग के अधीन रहेगा ?

श्री हाथी : सामुदायिक परियोजना प्रशासन के लिये यह स्वतन्त्र है, किन्तु वास्तव में योजना आयोग के अन्तर्गत यह एक शाखा है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस संघ के प्रतिवेदनों को छापने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री हाथी : यह तो पहले ही बता चुका हूं, कि वे छापे जायेंगे ।

प्याजों का निर्यात

*१२४४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री लंका की सरकार ने भारत से प्याज के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से भारत में प्याज के उत्पादन एवं मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). श्रीलंका की सरकार ने मार्च १९५३ से प्याज़ों के आयात के सम्बन्ध में एक निर्बन्धात्मक आयात नीति अपनाई है । सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी निराशाजनक रिपोर्ट नहीं है कि श्रीलंका सरकार की इस नीति से भारत में प्याजों के उत्पादन या इन के मूल्यों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है ।

श्री संगण्णा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में प्याजों का निर्यात होता है, तथा उन के बदले में हमें कितना धन प्राप्त होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास निर्यात के आंकड़े हैं किन्तु मूल्य के आंकड़े नहीं हैं । निर्यात के आंकड़े नीचे दे रहा हूं ।

१९५१	५८,६५० टन
१९५२	३५,१०० टन
जनवरी से जुलाई, १९५३	१४,५०० टन

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि जब से श्रीलंका सरकार का इस प्रकार का रवैया रहा है तब से, विशेषतया दक्षिण भारत में प्याज का उत्पादन घट चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बताये गये आंकड़ों में इस प्रकार की कोई भी घटोतरी दिखाई नहीं देती ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के पास निर्यात के लिये निर्धारित अभ्यंश से अधिक प्याज पड़े हुए थे, और केन्द्रीय सरकार ने प्याजों की इस अतिरिक्त मात्रा को निर्यात किये जाने की कोई आज्ञा नहीं दी थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किन को निर्यात किये जाने दी ?

डा० एम० एम० दास : बर्मा को ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो श्रीलंका की बात हो रही है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश के किस भाग से श्री

लंका को अधिक मात्रा में प्याज निर्यात किये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मद्रास, बम्बई तथा सौराष्ट्र से ।

श्री हेडा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि श्रीलंका सरकार ने प्याज तथा मिर्च, आदि जैसी कई अन्य वस्तूओं के प्रबन्ध में समय समय पर, निर्बन्धन कम कर दिये हैं और इस लिय देशों के बीच का व्यापार या आयात निर्यात सम्बन्ध.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर तर्क ही क्यों किया जाय ?

श्री हेडा : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार दीर्घकालीन दृष्टिकोण से श्रीलंका सरकार के साथ इस विषय में बात चीत करने पर विचार कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लंका सरकार के साथ कोई भी करार ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: दीर्घकालीन करार ।

श्री हेडा : दीर्घ कालीन करार ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, श्रीलंका में प्याज़ों का आयात इसी बात पर निर्भर करता है कि वहां का स्थानीय उत्पादन कितना है । इधर पिछले दिनों में उन का स्थानीय उत्पादन किसी हद तक ठीक रहा है। उन्हों ने आयात पर कई निर्बन्धन लगाये हैं, और अपने उन निर्बन्धनों को वहां लागू करने के लिये उन्हों ने प्याज के व्यापारियों को वहां के स्थानीय प्याज की एक विशेष मात्रा खरीदने के लिये विवश किया है, और खप जाने वाली मात्रा का शेष पूरा कराने के लिये ही वहां की सरकार उन्हें आयात की अनुज्ञप्तियां दिया करती है। यह मामला तो शुद्ध रूप में श्री लंका सरकार का है और वहां के स्थानीय उत्पादन और घटोतरी के अनुसार ही वह आयात को घटाया बढ़ाया करती है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी: क्या सरकार ने इस बात की तसल्ली की है कि यह प्रतिबन्ध उन की अपनी आत्म-निर्भरता के परिणाम-स्वरूप लगाये गये हैं या उन्हों ने इस में किसी प्रकार का विभेद किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह बात कही ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार किसी पड़ौसी देश की सरकार द्वारा दिये गये किसी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय प्याजों के आयात पर श्रीलंका के स्थानीय उत्पादन की आत्मनिर्भरता के परिणामस्वरूप ये निर्बन्धन लगाये गये अथवा इसलिये कि उन्हों ने अन्य देशों से सस्ती दरों पर प्याज प्राप्त कर लिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस बात की यही जानकारी है कि जफ्फना में प्याज की अच्छी फसल हुई है ।

आजाद हिन्द सेना के कर्मचारीवर्ग का स्वदेश लौटाया जाना

*१२४५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महायुद्ध के बाद आजाद हिन्द सेना के कितने व्यक्ति जर्मनी से वापिस भारत को भेजे गये ?

(ख) क्या इन व्यक्तियों को सरकारी खर्चे पर भारत भेजा गया था ?

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार इन से वह धनराशि वापिस ले रही है जो इन पर खर्ची गई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) बाईस ।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि इन व्यक्तियों से यह चीज लिखत में ली गई थी कि इन्हें वापिसी पर का व्यय लौटाना पड़ेगा जब यह वापिस भेजे जायेंगे, इसलिये इन रकमों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। केवल कई व्यक्तियों से खर्चा वापिस लिया गया। हां, इस प्रकार का निश्चय किया गया कि जो व्यक्ति खर्चा वापिस नहीं कर सकते उन से उस की वसूली नहीं की जाय। और अब इस प्रकार का निश्चय किया गया है कि आजाद हिन्द सेना के कर्मचारी-वर्ग को स्वदेश लौटाने पर जो भी खर्चा हुआ था, उस की बकाया राशि की वसूली को रद्द किया जाय।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी राशि वस्तुतः व्यय की गई थी और अब तक कितनी वसूल की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् मुझे खेद है कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे वेतन तथा अन्य आर्थिक उपलब्धियां, जो उन नियमित सेवा कर्मचारियों को मिलनी थीं जो जमनी में आजाद हिन्द सेना में भर्ती हो गये थे, और जिन का देना ब्रिटिश सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया था, उन को दे दी गई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि आजाद हिन्द सेना के तथा ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जो सेना में नहीं थे, और जो उस में भर्ती हो गये थे कुछ भ्रांति है। मुझे नहीं पता। आजाद हिन्द सेना मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में थी। जमनी में अधिकांश पुनः स्वदेश लौटाये गये व्यक्ति असैनिक थे। सेना के कोई व्यक्ति नहीं थे और जहां तक मुझे मालूम है, वेतन आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हूं। सेना का एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन हो सकता है कि जर्मनी द्वारा बन्दी किये गये कुछ व्यक्ति आजाद हिन्द सेना में भर्ती हुये हों। यह संभव है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं उन के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन का मामला नियमित आजादहिन्द सेना के लोगों के उस मामले से सर्वथा भिन्न है जो सदन के सामने आया था। जर्मनी में ऐसे सभी प्रकार के लोग थे जो पुनः स्वदेश लौटाये गये थे और जिन्हें बड़ी कठिनाइयां हुई थीं और जो बाद में विराम सन्धि के बाद कुछ दिनों कारावास शिविरों में रहे थे।

श्री टी० के० चौधरी : उन नियमित सेवा कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो आजाद हिन्द सेना में भर्ती हो गये थे क्या प्रबन्ध रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य दक्षिण पूर्व एशिया की आजाद हिन्द सेना की ओर निर्देश कर रहे हैं या जर्मनी की ?

श्री टी० के० चौधरी: जर्मनी या दक्षिण पूर्व एशिया में।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस से पैदा होता है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या और कुछ व्यक्ति स्वदेश लौटाये जाने को बाकी हैं, और यदि ऐसा है तो कितने और किन देशों से ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा कोई नहीं है। कदाचित, अधिक से अधिक एक या दो ऐसे हों जो आने से इन्कार करते हों। कुछ ऐसे व्यक्तियों के मामले थे जिन्हों ने आने से इन्कार किया था।

कपड़ा नियंत्रण आदेश

*१२४६. **श्री एस० जी० पारिख** : (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि धोतियों के उत्पादन सम्बन्धी कपड़ा नियंत्रणआदेश का उल्लंघन करने वाली कितनी मिलों का पता चला है ?

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी मिलों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं या चलाये जाने वाले हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) फरवरी, मई, १९५३ का काल--- १४९

(ख) राज्य सरकारों को ऐसी ४५ मिलों के संबंध में अनुदेश भेजे गये हैं जिन के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये जा सकते हैं । अन्य मिलों के मामले में अतिरिक्त उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं था और उन्हें आगे के महीनों में उत्पादन कम करने का निदेश दिया गया है ताकि वह कोटा के अन्दर फिर से ठीक बैठ जाये ।

श्री एस० जी० सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बंगाल सरकार ने भारत सरकार के मुकदमे चलाने के लिये बार बार दिये जाने वाले अनुदेशों के होते हुए भी धोतियों के उत्पादन सम्बन्धी कपड़ा नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाली अपराधी मिलों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाने से इन्कार कर दिया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं श्रीमान् । किसी भी सरकार द्वारा मुकदमे चलाने से इन्कार करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ४५ मिलों के मामले में जिन के विरुद्ध मुकदमे चलाने का आदेश दे दिया गया है अधिक उत्पादन कितना था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह उस अधिक कपड़े की मात्रा जानना चाहते हैं जिस के लिये इन ४५ मिलों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जाने का निदेश दिया गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ४५ मिलों के संबंध में ९ मास के काल के लिये अधिक मात्रा बताना कठिन है । अधिक उत्पादन प्रत्येक मिल में भिन्न भिन्न है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं कि इस आदेश का उल्लंघन करने के लिये बंगाल में कितनी मिलों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे पता है कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि मिलों पर इस बन्धन के लगाये जाने से मद्रास के हाथ करघा बुनकरों को किसी प्रकार सहायता नहीं मिली है ; इसके विपरीत इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों में धोतियों के मूल्य बढ़ गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान जहां तक प्रश्न के बाद वाले भाग का सम्बन्ध है वह सत्य है । पहले वाले भाग के सम्बन्ध मुझे से ऐसा विचार प्रकट करने के लिये कहा गया है जो मैं नहीं कहूंगा ।

श्री पी० सी० बोस : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बन्धन से काम पर लगाये गये मजदूरों की संख्या पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने समस्या के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है ।

श्री एस० जी० पारिख : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि अनुदेशों के होते हुए भी बंगाल की मिलें अधिक धोतियां उत्पादित कर रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये मुकदमे चलाये जाने का आदेश दिया गया है ।

श्री एस० जी० पारिख : अनुदेशों के होते हुए भी वे अधिक धोतियां उत्पादित कर रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: तो उन पर मुकदमा चलाया जायेगा ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस नीति को चालू रखने अथवा समाप्त करने के विचार से इस प्रयोग का मूल्यांकन करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह एक निरन्तर क्रिया है ।

महात्मा गांधी की समाधि

*१२४७. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या महात्मा गांधी की समाधि का प्रस्तावित नमूना जैसा कि लोक-निर्माण विभाग के फीरोज़-शाह रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रदर्शित किया गया था, स्वीकार कर लिया गया है ?

(ख) क्या सरकार ने कलाकारों को नमूने प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया था या विज्ञापन निकाले थे ?

(ग) क्या सरकार का समाधि के निर्माण के लिये कोई समिति बनाने का विचार है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) इस नमूने को महात्मा गांधी स्मारक नमूना समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा इसकी अन्तिम स्वीकृति पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) नियामत रूप से कोई विज्ञापन नहीं निकाले गये थे, परन्तु नमूने के बारे में कलाकारों तथा वास्तु-कारों को सामान्य रूप से आमन्त्रित किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : पी० डब्ल्यू० डी० आफिस में कई तरह के नमूने रखे हैं उन में से कौन सा स्वीकार किया गया है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : उन में से एक नमूना स्वीकार किया गया है तथा उस के चित्रों को समाचारपत्रों में दिया जा चुका है ।

श्री रघुनाथ सिंह : उस में तीन डिज़ाइन हैं । उन में से उत्तर वाला स्वीकार किया गया है या दक्षिण वाला या बीच वाला ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्वेत रंग वाला नमूना जिस का आधार लाल पत्थर का बना है, स्वीकार किया गया है ।

श्री दाभी : अनुमोदित नमूने के बनाने वाले का नाम क्या है तथा समाधि पर कितने व्यय के आने का अनुमान है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, नमूने को बहुत विचार के बाद अनुमोदित किया गया है तथा इस के अन्तिम रूप को तैयार करने में बहुत से व्यक्तियों ने भाग लिया है तथा किसी विशेष कलाकार या वास्तु-कार के नाम का बतलाना कठिन है । अनुमानित व्यय १६ लाख रुपये हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : यह जो माडल तैयार किये गये हैं, उन में कितना खर्च हुआ है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान् मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है । फिर भी यह खर्च कोई बहुत अधिक नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि निर्माण के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मैं पहले से कह चुका हूं कि नमूने को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना अभी शेष है। स्वीकृति होते ही निर्माण आरम्भ हो जायेगा तथा बाद में उस पर लगभग डेढ़ वर्ष लग जायेगा।

सामाजिक शिक्षा व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्र

* १२४८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह एक तथ्य है कि सामाजिक शिक्षा व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालकों का एक सम्मेलन हाल में दिल्ली में हुआ था ?

(ख) यदि ऐसा है तो सम्मेलन का प्रयोजन क्या था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन को सामाजिक शिक्षा के व्यवस्थापकों सम्बन्धी विभिन्न मामलों तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम में सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम से महत्वपूर्ण काम लेने के अभिप्राय से विभिन्न उपायों तथा साधनों पर विचार करने के लिये किया गया था।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त सम्मेलन में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था ?

श्री हाथी : जी नहीं।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि सम्मेलन में कौन कौन से प्रतिनिधि आये थे ?

श्री हाथी : इस में सामाजिक शिक्षा व्यवस्थापक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालक, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा सामूहिक विकास प्रशासन आदि के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि केन्द्र अपने काम को कब तक आरम्भ कर देंगे ?

श्री हाथी : श्रीमान्, वे तो पहले से ही अपना काम कर रहे हैं।

धोतियां और साड़ियां

*१२४९. **श्री झूलन सिन्हा** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों द्वारा धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर कब से प्रतिबन्ध लगा हुआ है ; तथा

(ख) उस विशेषज्ञ समिति ने जो इस बात का अन्तिम निर्णय करने के लिए नियुक्त की गई थी हाथकर्घा उद्योग को कितना प्रोत्साहन दिया जाये रिपोर्ट तय्यार करने में कितनी प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) साड़ियों के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। मिलों द्वारा धोतियों के उत्पादन पर जनवरी, १९५३ से प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

(ख) अनुमान है कि निर्देश नवम्बर, १९५२ में नियुक्त की गई कपड़ा जांच समिति की ओर है। यदि ऐसा ही है, तो आशा है कि समिति १९५३ के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या धोतियों पर प्रतिबन्ध की अवधि में और साड़ियों पर सीमित प्रतिबन्ध की अवधि में, इस देश के उपभोक्ताओं ने धोतियों और साड़ियों

की कमी को या इन के मूल्यों में वृद्धि को अनुभव किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक कुछ प्रकार की साड़ियों पर प्रतिबन्ध का सम्बन्ध है, यह प्रतिबन्ध पुराना है और दो या तीन वर्ष से लगा हुआ है । जहां तक धोतियों के मूल्यों का सम्बन्ध है, मालूम हुआ है कि देश के कई भागों अर्थात उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मूल्य बढ़ गये हैं । अन्य क्षेत्रों में भी बढ़िया प्रकार की धोतियों के मूल्य बढ़ गये हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि उस अवधि में जब तक कि कपड़ा जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती क्या सरकार का प्रतिबन्ध को जारी रखने या सीमित करने या किसी प्रकार से बढ़ाने का विचार है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय में सरकार की नीति परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जायेगी । मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हेंडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के भिन्न भिन्न भागों म इस नीति का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ रहा है, क्या सरकार का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थित मिलों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न पग उठाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । केन्द्रीय सरकार भारत के विभिन्न राज्यों में विभेद नहीं कर सकती और न ही भिन्न भिन्न मिलों को भिन्न भिन्न आदेश दे सकती है । मुख्यतया यह राज्य सरकारों का काम है, जिन्हें हम उन अधिकारों के अन्तर्गत जो कि संविधान के अनुसार हम में निहित है, ऐसा करने की आज्ञा दे सकते हैं । उदाहरणतया बंगाल सरकार ने कुछ समय के लिये बंगाल से धोतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहा है और हम ने उसे आज्ञा दे दी है । इन प्रश्नों का हल समस्याओं के उत्पन्न होने पर ही किया जाता है । हम इस प्रकार के सब प्रश्नों का सामान्य उत्तर नहीं दे सकते ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, भाग (क) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, मैं जान सकती हूं कि इस आदेश का उल्लंघन करके जो अतिरिक्त उत्पादन किया गया है, उस का कुल मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक पहले प्रश्न में पूछा गया था । धोतियों का कुल उत्पादन अब भी उस अभ्यंश से कम है, जो कि हम ने निश्चित किया है । निश्चित अभ्यंश लगभग ३०,००० गांठ है और उत्पादन ३०,००० गांठ से कुछ कम है । यद्यपि कहीं कहीं एक दो मिलों ने आदेश का उल्लंघन किया है ; फिर भी उत्पादन को ३०,००० गांठ तक सीमित करके प्रतिबन्ध का उद्देश्य पूरा कर लिया गया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि मिलों ने धोतियों की लम्बाई उतनी रख कर किन्तु चौड़ाई बढ़ा कर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध आदेश को प्रभावोत्पादक रूप से टाल दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि चौड़ाई बढ़ा देने से प्रतिबन्ध कैसे टाला जा सकता है । संभवत: यह उन लोगों की, जो इन धोतियों का उपयोग करते हैं लम्बाई पर निर्भर है जो कि अब संभवत: बढ़ गई है ।

खाद्य तेल

*१२५२. **श्री हेडा :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की इस सिफारिश पर कि खाद्य तेलों के पेरने का काम ग्राम घानियों के लिए सुरक्षित किया जाये, कोई निर्णय किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हेडा : सरकार को इस सिफारिश या संकल्प पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक पहले अवसर पर इस प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में, मैं ने कहा है कि मिलों को खाद्य तेल पेरने से रोकने और इस काम को ग्राम घानियों को देने का प्रश्न ऐसा है जिसका सम्बन्ध मुख्यतया राज्य सरकारों से है । उन मिलों के मामले में, जो कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है हम उन्हें पेरने से रोक सकते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि ग्राम घानियां यह काम शुरू कर सकेंगी । इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है । कोई विशेष तिथि निश्चित करने के लिए मुझे बाधित करने से कोई लाभ न होगा । यह तिथि अगले वर्ष में या अगले दो या पांच वर्षों में या इस से पहले हो सकती है ।

जम्मू तथा काश्मीर के विस्थापित व्यक्ति

*१२५३. **डा० राम सुभग सिंह :** **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आये हुए उन विस्थापितों की संख्या क्या है जिन्हें भारत काश्मीर संयुक्त पुनर्वास बोर्ड के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब तक बसा दिया गया है ; तथा

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के उस भाग के कितने और विस्थापितों को अभी बसाया जाना बाकी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३०,३००.

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : गत वर्ष योल सेन्ट्रल केम्प से जिन शरणार्थियों को लाया गया था क्या उन्हें बसाने का काम पूरा हो गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सत्य है कि कुछ मामलों में शत्रु-अधिकृत क्षेत्र से आये हुए इन विस्थापितों को प्रति परिवार एक एकड़ या अधिक से अधिक दो एकड़ भूमि दी गई है जब कि इससे पहले बसने वालों को प्रति परिवार दस एकड़ भूमि दी गई थी ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को पता है कि उस क्षेत्र से आने वाले बहुत से लोगों को अहमदाबाद जैसे दूर स्थानों को भेज दिया गया है और उन्हें पुनर्संस्थापन के लिये कोई ऋण नहीं मिला है ।

श्री जे० के० भोंसले : हम राज्य सरकारों को पहले ही पेशगी रुपया दे चुके हैं । लोगों को रुपया मिलने में कुछ समय लग सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : निश्क्रांत व्यक्ति वहां कुछ ज़मीनें छोड़ आये हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह सत्य है कि इन शरणार्थियों को कोई निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं दी गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या जो शरणार्थी यहां आ चुके हैं उन्हें अभी नहीं गिना गया है या अभी कहीं पंजीबद्ध नहीं किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : वे इतने फैले हुए हैं कि इतने थोड़े समय में कोई सूचना इकट्ठी करना बड़ी कठिन है ।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित दच्चे

*१२५४. **डा० राम सुभग सिंह :** **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिये तीन वर्ष के लिये और ज़िम्मेदारी ले ली है ;

(ख) स्कूल में पढ़ने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन बच्चों की संख्या क्या है जिनकी शिक्षा की ज़िम्मेदारी भारत सरकार ने वर्ष १९५३-५४ में ली है ; तथा

(ग) इसमें कुल कितना खर्चा होगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां । १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक परन्तु हर वर्ष इसमें कमी होती जायेगी ।

(ख) बच्चों की संख्या पता नहीं । यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है कि उनको निर्धारित की गई राशि के अन्दर जितने अधिक बच्चों को वित्तीय सहायता दी जा सके दी जाये ।

(ग) वर्ष १९५३-५४ में एक करोड़ रुपया । वर्ष १९५४-५५ व १९५५-५६ में से प्रत्येक में अधिक से अधिक ३५ लाख रुपये खर्च करने का विचार है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस नई नीति के अन्तर्गत टेकनिकल और व्यवसायिक प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी भी आ जायेंगे ?

श्री जे ० के० भोंसले : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

श्री जे० के० भोंसले : इसका पता नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं और क्या उन्हें काटा जा चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां । हम यह अनुदान जुलाई में मंजूर कर चुके हैं । मैं यह नहीं बतला सकता कि राज्य सरकारों ने इसे बांट दिया है या नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को पता है कि बम्बई में राज्य सरकार ने रुपया नहीं बांटा है । क्या सरकार इसमें शीघ्रता करवायेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : बम्बई सरकार को पहली अगस्त को मंजूरी मिली है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन परिवारों को सहायता किस प्रकार दी जाती है — इकट्ठी राशि के रूप में या नि:शुल्क छात्रवृत्तियों के रूप में ?

श्री जे० के ० भोंसले : सहायता तीन अवस्थाओं में दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है ; किताबों आदि के लिये सरकार २ रुपया प्रति वर्ष देती है । मिडिल कक्षाओं के विद्यार्थियों को

१० रुपया प्रति वर्ष मिलता है । हाई स्कूल और 'प्रिपरेटरी' कक्षाओं के लिये २० रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है । यह नक़द अनुदान प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं में ५० प्रतिशत विस्थापित विद्यार्थियों तक तथा हाई स्कूल और 'प्रिपरेटरी' कक्षाओं में ४० प्रतिशत तक सीमित है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस प्रयोजन के लिये किसी बाल-गृह की व्यवस्था है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं इसी समय यह सूचना नहीं दे सकता ।

श्री गिडवानी : क्या रुपया बांटने के बारे में बम्बई सरकार ने कोई योजना फिर से पेश की है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं ।

श्री नन्द लाल जोशी : राज्य सरकारों को जो सहायता दी जाती है वह किन बातों के आधार पर निश्चित की जाती है ?

श्री जे० के० भोंसले : वह राज्य में वास्तविक विस्थापित विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर होती है और उसी के आधार पर योजना बनाई जाती है ।

सामुदायिक परियोजनाओं का प्रशासक

*१२५५. **डा० एम० एस० दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासक तथा योजना आयोग के एक सदस्य ने, जो जुलाई १९५३ के महीन में पश्चिम बंगाल में उस राज्य की बेकारी की समस्या का अध्ययन करने और उसको सुलझाने में सहायता देने के लिये गये थे, केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि दिया है, तो संक्षेप में उनके प्रतिवेदन में कही गई बातें ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह तथ्य नहीं है कि पश्चिम बंगाल की यात्रा इस प्रयोजन के लिये थी । चर्चाएं विशुद्ध रूप से अनौपचारिक थीं और कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है ।

डा० एम० एम० दास : चर्चा का विषय क्या था ?

श्री हाथी : चर्चा का विषय यह था कि कोयला उद्योग के साथ रेल तथा सड़क के द्वारा कोयले के परिवहन को संगठित करने की संभावना के विषय में एक बात चीत हुई थी । सदस्य ने जो मुख्य बातें की थीं वे कोयले के परिवहन के संबंध में कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हुई थीं ।

डा० एम० एम० दास : मैं यह जानना चाहता था कि क्या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी बेकारी की समस्या के विषय में परामर्श नहीं किया था ।

श्री हाथी : नहीं । वह इसलिये नहीं थी । वे उस प्रयोजन के लिये नहीं गये थे और इस समस्या के विषय पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई थी ।

डा० एम० एम० दास : सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासक वहां क्यों गये थे ?

श्री हाथी : सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासक वहां पर परियोजना केन्द्रों को देखने के प्रयोजन से गये थे ।

श्री एन० सोमना : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन सामूदायिक परियोजनाओं के द्वारा ग्रामीण बेकारी को दूर करने के विषय में सोचा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती । अगला प्रश्न ।

कॉफी

*१२५६. **श्री ए० एम० टामस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५३ से कॉफी के भाव ;

(ख) ब्रिटेन के चालू बाज़ार भावों की तुलना में यह कैसा है ;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न मागों से कॉफी को बेचे जाने के लिये निकासी के संबंध में निदेश जारी कर दिये हैं और क्या मण्डल द्वारा दी गई मात्रा बेची नहीं जा सकी थी ;

(घ) क्या उन संगठनों ने, जिन्हें रियायती दरों पर कॉफी प्राप्त हुई थी, मण्डल से उसको व्यक्तिगत व्यापारियों को बेचने की अनुमति मांगी है; और

(ङ) जो स्टॉक नहीं बिके हैं उनके निबटारे के मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) ब्रिटेन के चालू बाज़ार भाव उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) हां, श्रीमान् । हाल के महीनों में सहकारी संस्थाओं, प्रचार टुकड़ियों आदि के द्वारा होने वाले संभरण के लिये निश्चित की गई मात्रायें, पूरी नहीं उठाई गई हैं ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान् विवरण को देखने से पता चलता है कि भाव धीरे धीरे कम हो गया है । क्या सरकार यह सोचती है कि यह अब उचित स्तर पर उतर आया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अपने अपने विचार का विषय है । मेरी निजी राय में अभी ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री ए० एम० टामस : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अगली फसल से मिलने वाली कॉफी अगली जनवरी से उपलब्ध होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि अगले तीन महीनों के अन्दर कॉफी की कितनी मात्रा का उपभोग किये जाने का अनुमान है, और वर्तमान स्टॉक कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान स्टाक मैं बता सकता हूं, परन्तु उपभोग का अनुमान मैं नहीं दे सकता । कॉफी मण्डल के अनुसार १-८-१९५३ को वर्तमान स्टॉक १४,०३९ टन है इसमें कुछ मामूली हेरफेर हो सकते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी दृष्टि में, क्या सरकार का यह विचार है कि वह बहुत बड़ा स्टॉक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नया माल जनवरी में आयेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक एक बड़े स्टॉक का उपभोक्ता के लिये मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अभी हाल में मंगलौर और टमकुर में हुई नीलामी को बोली लगाने वालों के अभाव में बन्द करना पड़ा था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बोली लगाने वालों ने बोर्ड के साथ असहयोग करने का प्रयत्न किया था । लेकिन मैं समझता हूं कि यह विभिन्न शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव का विषय है । कुछ दिनों पूर्व, जब कि बोली लगाने वालों ने अपने भाव ३५१ रुपये तक बढ़ा दिये थे, तो मण्डल ने उनको बढ़ने दिया था, पर अब वह उनको वापस मिल रहा है ।

श्री एम० एन० लिंगम : क्या कॉफी मण्डल ने संग्रह मूल्य देने में कुछ विलम्ब किया है और यदि ऐसा है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमचारी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायत हुई है कि बचे हुए बड़े स्टॉक के परिणामस्वरूप खराबी और बीज की क्षति होगी और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि ऐसे मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुत सी शिकायतें हुई हैं और हाल ही में कुनूर नामक स्थान पर प्लांटरों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं समझता हूं कि उस अवसर का उपयोग उन सभी पक्षों द्वारा, जिनका स्वार्थ था, सरकार के विरुद्ध मिथ्या और निराधार आरोप लगाने के लिये किया गया था । आरोप इतने उग्र थे कि शिकायतों पर उचित सतर्कता के साथ ध्यान देना होगा । सरकार ने कहा है कि वह प्रश्न की जांच कर रही है ।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि मण्डल द्वारा दी गई मात्रायें बेची क्यों नहीं जा सकीं ? क्या सरकार ने इस समस्या पर ध्यान दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार ने मण्डल को स्टॉक के निबटारे के लिये अन्य साधनों का सुझाव दिया है । मण्डल ने सरकार के सुझाव को नहीं माना ।

रबड़

*१२५७. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ अगस्त, १९५३ को उत्पादकों व्यापारियों और निर्माताओं के पास कितना रबड़ था ;

(ख) क्या सरकार ने स्थिति का अध्ययन करने के लिये भेजे गये पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर ६,००० टन रबड़ लेने का प्रस्ताव वापिस ले लिया है ;

(ग) सरकार ने छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले उत्पादनकर्त्ताओं को राहत पहुंचाने के लिये और न बिके हुये संग्रह को बिकवाने के लिये क्या पग उठाये हैं ; और

(घ) वर्तमान संग्रह १९५१ और १९५२ के संग्रहों की तुलना में कैसे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):(क) अनुमानित आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

उत्पादकों तथा विक्रेताओं के पास १ सितम्बर, १९५३ को न बिके हुए संग्रह . .	२५,०० टन
निर्माताओं के पास १ सितम्बर, १९५३ को विद्यमान संग्रह .	४१०० टन

(ख) सरकार के पास उत्पादकों और विक्रेताओं से विशेष रूप से छोटे छोटे लोगों से रबड़ के संग्रह खरीदने की एक योजना थी। किन्तु, इस योजना को क्रियान्वित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

(ग) संग्रह की वर्तमान स्थिति के लिये कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) रबड़ के बागों के स्वामियों, विक्रेताओं और निर्माताओं के पास रबड़ के निम्नलिखित संग्रह हैं :—

अगस्त १९५१	७३७८ टन
अगस्त १९५२	६०३६ टन और
अगस्त १९५३	६६०० टन (अनुमानित)

श्री ए० एम० टामस : विवरण से मुझे ज्ञात हुआ है कि अगस्त, १९५३ में भी ६,६०० टन संग्रह का अनुमान लगाया गया है और इससे पहिले अगस्त १९५१ में यह ७,३७८ टन था। अगस्त, १९५२ में यह ६,०३६ टन था और छोटे छोटे उत्पादकों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है। वर्तमान संग्रह को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजकल रबड़ के उत्पादन के दिन हैं सरकार का इस बढ़ते हुए संग्रह को देख कर क्या पग उठाने का इरादा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, प्रश्न की सूचना देने वाले मेरे माननीय मित्र ने आंकड़ों पर विचार नहीं किया। आंकड़े प्रायः भ्रमात्मक होते हैं। अगस्त, १९५१ में ७,३७८ टन थे। उस वर्ष हम ने लगभग ६,७०० टन रबड़ का आयात किया था। अगस्त, १९५२ में ६,०३६ टन थे उस वर्ष हम ने लगभग ३,८०० टन रबड़ का आयात किया था। अगस्त, १९५३ में यह ६,६०० टन होने का अनुमान लगाया गया है, जब कि इस वर्ष हम ने रबड़ का बिल्कुल आयात नहीं किया है।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने पहिले सत्र में कहा था कि यदि यह देखा गया कि छोटे छोटे उगाने वालों को हानि हो रही है तो सरकार का थोड़ी सी मात्रा में इस का निर्यात करने का विचार है, अतः श्रीमान्, म जान सकता हूं कि सरकार का इस विषय में जो उपाय करने का इरादा था उसे वापस लेने का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्यात करने के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है। हम ने लगभग ४०० टन पोले क्रेप लेटेक्स रबड़ के निर्यात की आज्ञा दी थी, किन्तु बिल्कुल नगण्य मात्रा में इस का निर्यात किया गया था क्यों कि विश्व में रबड़ के मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये भारतीय मूल्यों से बहुत कम हैं।

हमने रबड़ क्यों नहीं खरीदा इस प्रश्न के संबंध में, जैसा कि मैंने बताया, वास्तव में टायर बनाने वालों के लिये रबड़ उपलब्ध होने का प्रश्न है। आज कल उत्पादकों और व्यापारियों के पास ऐसी रबड़ का लगभग एक तिहाई या २,५०० टन संग्रह है जिसे कि टायर बनाने वाले खरीद रहे हैं। अतः सरकार ने यह अनुभव किया कि इस रबड़ संग्रह के लिये कोई अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, सरकार को एक और बात का भी सामना करना पड़ा। और वह यह है कि ज्यों ही सरकार ने यह घोषणा की कि वह रबड़ खरीदने जा रही है तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने तुरन्त बागों के स्वामिओं से कम मूल्य पर रबड़ खरीद लिया और क्योंकि सरकार ने १३८ रुपये मूल्य निश्चित किया था, अतः उन्हें यह आशा थी कि सरकार से इस का अधिक मूल्य मिलेगा। सरकार का

रबड़ के थोक माल वालों के माल को बिकवाने में सहायता करने का इरादा नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री न जो आंकड़े बतलाये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि रबड़ की खपत घटती जा रही है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने स्थानीय रबड़ की खपत को बढ़ाने के लिये कोई ठोस पग उठाये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने जो आंकड़े बतलाये हैं उन से माननीय सदस्य ने जो परिणाम निकाला है वह ग़लत है ।

श्री वी० पी० नायर : उन्होंने कहा था कि गत वर्ष हम ने कुछ मात्रा में इसका आयात किया था, तो वह रबड़ भी यहीं खपी होगी । वह कहते हैं कि इस वर्ष हम ने रबड़ का बिल्कुल आयात नहीं किया और हमारे पास ६,००० टन रबड़ शेष है । इस से स्पष्ट पता चलता है कि अब उतनी खपत नहीं हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अब खपत कम क्यों हो गई है ।

श्री वी० पी० नायर : १९५१ में कितनी खपत हुई थी और १९५२-५३ में कितनी खपत हुई है ?

श्री बी० पी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे ज्ञात है खपत में कोई विशेष कमी नहीं हुई है और यदि माननीय सदस्य विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं, तो वह एक प्रश्न की पूर्व सूचना दे सकते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में संख्या ६,००० और कुछ के स्थान पर १,००० और कुछ होनी चाहिये थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्ष रूप से [इस में कुछ कठिनाई दिखाई देती है । मैं भी इसी कठिनाई को अनुभव कर रहा हूं, यद्यपि मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता । कुल उत्पादन ६,००० टन दिया हुआ है । खपत कम हो गई है । अच्छा तो कुल खपत आयात और स्थानीय उत्पादन मिला कर हुई होगी । तो फिर माननीय मंत्री इस बात का ध्यान न रखते हुए कि आयात इतना कम हो गया है यह कैसे कहते हैं कि खपत उतनी ही प्रतीत होती है ? कम से कम स्थानीय उत्पादन तो बढ़ा ही होगा । यही कठिनाई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खपत सदा एक-सी तो नहीं रहती । १९५१ और १९५२ के बीच कुछ घटा-बढ़ी हुई है । परन्तु मैं समझता हूं कि १९५३ के आंकड़े १९५२ के आंकड़ों से कम नहीं हैं —मेरे पास तो यही सूचना है । अतः केवल कुछ आंकड़ों को जोड़कर तुरन्त कोई परिणाम निकालने से काम नहीं चलता ।

श्री वी० पी० नायर : इस प्रश्न का यह उत्तर ठीक नहीं है । माननीय मंत्री ने यह कहा था कि १९५१ में हमने लगभग ८ हजार टन का आयात किया था, १५९२ में लगभग ३,००० टन का आयात किया था; चालू वर्ष में हम ने बिल्कुल आयात नहीं किया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को पक्का निश्चय है कि खपत कम नहीं हुई है ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने यह बतलाया था कि जब सरकार ने कुछ रबड़ खरीदने का इरादा प्रकट किया था तो व्यापारियों ने छोटे छोटे उत्पादकों से रबड़ खरीद लिया । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का छोटे छोटे उत्पादकों से खरीदने का विचार है और यदि हां, तो छोटे छोटे उत्पादकों से खरीदने में क्या कठिनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तविक कठिनाई यह है कि सरकार का अपना कोई संघटन नहीं है । इस समय रबड़ बोर्ड जैसे बना हुआ है उस से हमें इस प्रयोजन के लिये कोई सुविधा नहीं मिलती । श्रीमान्, संभव है कि रबड़ बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् सरकार बाज़ार में छोटे छोटे उत्पादकों से खरीद सके । इस समय तो हम केवल नियमित ग्राहकों की सेवाओं से ही लाभ उठा सकते हैं । हम ने उन की सेवाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न किया था । वे हमारे लिये रबड़ खरीदने को तैयार थे । किंतु परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार रबड़ का संग्रह करने वाले बीच के व्यक्तियों को अतिरिक्त मूल्य देने का खतरा उठाये बिना बाजार से माल नहीं खरीद सकती ।

सुपारी

*१२५८. **डा० एम० एम० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चालू अवधि के लिये सुपारी के आयात के २८ लाइसेंसदार झूठे व्यापारी पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अट्ठाईस लाइसेंस कुल कितनी राशि के लिये दिये गये थे ; और

(ग) क्या ये सब के सब अट्ठाईस लाइसेंसदार नवागन्तुक हैं जिन्होंने कि पहिली बार लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक शिकायत के फलस्वरूप सरकार ने दिल्ली के २९ सार्थों के विरुद्ध जांच करवाई है जिन पर कि गलत बातें बतला कर सुपारी के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त करने का संदेह था । वे सब के सब २९ सार्थ नये हैं और इन्हें कुल ९२,००० रुपये के लाइसेंस दिये गये हैं ।

डा० एम० एम० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक प्रार्थी के लिये सम्बद्ध सार्थ की वार्षिक आन्तरिक बिक्री के संबंध में एक चार्टर्ड लेखापाल का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, क्या सरकार का उन चार्टर्ड लेखापालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने कि इन सार्थों के संबंध में झूठे प्रमाण पत्र दिये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है : २५ सार्थों के संबंध में जांच हो रही है । यदि जांच से यह प्रकट हो जायगा कि प्रस्तुत प्रमाणपत्र झूठे हैं, तो स्वाभाविकतया सरकार द्वारा उपयुक्त धारा के अधीन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है कि इसमें सरकारी पदाधिकारियों का कहां तक हाथ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह भी एक जांच का विषय है । जांच हो रही है । जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक में इसके परिणाम के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री वी० पो० नायर : क्या सरकार को यह विदित है कि सुपारी के आयात के लाइसेंसों का व्यापार होता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्रालय की गुप्तचर शाखा ने अब तक ऐसे किसी मामले का पता लगाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कथित उदाहरण वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की आयात नियंत्रण शाखा की सावधानी के फलस्वरूप ज्ञात हुआ है । अन्य बातें तो अनुमानमात्र हैं, इन के विषय में मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ये लाइसेंस देने का सारा उत्तरदायित्व महाखंडों के मुख्य नियंत्रकों पर होता है या आंशिक रूप से केन्द्र और आंशिक रूप से महाखंडों पर होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस जांच के पश्चात् ही हम किसी पर उत्तरदायित्व डाल सकेंगे । तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री टी० एन० सिंह : यह कोई पहिली बार नहीं है जब कि गलत बातों के आधार पर लाइसेंस दिये गये हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया को कठोर बना दिया है या उस में सुधार कर दिया है जिससे कि वह इन लाइसेंसों में कही गई बातों की दो बार पड़ताल कर सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया का निरन्तर पुनरीक्षण करती रहती है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि आजकल इस से बचने की जो विधियां प्रचलित हैं व बिल्कुल नगण्य सी हैं । इस प्रकार के उदाहरण कभी कभी हमारे ध्यान में अवश्य आते हैं । मानव प्रकृति ही ऐसी है, इसलिये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सामान्यता पहिले से कम दुरुपयोग होता है ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या ये सब के सब २९ लाइसेंस आयात कार्यालय की दिल्ली में खुली नई शाखा से दिये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस बात की पड़ताल करूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन आयात लाइसेंसों के संबंध में गलत बातें बतलाने के विषय में कभी जालसाज़ी की धारा का आश्रय लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो एक सामान्य प्रश्न है । संभव है जालसाज़ी के कोई मामले हुए हों जिन में धोखे से लाइसेंस प्राप्त किये गये हों । परन्तु मैं तुरन्त इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

विस्थापित व्यक्तियों के बचत बैंक खाते

*१२५९. **श्री एस० सो० सावन्त :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों के लिए किसी अन्तरिम सहायता की स्वीकृति दी गई थी जिन का बचत बैंक खाता पाकिस्तान सरकार के निर्णय के लम्बन के कारण पाकिस्तान में था ;

(ख) अब तक कितने मामलों की जांच की गई है ; तथा

(ग) पाकिस्तान द्वारा कब तक निर्णय किए जाने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले): (क) से (ग). उन विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन के पाकिस्तान-पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों—में डाकखाने के बचत बैंक खाते थे, एक अन्तरिम सहायता योजना स्वीकृत की गई है । पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के सरकार द्वारा प्राप्त किए गए २१ दावों में से १३ की जांच की गई है, परन्तु अभी तक कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि दावादारों ने सहायता अनुदान के लिए विहित शर्तों को पूरा नहीं किया ।

(घ) कराची में हाल में हुई वार्तालाप में यह निर्णय किया गया था कि डाकखाना के बचत बैंक खातों इत्यादि की जांच और विनिमय में शीघ्रता करनी चाहिये ।

श्री एस० सो० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग ने चरम सीमा के मामलों में कुछ अन्तरिम सहायता दी है, यदि ऐसा है तो क्या यह पुनर्वास मंत्रालय की स्वीकृति से किया गया था ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे यह विदित नहीं ।

श्री एस० सो० सामन्त : श्रीमान मैं जान सकता हूं कि क्या दोनों सरकारों के निर्णय के विचाराधीन होने तक चरम सीमा के मामलों में अन्तरिम साधन अपनाए जायेंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : हां श्रीमान् । एक योजना विचाराधीन है जिस द्वारा उन व्यक्तियों को जिन्हों ने विहित तिथियों को बचत बैंक खातों के लिए ३१ मार्च १९४९ तथा नकद-प्रमाणपत्रों के लिए ३० जून १९४९—अपने दावे डाकखानों में नहीं दिए यथा शीघ्र सहायता दी जाएगी ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तरिम सहायता अनुदान के लिए कोई काल-सीमा है, क्योंकि माननीय मंत्री ने "यथा शीघ्र" कहा है ।

श्री जे० के० भोंसले : नहीं, श्रीमान् ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति

*१२६०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई निष्क्राम्य सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण का कार्य पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने उस ढंग के सम्बंध में कोई निर्णय किया है जिस में विस्थापित व्यक्तियों की क्षति पूर्ति के लिए इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान यह कहना बहुत कठिन है । शहरी तथा ग्रामीण दोनों अचल सम्पत्ति के निर्णय के प्रश्न पर हाल में चर्चा की गई जब श्री खन्ना और हमारे कुछ पदाधिकारी कराची गए थे । अब हम ने पाकिस्तान सरकार से पूछा है कि क्या वह इस प्रश्न पर इस मास के तीसरे सप्ताह में चर्चा करने के लिए तैयार है ।

सरदार हुक्म सिंह : कुछ दिन पूर्व हमें सदन में बताया गया था कि कुछ विषयों पर उस समय हमारी पाकिस्तान के साथ सहमति हो गई थी, जब पुनर्वास मंत्रालय के मंत्रणाकार कराची गए थे । मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्पत्ति के किसी विषय पर भी चर्चा हुई थी और क्या कोई निर्णय किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं ने बताया है कि शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्ति के प्रश्न पर चर्चा की गई थी परन्तु कोई निर्णय नहीं हुआ ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस प्रयोजन के लिए कि इस सम्पत्ति का कैसे उपयोग किया जाय, किसी विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है अथवा किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : हां श्रीमान् ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि सारे देश के विस्थापित व्यक्तियों ने

ऐसे प्रस्ताव पास किए हैं जिन में सरकार से प्रार्थना की गई है कि जब तक क्षति पूर्ति के प्रश्न का निर्णय न हो जाए और क्षतिपूर्ति दी न जाए राज्य तथा आर० एम० ए० ऋण और मकानों के किरायों के अवशेष की किश्तों की वसूली लम्बित कर देनी चाहिये।

श्री जे० के० भोंसले : यह प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मुसलमानों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन करते हुए सरकार मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थानों को भी लेखे में लेती है ?

श्री जे० के० भोंसले : उन का मूल्यांकन नहीं किया जाता।

वर्मीकुलाईट (कृसिरुपिज) ईंटें

*१२६१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२-५३ में कोई कृमि-रुपिज इंटें तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी ;

(ग) इस उद्योग में विदेशी मुद्रा की कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रखी जायगी।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या ये ईंटें केवल थरमल स्थापनाओं के लिए प्रयोग की जाती हैं अथवा कोई और इंटें भी प्रयोग की जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरा ज्ञान सीमित है। इस सामग्री को कई प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इंसुलेशन (विसंवाहन), ध्वनिरुधता, प्लास्टर तथा कंकर की चीज़ों पाईप—आवरण तथा ढलाई के कारखानों इत्यादि के लिए। माननीय सदस्य को इस के प्रयोग का कुछ ज्ञान है जिस से मुझे शंका है कि मेरा इतना ज्ञान नहीं, परन्तु हम ने कुछ जानकारी मांगी है और मेरा विचार है कि इस में कुछ समय लगेगा। ज्यूं ही मुझे जानकारी मिली मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

सरदार हुक्म सिंह : हम अभ्रक के अवशेष से कुछ धागा बना रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रयोग में सफलता मिली है और क्या इस का प्रयोग किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि वे जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस अभ्रक के प्रयोग के सम्बंध में प्रयोग की स्थिति में यह संतोषजनक रहा है, परन्तु मैं नहीं कह सकता कि हम ने कितनी प्रगति की है।

श्री सी० आर० नरसिंहन : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि यह तन्तुकरण का कार्य देश में किस जगह हो रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस तन्तुकरण के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

डा० लंका सुन्दरम : जानकारी का तन्तुकरण न कीजिए।

सामुदायिक विकास परियोजनायें

*१२६२. **श्री बी० के० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अधीन स्वीकृति दी गई है, क्या संग्रथित और असंग्रथित खण्डों के बीच संगठन, व्यय के पदों तथा प्रशिल्पक सहायता में कोई अन्तर है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्यों ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) । "सामुदायिक परियोजना संक्षिप्त प्रारूप" प्रकाशन के पृष्ठ १३-१४, तथा २०-२१ की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि किसी क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के खण्ड के निर्माण में किन आधारों को लिया गया है ?

श्री हाथी : संक्षिप्त प्रारूप में कारण बताए गए हैं। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रयोजन से ये संग्रथित खण्ड केवल पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या देश के किसी और भाग में संग्रथित खण्ड नहीं है ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान् ।

सिंगरेनी कोयला खान को नियत किये गये लोह पथ

*१२६३. **श्री विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री ११ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर का निदेश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खानों के नियत किये गये ६०० टन पुराने लोहपथ भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार सिंगरेनी कोयला खान समवाय के लोहा तथा इस्पात के लिए दिये गये क्रय-आदेश की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकी है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) माल की कमी के कारण खान की पूर्ण मांग की पूर्ति न की जा सकी । जनवरी १९५२ से सितम्बर १९५३ तक सिंगरेनी खान ने ४९१४ टन का क्रम-आदेश दिया था तथा उसे १३१९ टन नियत हुआ है ।

श्री विट्ठल राव : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि इस्पात व लोहा की थोड़ी उपलब्धि खानों में उत्पादन को अवबाधित कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं, श्रीमान् । हमारे पास यहीं सूचना है कि सिंगरेनी खानों की स्थिति में सुधार हो रहा है ।

रानी विक्टोरिया सड़क पर कई मंजिल वाला सरकारी कार्यालय भवन

*१२६४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानी विक्टोरिया सड़क पर केन्द्रीय सरकार के कई मंजिल वाले कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कितने धन का अनुमान स्वीकृत हुआ है ; तथा

(ख) यह कार्य किस तारीख को आरम्भ हुआ और उसके पूर्ण होने का निश्चित समय क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ४३ लाख ६१ हज़ार रुपया ।

(ख) बने ढांचे पर कार्य २७ अगस्त १९५२ को आरम्भ हुआ था और यह अगस्त १९५३ तक समाप्त हो जाना था । परन्तु ठेकेदार ने समय बढ़ाने की प्रार्थना की है और प्रार्थना विचाराधीन है । बने ढांचे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात शेष निर्माण में एक वर्ष और लगेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि इस ठेकेदार को ठेका देने के पूर्व क्या निषिदा (टैन्डर) मांगे गये थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में, निषिदा मांगे गये थे और कार्य न्यूनतम निषिदा देने वाले को दिया गया ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस ठेकेदार ने लोक निमार्ण विभाग के कुछ उन कर्मचारियों पर हाथ रखा हुआ है जो कार्य की जांच पड़ताल तथा देख भाल कर रहे थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : 'हाथ रखने' से आपका अभिप्राय क्या है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के कुछ देखभाल कर्मचारियों को अपमानित किया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कदाचित ही इस प्रश्न से उत्पन्न होता है । जब तक कि कोई शिकायत न हों मैं ठेकेदार की प्रति दिन की कार्यवाहियों की देख भाल नहीं कर सकता मैं इस बारे में नहीं जान सकता ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान् , क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक बने ढांचे का कितना भाग निर्मित हो चुका है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : गणितीय रूप में ठीक भाग बताना कठिन है परन्तु ढांचा पूर्ण होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है । इस विलम्ब के कारणों में एक यह भी है कि जहां भवन निर्माण होना है वह सारी भूमी उपलब्ध न थी । यह भी पता लगा था कि नीव खोदते समय धरती से बहुत पानी निकला और उस पर नियन्त्रण करने में कुछ समय लगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि इस ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य नीचे स्तर का है । और बिल स्वीकार हो रहे हैं यद्यपि यह नीचे स्तर का कार्य है और विस्तृत विवरण के अनुकूल नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में यह ऐसा नहीं है । यह विस्तृत विवरण के अनुसार होना चाहिये और इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या कार्य के लिए अनुमानों को स्वीकृत होने के पश्चात् कभी पुनरीक्षित किया गया था अथवा उनमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, क्या में जान सकता हूं कि सरकार इस बात का विश्वास कर रही है कि इन भवनों में, जहां तक सम्भव है, भारत निर्मित अन्वायुक्ति तथा उपस्कर का प्रयोग हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : भवन निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ है और अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह पानी के फुवारे धरती के नीचे बहने वाले धारों के थे या क्या थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : धरती के नीचे का पानी धारे का हो सकता है । या साधारणतः पाया जाने वाला पानी हो सकता है ।

खादी

*१२६५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपया में तीन आने की आर्थिक सहायता के फलस्वरूप, जो पिछले अनेक मासों में खादी के विक्रय पर दी गई है,

उत्पादकों के पास खादी के बड़े संचित स्टाकों के निष्कासन के अच्छे चिन्ह दिखाई पड़ते हैं ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या इसे उस समय तक देते रहने का विचार है जब तक कि उपलब्ध समस्त अतिरेक का विक्रय तथा खादी उद्योग की नींव दृढ़ न हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां ।

(ख) हां, अभी तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए है ।

श्री झूलन सिन्हा : आर्थिक सहायता से देश में खादी के उत्पादन में कितनी सहायता मिली है और क्या इस ने खादी उत्पादन को कोई गति प्रदान की है ? क्या माननीय मंत्री अब तक विक्रय हुई खादी की सम्पूर्ण मात्रा तथा व्यय हुई आर्थिक सहायता के आंकड़े बता सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं केवल यह बता सकता हूं कि ५६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध है । प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार हो चुका है । सितम्बर के अन्त तक बोर्ड ने २६ लाख रुपये की प्रार्थना की थी और यह स्वीकार हो गई है । शेष धनराशि की स्वीकृति समय समय पर बोर्ड के प्रार्थना करने पर दी जायगी ।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या इस आर्थिक सहायता ने खादी के विक्रय को प्रोत्साहन दिया है और उसके परिणामस्वरूप स्टाकों को अथवा खादी में लगी पूंजी को मुक्त किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बंध में मेरा विचार है कि यह संचित खादी स्टाकों को कम करने में सहायता देगी । दूसरे भाग का मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री दाभी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि दिल्ली राज्य सरकार ने खादी के विक्रय पर दो पैसा प्रति रुपया विक्रय-कर लगा दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इससे अभिज्ञ नहीं हूं परन्तु दिल्ली राज्य सरकार से पूछताछ करूंगा ।

श्री राघवरमण : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रपति भवन में हाल में ही एक बैठक हुई थी और खादी के विक्रय को बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की गई थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कोई औपचारिक बैठक न थी । यह एक अनौपचारिक बैठक थी जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों ने कुछ सरकारी आवश्यकताओं के लिए सरकार के द्वारा खादी का क्रय करके खादी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की भावी सम्भावना पर विचार किया । परन्तु कोई निश्चय न हो सका ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने बताया था कि खादी के विक्रय में वृद्धि हुई है । श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि गत एक दो वर्षों में की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यहां स्टाकों के संचय का प्रश्न है । मैं ने कहा था कि स्थिति सुधर गई है । इस समय इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता ।

अल्प सूचना प्रश्न

भारतीय पत्नियों का दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाना

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक २ सितम्बर १९५३ को "टाइम्स आफ़ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार का पता है जिसमें

कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतियों की भारत में उत्पन्न ६०० पत्नियों एंव बच्चों को जो डरबन पहुंच गये हैं, उनको वहां से निकाला जा रहा है ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण अफ्रीका में जाने वाली प्रत्येक स्त्री एवं बच्चे के लिए निक्षिप्ति ली जाती हैं ?

(ग) क्या मलान सरकार भारतीय परिवारों को दक्षिण अफ्रीका में ठहरने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कुछ वैधानिक उपबन्ध करने जा रही है ?

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). प्रश्न में जिस सूचना का उल्लेख है सरकार ने उसे देखा है। भारत के मूलनिवासी और अब दक्षिण अफ्रीका के निवासियों से विवाह करने वाली भारतीयमहिलाओं एवं उनके बच्चों पर दक्षिण अफ्रीका में घुसने पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी स्थिति की व्याख्या, श्री के० पी० सिन्हा के तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर में कर दी गई है जिसका विवरण ६ अगस्त १९५३ को सदन पटल पर रख दिया गया था :

इस सम्बन्ध में अंतिम स्थिति यह है कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने ३ सितम्बर को आप्रवजक विनियम संशोधन विधेयक दक्षिण अफ्रीका संसद में रख दिया है जिस पर आजकल विचार हो रहा है। वहां से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों के आधार पर जहां तक निर्णय किया जा सकता है वह निम्न है :—

मैं नहीं जानता कि क्या मुझ इन सब विस्तृत विवरणों को यहां पढ़ना चाहिये अथवा मैं इसे सदन पटल पर रख दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन पटल पर रख देना ही काफ़ी होगा। सब उपबन्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसे सदन पटल पर रखता हूं **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अब तक कुल कितना धन निक्षिप्ति रूप में लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय: भाग (ख) का उत्तर क्या है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका विरोध किया गया है। उन विरोधों का कुछ फल हुआ अथवा नहीं यह दूसरी बात है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रत्येक परिवार से कितना धन एकत्रित किया गया है, और अब तक कुल कितना धन इस मद में एकत्रित किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता मैं यह नहीं कह सकता। आजकल वहां उस विधेयक पर विचार हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाग (ख) में माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि "क्या सरकार को पता है कि दक्षिण अफ्रीका में जाने वाली प्रत्येक स्त्री एवं बच्चे के लिए निक्षिप्ति ली जाती है। माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि अब तक कितना धन एकत्रित किया गया है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं नहीं जानता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस नये विधेयक के अतिरिक्त जिस पर कि आजकल विचार हो रहा है कोई और भी ऐसा विधेयक वर्तमान है जिस के अनुसार निक्षिप्ति ली जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वर्तमान में कोई ऐसा विधान है जिसके अनुसार निक्षिप्ति मांगी जा सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे निश्चित रूप से कोई पता नहीं है । संभवतः विचाराधीन विधेयक के आधार पर वे प्रशासनीय कार्यवाही कर रहे हों ।

उपाध्यक्ष महोदय: पूर्व में ही ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि विरोध किये गये हैं क्या मैं जान सकता हूं कि इन विरोधों का क्या कोई उत्तर मिले हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार के पास दक्षिण अफ्रीका वासियों का कोई दोनों ही (स्त्री तथा पुरुष) लेखा है जो इस देश में रह रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं । मैं समझता हूं कि वे बहुत थोड़े हैं किन्तु किसी भी दशा में हमारी सरकार इस बात में विश्वास नहीं करती कि अपराध तो कोई और करे किन्तु उसका दंड किसी और को दिया जाय ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि कुछ परिवारों को वहां से निकाल दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, किन्तु मुझे निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि कितने व्यक्तियों को निकाला गया है?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जनरल मोटर्स (इंडिया) लि०

*१२४२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान उस छंटनी की ओर आकर्षित किया गया है जो कि जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० ने यह कह कर कि सन् १९५२ में कार तथा ट्रक बनाने के सामान को मगाने के लिए इस उद्योग को दिये जाने वाले अनुमति पत्रों में सरकार द्वारा काफ़ी कमी कर देने के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया हैं कि इस उद्योग में छंटनी कर दी जाय और इसी आधार पर इस उद्योग में ३९० व्यक्तियों को जो घंटों के हिसाब से काम करते थे तथा २३ व्यक्तियों को जो मासिक वेतन के आधार पर काम करते थे उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है ?

(ख) भारत सरकार की अभी हाल की घोषणा के आधार पर कि भारत सरकार मोटर कार तथा ट्रक के भागों को जोड़ कर बनाने वाले उद्योगों को अगामी तीन वर्षों तक कार्य करने की और अज्ञा देती है, क्या सरकार इन कर्मचारियों तथा ९१ दूसरे कर्मचारियों को जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं तथा जिन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्वेच्छा से छंटनी स्वीकार कर ली है, उन सब को नौकरी फिर से दिलाने के लिए कोई पग उठायेगी ?

(ग) क्या इन छंटनी किये गये कर्मचारियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

(घ) यदि हां तो किस हिसाब से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) सरकार को इसका ज्ञान है कि जनरल मोटर्स इंडिया लि० में कुछ छंटनी की गई है । यह तथ्य है कि वर्ष १९५२ के उत्तरार्ध में मोटर गाड़ी आदि के आयात के लिये कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया था ।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि जनरल मोटर्स (इंडिया) लि० अपना कार्य १९५४ के मध्य तक बन्द कर देगी । अतएव यह संभव नहीं है कि इन निकाले गये व्यक्तियों को फिर से वहां नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाय ।

(ग) तथा (घ). ऐसा पता चला है कि श्रम न्यायधिकरण के निर्णय के अनुसार उन्हें प्रतिकर दे दिया गया है ?

संयुक्त राष्ट्रीय कोरिया पुनर्निर्माण अभिकरण

*१२५०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अब तक संयुक्त राष्ट्रीय कोरिया पुनर्निर्माण अभिकरण को कोई धन-राशि सरकार द्वारा दी गई है ?

(ख) यदि हां तो कितनी ?

(ग) क्या कोरिया निवासियों को सहायता तथा पुनर्वास करने के लिए इस कोष में सहायता करने के लिए कोई प्रार्थना सरकार से की गई थी ?

(घ) यदि हां तो भारत सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में क्या किया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). नकद धन के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई, किन्तु सन १९५० में लगभग १६,११५.४ रुपये की औषधी संभरण उपहार स्वरूप तथा थाइलैंड से कोरिया को चावल लाने के लिये ४ लाख जूट के बोरे दिये गये थे ।

(ग) तथा (घ). जी हां । सहायता देने के लिये सरकार को कई बार पहुंच की गई है, किन्तु अपनी बहुत सी आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र कोरिया पुनर्निर्माण अभिकरण को कोई अधिक सहायता देने में समर्थ नहीं हो सके हैं ।

सरकारी इमारतों के लिए बिजली की रोशनी

*१२५१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभी श्रेणी की सरकारी इमारतों को बिजली की रोशनी देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ख) उन सरकारी इमारतों की वर्तमान संख्या क्या है जिनमें कि बिजली के लिए प्रबन्ध तो है किन्तु उन्हें बिजली नहीं मिली है ?

(ग) उन सरकारी इमारतों की संख्या कितनी हैं जिनमें कि बिजली के लिए प्रबन्ध नहीं है ?

(घ) यदि सभी सरकारी इमारतों में बिजली देने के लिये प्रबन्ध किया जाय तो उन पर कुल कितना खर्च होगा ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय देहली स्थित सरकारी इमारतों से है । उस सिलसिले में मेरा उत्तर है :

(क) जी हां ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) लगभग १२ हजार ।

(घ) लगभग तीस लाख ।

मानस नदी परियोजना

*१२६६. **श्री ब्रह्म चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम में मानस नदी परियोजना के परिमाप का फल क्या हुआ है ; और

(ख) अब तक उस परियोजना के परिमाप के लिये व्यय की गई राशि और उसके निर्माण की कुल लागत क्या होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):

(क) परिमाप अभी पूर्ण नहीं हुए हैं ।

(ख) जुलाई १९५३ के अन्त तक ४,३४,८०० रुपये व्यय किये गये हैं । परियोजना के निर्माण की लागत का अनुमान

अनुसंधानों के पूर्ण हो जाने और आवश्यक नमूनों तथा प्राक्कलन के तैयार हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

गोदावरी बाढ़ का चित्रीकरण

*१२६७. **श्री रघुरामय्या** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में गोदावरी में आई बाढ़ तथा उस बाढ़ से मकानों, फसलों और अन्य सम्पत्ति को जो भारी क्षति पहुंची है, क्या "भारतीय समाचार समीक्षा" अथवा "भारत की डाक्यूमेंटरी फिल्मों" में उनके चित्र बनाये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): हां, श्रीमान भारतीय समाचार समीक्षा २५५ में, जिसका प्रदर्शन ४ सितम्बर १९५३ से आरम्भ हुआ है ।.

बेकारी

*१२६९. **श्री विट्ठल राव** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को अनिच्छापूर्वक बेकारी के लिये सहायता देने के जो प्रस्ताव भेजे गये थे, उनकी जांच का काम समाप्त हो गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार उन प्रस्तावों की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार करती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). श्रम मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ उन प्रस्तावों पर अभी तक चार कर रहा है ।

काच की चादरें

*१२७०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७-४८ से भारत में काच की चादरों का उत्पादन ;

(ख) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अक्टूबर, १९५२ की "उत्पादन-सांख्यकी" में वर्णत समाचार के अनुसार समस्त उत्पादन को चार महीनों तक रोके रखने के कारण ; और

(ग) १९४७-४८ से आयात की गई काच की चादरों का परिमाण एंव मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग). विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]

(ख) काच की चादरों का सन्चय होने से कारखानों द्वारा उत्पादन स्थगित कर दिया गया था ।

भारतीय साबुन और प्रसाधन सामग्री निर्माताओं की संस्था

६४२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय साबुन और प्रसाधन सामग्री निर्माताओं की संस्था के इस प्रचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है कि विदेशी हितों की अतुल्य प्रतिस्पर्द्धा के विरुद्ध उन्हें अपने आस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि यह ठीक है तो स्वदेशी साबुन उद्योग के हितों के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) जैसा कि माननीय सदस्य ने संस्था के कार्य कोर ही कहा है, स्पष्ट है कि सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकती ।

सिंदरी उर्वरक कारखाने द्वारा खरीदा गया कोयला

६४३. **श्री नागेश्वर प्रसार सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री सिंदरी उर्वरक कारखाने द्वारा १९५१,१९५२ में और जुलाई १९५३ तक खरीदे गये कोयले का परिमाण बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उक्त वर्षों में किन किन श्रेणियों का कोयला खरीदा गया है ?

(ग) हर एक प्रकार के कोयले के लिये प्रति टन कितनी कीमत दी गई है ?

(घ) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्वयं अपनी कोयला खाने हैं ?

(ङ) कोयला खरीदने की क्या पद्धति है और क्या टेंडर से आमंत्रित किये जाते हैं ?

(च) कोयले की पूर्ति किस खान द्वारा की जा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क) १९५१ . . . . ८०,४१० टन
१९५२ . . . . . २१३,४०० टन
जुलाई, ५३ तक १९८,३७७ टन

(ख) द्वितीय श्रेणी

(ग) कोयला खान नियन्त्रण आदेश के अनुसार १२ रु० १५ आ० प्रति टन

(घ) नहीं

(ङ) १२ महीनों के कोयला संभरण के लिये पथारदिहिब्रिज द्वारा नियोजित कोयला खानों से अक्तूबर १९५२ में परिमाण विषयक टेंडर्स आमंत्रित किये गये थे । छोटी छोटी कोयला खानों को भी टेंडर देने का अवसर देने के लिये उन्हें तीन खानों तक एक समूह बना लेने की छूट दी गई थी और इन समूहों में सम्मिलित खानों की क्षमता और निष्पादन देखकर ही कोयले की राशि निर्धारित की गई थी ।

(च) सिंदरी से २० मील के घेरे में सत्रह समूहों के रूप में ३७ कोयला खानों द्वारा संभरण किया जा रहा है ।

गिरिडिह में भारत सरकार की रेल कोयला खान

६४४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रेल जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि खनडिया परत सहित गिरिडिह में भारत सरकार की रेल कोयला खानों के सीरामपुर और करहर बाड़ी समूहों की कतिपय परतों की खुदाई प्रतिमाह ६,००० टन तक की सीमा तक की जाय ताकि स्थानीय बिक्री और श्रम सम्बन्धी घरेलू कार्यों के लिये तृतीय श्रेणी व कोयले का उपयोग किया जा सके ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकृत करली हैं ?

(ग) क्या उक्त कार्य के अनुपालनार्थ ऊपर्वर्णित विभागों में खानों को काटने का कार्य आरम्भ हो गया है ?

(घ) क्या यह सच है कि वितरण अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किस्म के तीन हजार टन कोयले को प्रति माह उसी स्थान में बेच दिये जाने की योजना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां, किन्तु उक्त सिफारिशें केवल खनडिया परत के सम्बन्ध में ही रखी गई थीं ।

(ख) हां । खनडिया परत के संचालन की टेक्नीकल सम्भावनाओं की पुनः जांच

करने पर खान की अपेक्षा ढाल से कोयला निकालने का निर्णय किया गया था।

(ग) ढाल से हर महीने ३,००० टन कोयला प्राप्त किया जा रहा है और निकट भविष्य में इस मात्रा के ८,००० टन प्रति महीने तक बढ़ने की व्यवस्था की गई है।

(घ) हां। सरकारी मांग की पूर्ति हो जाने के पश्चात् सरकार जितनी भी सम्भव हो सके उतनी मात्रा के लिये स्थानीय बाजार ढूढ़ने का प्रयत्न कर रही है।

गिरिदिह कोयला खानें

६४५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गिरिदिह कोयला-खानों में करहर बाड़ी विभाग की जतकुही पहाड़ियों में कार्य आरम्भ हो गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो कार्य कब आरम्भ हुआ था और उसकी क्या प्रगति है ?

(ग) यदि कार्य आरम्भ नहीं हुआ तो उस में विलम्भ होने का क्या कारण है ?

(घ) गिरिदिह कोयला खानों के कितने अतिरिक्त मजदूरों को नवीन कार्यों में लगाये जाने की संभावना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) करहर बाड़ी विभाग में जनकुटी क्षेत्र की भादुआ परत में अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(ग) देर होने का कारण यह है कि नई खदान की दर केन्द्रीय बोर्ड पञ्चाट के अनुसार मंहगाई भत्ते सहित २० धनफुट के प्रति टब के लिये १ रु० ६ पाई है जब कि गिरिदिह कोयला खान में इतनी ही क्षमता वाले प्रति टब के लिये १ रु० ६ आ० है। इस का कारण पुरानी खानों में काम की दुर्ध अवस्थाएं हैं। नई खान में संशोधित दर पर काम करने के लिये गिरिदिह कोयला खानों से स्वेच्छापूर्वक आने वाले अतिरिक्त मजदूरों को काम पर बुलाने के लिये सूचनाएं लगाई गई थीं। केवल पचास व्यक्ति स्वेच्छा से आये और उन की नियुक्ति के लिये रेल बोर्ड के मुख्य खदान इञ्जीनियर की औपचारिक स्वीकृति २२ अगस्त १९५३ को दे दी गई थी। नई खान का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

(घ) स्वेच्छापूर्वक काम पर आने वाले उक्त पचास व्यक्तियों को शीघ्र ही नियोजित कर लिया जायगा तथा खान का विकास होने पर और अधिक व्यक्तियों को लिया जायगा।

गिरिदिह कोयला खानों में भारतीय इंस्टीट्यूट

६४६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कोयला खानों के गिरिदिह समूह में बनियादिह पर "भारतीय इंस्टीट्यूट" कही जाने वाली एक संस्था थी ?

(ख) उक्त संस्था का निर्माण कब किया गया था ?

(ग) क्या उक्त संस्था में पुस्तकालय, श्रोताभवन और कर्मचारियों के शारीरिक तथा सांस्कृतिक मनोरंजन के लिये अन्य सुविधाओं की व्यवस्था थी ?

(घ) क्या सरकार ने संस्था का उचित संधारण करने के लिये कोई सहायता दी थी ?

(ङ) यदि यह सही है तो वार्षिक निधि कितनी प्रदान की गई थी ?

(च) क्या संस्था का उपयोग कर्मचारियों द्वारा अभी भी किया जाता है और क्या जिस कार्य के लिये वह मूलतः बनाई

गई थी उसका अभी निर्वाह किया जा रहा है ?

(छ) यदि नहीं तो उसका आजकल कैसे और किसलिये उपयोग किया जा रहा है और ऐसा कब से हो रहा है ?

(ज) क्या सरकार द्वारा अभी भी सहायता दी जाती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हां ।

(ख) लगभग १९२३ में ।

(ग) हां ।

(घ) नहीं । जब तक कि गिरिडिह कोयला खानें राज्य रेलों द्वारा नहीं ली गईं, संस्था के संधारण के लिये ईस्ट इंडिया रेलवे कर्मचारी कल्याण निधि की ओर से वार्षिक अनुदान दिया गया था ।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

(च) श्रोताभवन के अतिरिक्त सम्पूर्ण संस्था का उपयोग कर्मचारियों द्वारा अभी भी किया जाता है ।

(छ) श्रोताभवन का उपयोग सन् १९४४ से कोयला खान की अनाज की दुकान के रूप में हो रहा है ।

(ज) (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रस्तुत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

सरदारनगर बस्ती

६४७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पुनर्वासित** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद के निकट सरदार नगर बस्ती के घरों में रहने वाले १२०० विस्थापितों द्वारा कुछ समय पूर्व अपने कष्टों के सम्बन्ध में भेजे गये प्रत्यावेदन के विषय में क्या सरकार ने कुछ कार्यवाही की है ?

पुनर्वासित मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : प्रत्यावेदन बम्बई सरकार को भेज दिया गया था जहां से उत्तर प्राप्त हुआ है कि सरदार नगर के विस्थापित व्यक्तियों की विपत्तियां औचित्य-हीन हैं । वास्तविक समस्या किस्तों के भुगतान की है जो कि १९५१ में मकान देने वालों के परामर्श से की गई थी और जिसकी बकाया राशि ९.७ लाख तक पहुंच चुकी है । वर्तमान आन्दोलन पिछली राशि की ओर से ध्यान हटाने के लिये ही उठाया गया है अन्यथा सरदार नगर के विस्थापितों को समस्त सम्भव पुनर्वास सुविधाएं दी गई हैं ।

अपहृत स्त्रियां

६४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक कितनी अपहृत स्त्रियां भारत से पाकिस्तान वापस की गयीं और कितनी पाकिस्तान से वापस आईं ;

(ख) पाकिस्तान को भेजी गई कितनी स्त्रियां अपहरणें के समय अविवाहित थीं और भेजने के समय विवाहित थीं ;

(ग) इस प्रकार की कितनी स्त्रियों के अपहरण के बाद बच्चे हो चुके थे ; और

(घ) क्या १९४७ और १९५३ के बीच इस प्रकार उत्पन्न हुए बच्चे अपनी माताओं के साथ पाकिस्तान भेज दिये गये या भारत में अपने पिताओं के पास छोड़ दिये गये ?

प्रधान मंत्री (पंडित जवाहरलाल नेहरू) : ३१ जुलाई १९५३ तक १८,३५६ अपहृत व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है । उसी काल में ऐसे ८६१६ व्यक्तियों को पकिस्तान ने भारत भेजा है ।

(ख) तथा (ग). अलग अलग रूप से आंकड़े नहीं रखे गये हैं ।

(घ) अपहृत व्यक्ति (खोज तथा लौटाना) अधिनियम १९४९ के समय समय पर संशोधित रूप के अन्तर्गत 'अपहृत व्यक्ति' की परिभाषा में वह बालक भी शामिल

है जिसे किसी अपहृत स्त्री ने अपने अपहरण काल में जन्म दिया हो। माता को उस बालक के सम्हालने का प्रथम अधिकार दिया जाता है, परन्तु यदि वह बच्चे को छोड़ जाती है तो उसे भारत म रहने वाले पिता को लोटाया जाता है और यदि उसे कोई भी न ले तो उसे बालक राष्ट्रीय संस्था, इलाहाबाद में सरकारी खर्च पर पाला जाता है।

आन्ध्र के लिये सामूहिक विकास गुट

६४९. **श्री राजगोपाल राव** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि आन्ध्र राज्य के लिये नियत किए गए सामूहिक विकास गुटों की संख्या कितनी है ?

(ख) इन गुटों के चुनाव तथा स्थिति को कैसे निश्चित किया जायगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दो।

(ख) चुनाव तथा स्थिति को नई आन्ध्र राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया जायगा।

तारकोल

६५०. **श्री जांगड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में कितना तारकोल तैयार किया जाता है ;

(ख) यह किन स्थानों में तैयार किया जाता है ;

(ग) भारत सरकार ने १९५१, १९५२ और १९५३ में कितना तारकोल आयात किया ;

(घ) यह किन किन देशों से आयात किया गया और इसका क्या मूल्य दिया गया; और

(ङ) क्या भारत के कारखानों में तारकोल कृत्रिम तरीकों से तैयार किया जाता है, यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में परीक्षण किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत में १९५१, १९५२ तथा १९५३ (जनवरी से जून तक) में तारकोल को निम्नलिखित मात्रा में तैयार किया गया था :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)
१९५१	९०,७७७
१९५२	९३,९२६
१९५३ (जनवरी-जून)	४६,४३१

(ख) एक विवरण संलग्न किया जाता है जिसमें उन फैक्टरियों के नामों तथा स्थिति का वर्णन है जिन में तारकोल तैयार किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) नहीं, श्रीमान, तारकोल कृत्रिम तरीकों से बनने वाली वस्तु नहीं है इसे कोयले के कार्बाइनाइज़ेशन के समय उपोत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है।

फालतू वस्तुओं का उत्सर्जन

६५१. **श्री जांगड़े** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन भिन्न वस्तुओं को युद्ध की उत्सर्जन में सम्मिलित किया गया है ;

(ख) इन वस्तुओं के विक्रय से क्रमशः १९४७ से १९५२ तक कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) संघ तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने कितने की वस्तुयें खरीदीं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि उत्सर्जन की वस्तुओं के इतने बड़े बड़े ढेर नीलाम किये गये कि सामान्य जन नहीं खरीद सकते थे और केवल कुछ धनियों ने ही उन्हें खरीदा ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि ये वस्तुएं उनके बाजार भाव के आठवें या दसवें हिस्से से भी कम मूल्यों में नीलाम की गयी थीं ; और

(च) क्या किन्हीं सम्बद्ध पदाधिकारियों पर बोली देने वालों के साथ मिल कर जान बूझ कर कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचने के लिये भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाया गया है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें युद्ध उत्सर्जन की वस्तुओं की विभिन्न बड़ी बड़ी श्रेणियों का वर्णन है । **[देखियें परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) १९४७-५२ काल सम्बन्धी विक्रय के अंतिम आंकड़ों की गणना हो रही है ।

(ग) १८·३४ करोड़ रुपये ।

(घ) अतिरिक्त वस्तुओं के उत्सर्जन तथा विक्रय के लिये प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को वस्तुओं के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी अन्य परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए निश्चित किया जाता है । मुख्य रूप से विचारनीय बात यह है कि अधिक से अधिक दाम मिलें नीलाम द्वारा विक्रय को छोटी छोटी ढेरियों तक सीमित रखा जाता है तथा उनके बारे में रक्षित मूल्य को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है ।

(ङ) सरकार की यह घोषित नीति है कि जब अतिरिक्त वस्तुओं को जनता को बेचा जाये तो अधिक तम दाम वसूल किये जायें ।

(च) एक ऐसा मामला ध्यान में आया था तथा उसकी जांच की गई थी । सम्बन्धित अधिकारी की पूछ ताछ के बाद छंटनी कर दी गई थी ।

मधुमक्खी पालन

६५२. **श्री हेडा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक विकास के कितने केन्द्रों में शहद की मक्खी के पालने के कुटीर उद्योग को चलाया जा रहा है ;

(ख) राज्य वार नाम क्या हैं ;

(ग) इन केन्द्रों की सफलतायें क्या हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार ने शहद की मक्खी के छत्तों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को इनके प्रदाय के पर्याप्त प्रबन्ध कर रखे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) तक. राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है तथा मिलने पर उसे सदन पटल पर रखा जायगा ।

सुपारी

६५३. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक पत्तन पर सारे भारत में आयात की गई सुपारी की कुल मात्रा के कितने प्रतिशत भाग का आयात किया जाता है ;

(ख) कलकत्ता पत्तन पर चालू अवधि में पिछली तीन अवधियों की तुलना में आयात का प्रतिशत आंकड़ा क्या है ; तथा

(ग) चालू अवधि में सुपारी के आयात के लिये कुल कितनी फ़र्मों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) *जनवरी-जून, १९५३ में कुल आयात का प्रति शत मूल्य ।

कलकत्ता	४८·६
बम्बई	३०·२
मद्रास	२१·२

(ख) कलकत्ता पत्तन पर आयात मूल्य का कुल आयात-मूल्य से प्रतिशत अनुपात

जुलाई–दिसम्बर, १९५१	५२·४
जनवरी–जून, १९५२	५०·६
जुलाई–दिसम्बर १९५२	४७·७
*जनवरी–जून, १९५३	४८·६

(ग) १४७० (जनवरी–जून १९५३ का काल)

*जुलाई–दिसम्बर, १९५३ काल के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

जर्नल आफ इन्डस्ट्री एन्ड ट्रेड

६५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मास 'जर्नल आफ़ इन्डस्ट्री एन्ड ट्रेड' (उद्योग तथा व्यापार पत्रिका) की कितनी प्रतियों को छापा जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है ।

(ख) उनमें से कितनी प्रतियों को मुफ़्त बांटा जाता है तथा कितनी संख्या को बेचा जाता है ;

(ग) छापने तथा प्रकाशन पर लागत कितनी आती है ;

(घ) पत्रिका को विज्ञापनों तथा विक्रय से कितनी राशि प्राप्त होती है ;

(ङ) क्या इस पत्रिका के हिन्दी संस्करण को नियमित रूप से प्रकाशित किया जायेगा ;

(च) यदि ऐसा है तो इसका मूल्य कितना रखा गया है ;

(छ) क्या हिन्दी संस्करण को तैयार करने के लिये किन्हीं अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ;

(ज) यदि ऐसा है तो हिन्दी संस्करण पर तथा इसके प्रकाशन सम्बन्धी स्थापना पर कितना खर्च आता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २,९०० ।

(ख) इस पत्रिका को चन्दा दे कर खरीदने वालों की संख्या ७०० है । शेष की प्रतियों को भारत के विभिन्न व्यापार मंडलों तथा भारत संसद् के सदस्यों और विदेशी मंडियों में विदेश स्थित भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा बांटा जाता है ।

		रुपये
(ग)	छपाई	१५,०००
	पत्रिका समेतप्रकाशन	१५,०००
	कुल	३०,०००
(घ)	विज्ञापनों से	३,०००
	चन्दे वालों से	८,४००
	कुल	११,४००

(ङ) जी हां ।

(च) चन्दा ६ रुपये प्रति वर्ष ।

एक प्रति ८ आने ।

(छ) जी हां ।

(ज) २४,००० रु० के लगभग ।

सामुदायिक परियोजनायें और विकास खंड

६५५. **श्री एस० सो० सामन्त : योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कितनी सामुदायिक परियोजनायें और विकास खंड शुरू किये गये हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) कितने निकट भविष्य में शुरू किये जायेंगे ;

(ग) क्या इन संस्थाओं को चलाने के लिये पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ; तथा

(घ) इन संस्थाओं के लिये आज तक पश्चिमी बंगाल के राज्य को कितना रुपया दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) २ अक्तूबर, १९५३ से ५५ विकास खंड ।

(ग) जो परियोजनाये और विकास खंड शुरू हो चुके हैं, उन पर प्रशिक्षित व्यक्ति काम कर रहे हैं, कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को २ अक्तूबर, १९५३ से शुरू किये जाने वाले खंडों में काम करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा ।

(घ) ३३०.७०३ लाख रुपये उन आठ खंडों के लिये जो शुरू हो चुके हैं। उन तीन खंडों के सम्बन्ध में, जो दो अक्तूबर, १९५३ से हाथ में लिये जायेंगे आय व्ययक प्राक्कलन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सेंधा नमक

६५६. **श्री राम दास : उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में सेंधा नमक की खानें हैं ;

(ख) इस समय किन किन खानों में काम किया जा रहा है ; तथा

(ग) उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क) सेंधा नमक निक्षेप जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में पाये जाते हैं ।

(ख) इस समय गुमा और ड्रांग की खानों म काम हो रहा है,

(ग) वार्षिक उत्पादन १ १।२ लाख मन से कुछ अधिक है ।

लेखन सामग्री

६५७. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में लेखन-साधन प्रयोजनों के लिये भारत में और (२) विदेशों में कुल कितने मूल्य का कागज़ तथा अन्य लेखन सामग्री खरीदी गई ?

(ख) विदेशों में खरीदी गई मुख्य चीजें क्या थीं ?

(ग) इन वस्तुओं का मूल्य १९५१-५२ में खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) :

(क) १९५२-५३ में कुल लगभग निम्न था :—

	रुपये
(१) कागज़	५,००,००,०००
अन्य सामग्री	४७,६०,०००
(२) कागज़	४,६२,०००
अन्य सामग्री	११,८१,०००

(ख) नकशा खींचन का तथा अन्य विशेष प्रकार के कागज़, नकशा खींचने का सामान, जिल्द साजी का सामान और विविध वस्तुयें जो भारत में तैयार नहीं की जातीं ।

(ग) १९५१-५२ में व्यय निम्न था :

	रुपये
(१) कागज़	४५०,००,०००
अन्य सामग्री	३७,२५,०००
(२) कागज़	१,५०,०००
अन्य सामग्री	८१,०००

अंक ८ सोमवार,

संख्या ३१ १४ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ८ में संख्या ३१ से संख्या ३५ तक हैं)

——:o:——

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक व तार) तथा लेखा परीक्षा [पृष्ठ भाग २३०१]

पेच उद्योग तथा प्लाइवुड और चाय के डिब्बे बनाने के उद्योग पर संरक्षण जारी रखने के संबंधित प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट [पृष्ठ भाग २३०१-२३०३]

समिति निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद् [पृष्ठ भाग २३०३]

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग २३०३-२३०४]

सम्पदा शुल्क विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त [पृष्ठ भाग २३०४-२४३४]

पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट, नई दिल्ली।

421 PSD (मूल्य ६ आने)

लोक सभा

सोमवार १४ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-२० म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

वित्तियोग लेखा (डाक व तार) तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत विनियोग लेखा (डाक व तार) १९५०-५१, तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५२ की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं।

[पुस्तकालय में रख दी गई। देखियें संख्या ४ ओ० १ (४८)]

पेच उद्योग तथा प्लाइवुड और चाय के डिब्बे बनाने के उद्योग पर संरक्षण जारी रखने से सम्बन्धित प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग

अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :—

(१) पेच उद्योग पर संरक्षण जारी रखने से सम्बन्धित प्रशुल्क आयोग की १९५३ की रिपोर्ट।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प नम्बर ३५(१)—टी० बी०/५३ दिनांक २२ अगस्त, १९५३।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना नम्बर ३५ (१)—टी० बी०/५३ दिनांक २२ अगस्त, १९५३।

(४) (१) से ले कर (३) तक में उल्लिखित पत्रों की प्रतियां निश्चित समय के अन्दर सदन पटल पर क्यों न रखी जा सकीं, यह स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा दिया गया। देखिये नम्बर ४. आर० १०३ (३)]

(५) प्लाइवुड तथा चाय डिब्बे बनाने के उद्योग पर संरक्षण अथवा सहायता जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट।

(६) वाणिज्य तथा उद्योग संकल्प नम्बर २८ (२)—टी० बी०/५३ दिनांक २९ अगस्त, १९५३।

(७) (५) तथा (६) में उल्लिखित पत्रों की प्रतियां निश्चित समय के अन्दर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सदन पटल पर क्यों न रखी जा सकी, यह स्पष्ट करने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रख दिया गया, देखिये नम्बर ४. आर० १३८ (३) ।]

समिति निर्वाचन

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद

संसद् कार्य मंत्री, श्री सत्य नारायण सिन्हा ने श्री केशव देव मालवीय की ओर से यह प्रस्ताव रखा कि सदन भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर के लिये स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी कान्त मैत्रा के स्थान पर शेष काल के लिये कोई सदस्य निर्वाचित करे।

सदन ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया ।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखि कार्यक्रम निश्चित किया :—

(१) नामज़दगी के कागज़ मंगलवार १५ सितम्बर, १९५३ के बारह बजे दोपहर तक संसद्-सूचना कार्यालय में प्राप्त होंगे ।

(२) १६ सितम्बर के बारह बजे दोपहर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस लेने की सूचना दे सकेंगे ।

(३) निर्वाचन, यदि आवश्यक हो, शुक्रवार, १८ सितम्बर १९५३ के साढ़े दस बजे से लेकर १ बजे दिन तक संसद भवन के कमरा नम्बर ६२ में होगा ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस विधेयक* को प्रस्तुत करता हूं ।

सम्पदा शुल्क विधेयक----जारी

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : खंड ८० पर कल चर्चा करते हुए कहा गया कि इसका उप-खंड (२) संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (च) के विरुद्ध है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खंड का उप-खंड (२) किसी भी तरह किसी व्यक्ति के सम्पत्ति अर्जन अथवा उसके विक्रय के अधिकार पर आक्षेप नहीं करता है । वैसे तो समवाय अधिनियम की धारा ३४ के अन्तर्गत संचालक-बोर्ड को इस सम्बन्ध में अपना स्वविवेक प्रयोग में लाने का अधिकार दिया गया है कि वह किसी अंश (शेयर) को हस्तांतरित नहीं भी कर सकता है । इस उप-खंड का उद्देश्य केवल यह है कि यदि किसी अंश का हस्तांतरण कम्पनी की किताबों में दर्ज करना हो तो कम्पनी को दो बातों का निश्चय हो जाना चाहिये । एक यह कि हस्तांतरण सद्भावपूर्ण है तथा दूसरे यह कि यदि समवाय को इस बात की जानकारी हो कि जिस व्यक्ति के नाम पर मूल रूप से वह अंश है, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वह इस बात का सुनिश्चयन करेगी कि उस विशिष्ट अंश (शेयर) पर सम्पदा शुल्क अदा किया गया है । इस उप-खंड में यह नहीं कहा गया है कि हस्तांतरण दर्ज नहीं होना चाहिये । यह उस व्यक्ति के जिसे कि वह अंश हस्तांतरित किया जायगा, अधिकारों पर कोई आक्षेप नहीं करता है । यह समवायों पर

* राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात् पुर स्थापित किया गया ।

केवल एक तरह की ज़िम्मेदारी डालता है। किसी समवाय विशेष को इस बात का संतोष होना चाहिये कि हस्तांतरण मूल्यवान प्रतिफल के लिये है।

बताया गया है कि अंश एक प्रकार की वस्तु है तथा यदि पैसा अदा करके उसका हस्तांतरण हो जाय तो उस पर उस व्यक्ति का हक पूरा हो जाता है। परन्तु ऐसी बात नहीं। यहां कब्ज़ा प्राप्त करने के अलावा हस्तांतरण-पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। इसलिये समवाय पर यह ज़िम्मेदारी डालने में कोई बुराई नहीं कि वह यह बात जान ले कि मूलतः अंश किस के नाम पर था तथा अब इसे किस तरह से हस्तांतरित करने का विचार है। प्रापक शून्य हस्तांतरणों के सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ कठिनाई होगी। इस प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया। जहां तक मुझे याद है इस विचार विमर्श में कहा गया कि प्रापक शून्य हस्तांतरण प्रणाली किसी हद तक सीमित रखी जानी चाहिये। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि प्रस्थापित संशोधन किसी तरह भी अनुच्छेद १९(१) (च) के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह शान्ति से भाषण सुनते रहेंगे। यदि कोई माननीय सदस्य भाषण नहीं सुनना चाहता है तो वह समाकक्ष में जाकर गपशप करें अथवा चायपान आदि करे।

श्री के० के० बसु : दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था वह यह है कि यदि ७वीं अनुसूची की प्रथम सूची की मद ८७ को अनुच्छेद ३६६ के साथ पढ़ लिया जाय तो यह समझा जा सकता है कि हम ऐसी सम्पत्ति पर भी कर लगा रहे हैं जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हस्तांतरित नहीं होती है यदि हम इस का ठीक ठीक निर्वचन करेंगे तो इस का मतलब इस से बिल्कुल भिन्न होगा। यदि यह मूल्यवान प्रतिफल के लिये होगा तो हस्तांतरण मंजूर होगा। यदि कम्पनी के प्रमुख अधिकारी को इस बात की जानकारी हो कि मूल अंशधारी की मृत्यु हुई है तो वह पूछ सकता है कि क्या उसने कन्ट्रौलर से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि शुल्क अदा किया गया है अथवा वह इस से मुक्त है।

हमारे देश में समवायों के अंशों की एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों के हाथ में है जोकि भारतीय नहीं हैं तथा जो चिरकाल तक इस देश से बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की परिसम्पत पर यह शुल्क लगाना कठिन होगा। प्रापक शून्य हस्तांतरण के कारण यह मामला और भी कठिन बन जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। कि ऐसी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत पर सम्पदा शुल्क वसूल करने के लिये सरकार को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये। कम्पनियों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिये कि क्या कोई अंशधारी जीवित है अथवा नहीं। इसके लिये सरकार को उचित उपबन्ध रखना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो सरकार को इस उद्देश्य के लिये समवाय अधिनियम में भी संशोधन करना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि यह खंड इसके वर्तमान संशोधित रूप में रहना चाहिये। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकृत करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान्, इस खंड के अन्तर्गत जो निर्बन्धन लगाया गया है वह न केवल उन लोगों पर है जिन से कि सम्पदा शुल्क वसूल किया जाना है अपितु उन लोगों पर भी है जिस का कि सम्पदा-शुल्क से कोई सम्बन्ध न होगा। समवायों को इस बात की जांच

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करनी है कि जब तक कि कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तब तक अंश का हस्तांतरण नहीं होगा ।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद १९ का सम्बन्ध है, मैं समझता हू कि जब तक कोई निर्बन्धन जन साधारण के हित में न हो तथा केवल किसी सम्प्रदाय अथवा राज्य के हित में हो तब तक वह नहीं लगाया जा सकता यह एक गम्भीर मामला है जबकि मूल अधिकारों पर इस प्रकार का एक निर्बन्धन लगाया जा रहा हो ।

एक गरीब का सम्पदा-शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं, शायद ८० से ले कर ९० प्रतिशत जनता का इस से कोई वास्ता नहीं । अब अगर किसी गरीब के किसी कम्पनी में कुछेक शेयर हों तो उस पर यह निर्बन्धन क्यों लगाया जाय ?

कम्पनियों के वैसे तो भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अपने भी अधिकार हैं । कोई भी कम्पनी इस बात पर आग्रह कर सकती है कि उसके समक्ष अमुक अमुक साक्ष्य पेश किया जाय, तभी तो वह किसी हस्तांतरण को दर्ज करेगी । जहां तक अंशों को हस्तांतरित करने का सम्बन्ध है यह किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है कि वह इसे हस्तांतरित कराये कम्पनियों को पहले ही कुछ शक्तियां प्राप्त हैं तथा मैं समझता हूं कि वह शक्तियां इसके लिये पर्याप्त हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को कम्पनियों की दया पर क्यों निर्भर रहना चाहिये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : निर्धन व्यक्ति को सरकार तथा कम्पनी की दया पर क्यों निर्भर रहना चाहिये ?

९० प्रतिशत लोग तो सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत नहीं आ सकते हैं। हम केवल इन लोगों के सम्पत्ति अर्जन तथा विक्रय अधिकार पर निर्बन्धन लगा रहे ह; क्योंकि यह निर्बन्धन न केवल उन अंशों पर होंगे जोकि सम्पदा-शुल्क की ज़द के अन्तर्गत आ जाते हैं अपितु यह सभी अंशों के विक्रय अथवा हस्तांतरण पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध होगा ।

मैं यह नहीं कहता कि जिस व्यक्ति से सरकार को सम्पदा शुल्क लेना है उससे यह शुल्क वसूल करने के लिये सरकार पर्याप्त अधिकार ग्रहण न करे । मैं यह नहीं चाहता कि कोई अपेक्षापूर्वक अपने हिस्से किसी और के नाम कर दे और सरकार को अपना भाग न मिले । किन्तु यह उपबन्ध अत्याधिक विस्तृत है । हिस्सों के प्रत्येक हस्तांतरण के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध रक्खा जा रहा है । उस व्यक्ति को भी जिसका कि सम्पदा राज्य शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रमाणपत्र प्राप्त करने को कहा जायगा और केवल तब ही कम्पनी उससे हिस्सों का हस्तांतरण करेगी । यह सम्पत्ति के अर्जन तथा विक्रय पर स्पष्ट प्रतिबन्ध है ।

जब कि कम्पनी को यह पता चले कि किसी हिस्सेदार की मृत्यु हो गई है तथा कुछ कार्यवाही की जा रही है और किसी भी प्रकार यह मालूम हो जाता है कि वह व्यक्ति सम्पदा-शुल्क का देनदार है तो उस हालत में समुचित सावधानी बरती जा सकती है तथा उसके हिस्सों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है । किन्तु शीघ्र-वसूली के प्रयोजन से यदि आप अपने मार्ग से हटकर अन्य लोगों पर भी प्रतिबन्ध लगा दें तो यह न केवल उन लोगों के लिये वरन व्यापार तथा वाणिज्य

की दृष्टि से भी हानि कर होगा। फिर, संयुक्त हिस्सों के विषय में क्या होगा ? एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और दो या तीन भाई संयक्त रूप से हिस्सेदार हो सकते हैं। उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के हिस्सों का क्या होगा जिन के उसके साथ संयुक्त हिस्से हैं? मृतक के हिस्सों के ख़रीदार ने कोई कसूर नहीं किया है। यदि उसके हिस्सों का हस्तांतरण लम्बी अवधि के लिये रोक लिया जाता है तो उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार एक निरपराध व्यक्ति को जिस को कि सम्पदा शुल्क नहीं देना है परेशान होगा पड़ेगा। इन सब कारणों से मेरा निवेदन है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से, सामान्य दृष्टिकोण से, व्यापार तथा वाणिज्य के दृष्टिकोण से, ये प्रतिबन्ध न्यायोचित नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : माननीय वित्त मंत्री जी ने मूल खंड पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ संशयों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान लीजिये कि किसी मृत-व्यक्ति ने अपने हिस्सों का हस्तांतरण अपने जीवन काल में ही कर दिया है और उस के पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या सरकार को कम्पनी पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार होगा कि वह हस्तांतरण को स्वीकार न करे ? अथवा इस संशोधन का यह तात्पर्य है कि हस्तांतरण मृत-व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि द्वारा ही किया जायगा ?

सरकार को इस प्रकार के हस्तांतरण को रोकने अथवा उसे मान्यता न देने का पूरा अधिकार है। किन्तु चीज़ यह है कि कम्पनी पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से क्या हिस्सों के परिचालन में बाधा नहीं पड़ेगी और उन के मूल्यों में गिरावट नहीं आयेगी। इस से हमारे व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हिस्सों की हस्तांतरितता में इससे बाधा पड़ेगी तथा हिस्सों के मूल्यों में कमी आने की सम्भावना होगी। मैं समझता हूं कि खंड ७२ की दृष्टि में, इस प्रकार का अधिकार देना बिल्कुल अनावश्यक है। सरकार खंड ७२ के अन्तर्गत सारे हस्तांतरण को रद्द कर सकती है। इस खंड से पर्याप्त संरक्षण मिल जाता है।

श्री पाटस्कर : मैं उप-खंड (२) के लक्ष्य से पूर्णतया सहमत हूं। जिन लोगों के हिस्से हैं और जो सम्पदा-शुल्क के दायी हैं उनके सम्बन्ध में अवश्य ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे कि हिस्सों का हस्तान्तरण रोका जा सके। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को तीन या चार रुपये के हिस्से उत्तराधिकार में मिलते हैं और वह उनका हस्तान्तरण कर देता है तथा उसके बाद यह पाया जाता है कि वह सम्पदा-शुल्क का दायी है तो उससे शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि हिस्सों का हस्तान्तरण हो चुका है। इसलिये मैं उप-खंड दो के लक्ष्य से सहमत हूं। किन्तु इसकी शब्दावलि बहुत विस्तृत है। इस के परिणामस्वरूप ९० फ़ीसदी हिस्सेदारों को, जो सम्पदा शुल्क के दायी नहीं हैं परेशानी होगी। कम्पनियों के मैनेजरों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सर्वोत्तम बात यह होगी कि उन्हें यह परेशानी भी न उठानी पड़े और लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाये—ऐसा मार्ग हमें निकालना चाहिये। जो लोग आय-कर देते हैं उनके नाम आय-कर अधिकारियों के पास होते ही हैं। जो लोग आय-कर नहीं देते उनके नाम भी आय-कर अधिकारियों के पास होते हैं क्योंकि उन्हें रुपये की वापसी के लिये कहना पड़ता हैं। इसलिये आय-कर अधिकारियों के लिये यह

[श्री पाटस्कर]

मालूम करना अधिक कठिन नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति सम्पदा-शुल्क के दायी हैं । उनकी संख्या बहुत कम होगी । अतएव इस प्रकार का विस्तृत उपबन्ध करना ठीक नहीं होगा । सरकार आसानी से मालूम कर सकती है कि कौन कौन व्यक्ति सम्पदा-शुल्क के दायी हैं । मान लीजिये कि कम्पनी के मैनेजर को अधिकार दे दिया जाता है कि वह परेशानी पैदा कर सकता है । अनेक हित सन्निहित हैं । यदि मैनेजिंग एजेंट कुछ लोगों को बाहर रखना चाहे तो ऐसा कर सकता है । मैं समझता हूं कि उसका यह अधिकार यदि कम नहीं किया गया तो निश्चय ही वह सामान्य व्यवस्था में हस्ताक्षेप करेगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं अपने मित्र श्री भार्गव से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि यह उपबन्ध संविधान के उपबन्ध से अवरोधित है । संविधान के अनुच्छेद १९ के उपखण्ड (५) के अनुसार साधारण जनता के हितों अथवा अनुसूचित आदिमजाति के हितों के संरक्षण के लिये उचित निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं । सम्पदा शुल्क का लगाया जाना जनता के हित में है । सरकार द्वारा ऐसा किया जाना पूर्णतः वैधानिक है ।

किन्तु जहां तक इस का व्यवहारिक पहलू है वह किसी प्रकार से लाभदायक नहीं है । खण्ड ७२ के अन्तर्गत सम्पत्ति पर शुल्क तो लगेगा ही चाहे वह किसी के पास जाये । दूसरी बात यह है कि यदि कम्पनी अधिकारियों को मृत्यु का पता भी लग जाता है तो भी वे उसे सरकार के लाभ के लिये प्रयोग नहीं करेंगे । फिर, जो व्यक्ति धन देकर बिना सूचना के खरीदता है उसके विरुद्ध आप कर ही क्या सकते हैं । मेरे विचार में इस से जनता को अधिक परेशानी होगी तथा सरकार को उसके मुकाबले बहुत कम लाभ होगा । अतएव, मेरा निवेदन है कि खण्ड ७२ तथा संविधान के अनुच्छेद १९ को ध्यान में रखते हुए यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री वी० बी० गांधी : खण्ड ८० के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने अपने संशोधन संख्या ५९२ तथा ७४४ रखे है । किन्तु इनसे उद्देश्य पूरा नहीं होता है । यदि उपखण्ड (२) निकाल दिया जाये तो उससे इस खण्ड के अन्य उपखण्डों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । मेरे विचार में इस उपखण्ड (२) के कारण कठिनाइयां हल होने की बजाय और बढ़ जायेंगी । शेयरों के सम्बन्ध में शुल्क प्राप्त होने में देर लगा करेगी । इस प्रकार जिस उद्देश्य को ले कर यह उपखण्ड रखा गया है वही पूरा न हो सकेगा । इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण दिये जा चुके हैं । अतएव, मेरा निवेदन है कि उप-खण्ड (२) निकाल दिया जाये ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): मेरा वित्त मंत्री से केवल इतना ही निवेदन है कि इस खण्ड पर दो पहलुओं से विचार किया जाये । पहला तो यह कि शेयरों के लेन देन में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी तथा जनता शेयरों को खरीदना बन्द कर देगी तथा दूसरा यह कि शेयर खरीदने वाले अधिकतर लगभग ८० से ९० प्रतिशत लोग मध्यम श्रेणी के होते हैं इसलिये उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले वैधानिक पहलू को लेता हूं । पहले तो यही कि कम्पनी विधि के अन्तर्गत समझौते के रूप में शेयरों के लेन देन पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं । उदाहरण के लिये, गैर-सरकारी कम्पनी में शेयरों के

हस्तांतरण पर निर्बन्धन हैं। हमें अब जिस प्रश्न पर विचार करना है वह कुछ और ही है, अर्थात् क्या किसी कानून द्वारा संविधान के अनुच्छद १९ (च) के विरुद्ध शेयरों के हस्तांतरण किये जाने की स्वतंत्रता है पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है। विधि मंत्रालय की राय में यहां पढ़ रहा हूं, "पहले तो इसी बात पर विचार करना है कि क्या वास्तव में संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता पर कोई निबन्धन है।" हमारे खंड ८० (२) में इस प्रकार का कोई निबन्धन नहीं है। यदि कोई निबन्धन है भी तो वह अप्रत्यक्ष रूप में है, अर्थात्, जब तक कुछ शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हस्तांतरण हो जाने के पश्चात् भी कम्पनी की पुस्तक में पंजीबद्ध नहीं किया जायेंगे। उदाहरण के लिये, क्या यह ठीक होगा कि ऐसा कोई उपबन्ध कर दिया जाय कि अचल संपत्ति के संबंध में तब तक कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसके संबंध में कोई दस्तावेज पजीबद्ध नहीं करा लिया जाता है? यह सदृश मामला है। इसीलिये यह भी कहा जा सकता है कि कोई निर्बन्धन नहीं है। अर्थात् यह निर्बन्धन कुछ विशेष कार्यों के लिये लगाये जाते हैं; वे हस्तांतरण की स्वतंत्रत में हस्तक्षेप नहीं करते। मान लीजिये कि अनुच्छद १९ (च) का उल्लंघन करते हुए कोई निर्बन्धन है भी तो सवाल यह उठता है कि वह निर्बन्धन जन हित को देखते हुए उचित भी है अथवा नहीं।

जब राज्य संपदा शुल्क लगाने का निश्चय करता है तो कोई भी प्रावधान, जो सरकार को शुल्क जमा करने में तथा उसके अपवंचन को रोकने में सहायता देता है, अवश्य ही जनहित में होना चाहिये। यह विशेष उपबन्ध कुछ दशाओं में हस्तांतरण के पंजीबद्ध किये जाने पर निर्बन्धन लगाता है, जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं करदी जाती हैं विशेषकर जब कि सरकार को यह ज्ञात हो जाता है कि किसी विशेष सदस्य की मृत्यु हो गई है। संपदा शुल्क का अपवंचन न हो इसीलिये क्या कम्पनी की सहायता लेना ग़लत है? मेरे विचार में नहीं। यह विधि मंत्री की राय है।

इस संबंध में उचित निर्बन्धनों के कुछ तुलनात्मक उदाहरण दिये जा सकते हैं। आय-कर अधिनियम की धारा ४६-क के अनुसार भारत में अधिवासी व्यक्तियों के पास भारत छोड़ने के पहले कर चुकाने का सार्टीफिकेट होना आवश्यक है। जन हित को देखते हुए यह अबाध संचरण पर निर्बन्धन है। कर भुगतान संपति (हस्तांतरण) अधिनियम, १९४९ को ही लीजिये। इस अधिनियम द्वारा लगाये गये निर्बन्धन और भी कड़े हैं; यद्यपि यह संविधान के पहले का अधिनियम है फिर भी, अभी तक इसको न्यायालय में नहीं ले जाया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि शब्द 'साधारण जनता के हित में' है न कि 'जन हित'। मूल अधिकारों के अध्याय को जल्दी जल्दी म देखने पर भी मैं उन की बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि जहां जनहित का सवाल है वहां 'जनहित' दिया हुआ है। 'जनहित' तथा 'साधारण जन हित' में मैं कोई अन्तर नहीं समझता हूं। शायद निर्देश अनुसूचित आदिमजातियों तथा साधारण जन हित में विभेद करने से है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यह संविधान के किसी अनुच्छेद, विशेष कर १९ (च) का उल्लंघन नहीं करता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या वित्त मंत्री इस बात से सहमत हैं कि अर्जन करने पर कोई निर्बन्धन नहीं है। एक व्यक्ति धन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

देता है, फिर भी, जब तक वह शेयरों को पंजीबद्ध करा लेने में सफल नहीं होता तब तक उसको शेयर प्राप्त नहीं हो सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : अर्जन पर कोई निर्बन्धन नहीं है । अपवंचन रोकने के लिये हम ने प्रवर कमेटी में इस खंड को निविष्ट किया था । उस समय हमारे मस्तिष्क में विशेषत: प्रापकशून्य हस्तांतरण थे । साधारण मामलों में इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । परन्तु प्रापकशून्य हस्तांतरणों द्वारा अपवंचन करना बहुत सरल है । क्योंकि हस्तांतरणों में प्राप्त करने वाले का नाम तो लिखा नहीं होता, फिर भी, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने वह शेयर धन देकर खरीदे हैं तो पंजी में दूसरे व्यक्ति का नाम लिखे रहने पर भी उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार के प्रापकशून्य हस्तांतरणों को रोकने के लिये यह खंड निविष्ट किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिये कुछ शेयर 'क' के नाम में पंजीबद्ध हैं । वे 'क' से 'ख' और 'ख' से 'ग' तथा 'ग' से 'घ' को चले जाते हैं । 'घ' की अपने नाम में शेयर पंजीबद्ध कराये बिना ही मृत्यु हो जाती है । 'क', जो मूल व्यक्ति है उसकी मृत्यु नहीं होती । फिर सरकार को क्या लाभ होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा अभिप्राय केवल 'क' की मृत्यु से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि 'घ' वास्तविक मालिक हो ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि इस प्रकार के लेन देन का पता लग जाता है तो यह सभी व्यक्ति शुल्क देने के लिये ज़िम्मेदार ठहराय जायेंग । अतएव, जब कभी भी कम्पनी में मूल पंजीयन में परिवर्तन कराने का प्रश्न उठेगा तो शुल्क ले लिया जायगा । लाभांश प्राप्त करना एक ऐसा उद्देश्य हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिसकी मृत्यु होती है वह 'घ' व्यक्ति है । पंजीयन 'क' के नाम में है । परन्तु वह 'ख' को और 'ख' 'ग' को तथा 'ग' 'घ' को हस्तांतरण कर देता है । यदि 'क' और 'ङ' मिल जाते हैं तथा 'क' जो अब भी जीवित है, कम्पनी को यह लिख देता है कि शेयर 'ङ' के नाम में हस्तांन्तर कर दिये जायें तो इस संशोधन का क्या लाभ होगा ? मृत्यु तो 'घ' की होती है । निस्संदेह यदि शेयर उस के नाम में हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है तो यह संशोधन हस्तान्तरण के बीच आता है । किंतु हो सकता है अधिक सीमा तक यह संशोधन क्रियाकारी न हो । फिर सरकार को क्या लाभ होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि किसी व्यक्ति की मत्यु नहीं होती है तो यह लागू नहीं होता है । हमारा सम्बन्ध तो केवल मृत व्यक्ति की सम्पत्ति से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के अनभव के आधार पर हस्तान्तरण में सामान्यतया कितना समय लगता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : कोई छ: महीने लगते हैं और एक वर्ष के भीतर ही लाभांश प्राप्त होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या लाभांश बिना पंजीयन के नहीं दिये जा सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक मुझे ज्ञात है लाभांश केवल पंजीबद्ध स्वत्वधारियों को ही दिये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शेयरों के हस्तान्तरण न होने पर भी धन समय समय पर

प्रष्ठाकन के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रतिबन्ध के होते हुए भी, सामान्य प्रथा यह है कि जब तथा जैसे ही हस्तान्तरण होता है उसे पंजीबद्ध कर लिया जाता है । इस मामले विशेष को ही पकड़ने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : आप का आशय कदाचित यह है कि अपवंचन की अनेकों घटनायें हो सकती है । मुझे भी इसम को सन्देह नहीं है कि ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जायेंगे, परन्तु उनका पता लगने पर हम उन के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या खण्ड ७२ मृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति के हस्तान्तरण में बाधा नहीं डालेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ७८ में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी चीज़ को रद्द कर दे । यह खण्ड तो केवल प्रथम करारोपण के सम्बन्ध में है, उस में तो केवल यही है कि यदि प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया है तो कोई करारोपण नहीं है । हस्तान्तरण न होने की दशा में भी सरकार सम्पत्ति को लेने वाले दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है । हम यह कल्पना कर लेंगे कि उनका हस्तान्तरण हो गया है और कम्पनी के खातों में इसे दर्ज कर लिया गया है । सरकार को किस प्रकार हानि होती है ? खण्ड ७२ के अनुसार यह प्रथम करारोपण है । खण्ड ७३ के अनुसार बिना सूचना दिये मूल्य लेकर हस्तान्तरण किये जाने पर खरीदने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षण मिल जाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड ७२ से सरकार का उद्देश्य यह है कि हस्तान्तरण से पूर्व भुगतान किये जाने पर आग्रह किया जाये । यदि वह वास्तविक खरीदार है तो पंजीयन न होने पर भी वह बच निकलेगा और शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं है उदाहरण के लिये यदि कोई ऐसा स्वयंचालित साधन होता जिससे कि हम को हस्तान्तरण की बात मालूम हो जाती तो हम भी वही कुछ कर सकते हैं जो कि यह कम्पनियां कर सकती हैं । हम केवल यही कर रहे हैं कि इस मामले का दायित्व हम कम्पनी के कन्धों पर डाल रहे हैं । क्योंकि यह बातें उस के पास सामान्य कार्यवाही के सिलसिले में आती रहती हैं । उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई करारोप तो नहीं है । यदि कम्पनी हम को यह सूचित करती है कि कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है तो हम उस समय भी सम्पत्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं । इस से केवल यही लाभ है कि बहुत प्रारम्भ में ही इस बात की जांच हो जाती है कि कोई सम्पदा शुल्क से बच तो नहीं रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी सम्पत्ति को लेगा वह शुल्क देने के दायित्व के अधीन लेगा । केवल बात इतनी ही है कि उस का नाम प्रकट करना होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : उसे हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे कम्पनी के पास जाना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिसे भी हस्तान्तरण कराना होता है वह ही कम्पनी के पास जाता है, इसमें मरने जीने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह खण्ड तभी लागू होता है जब कि मृत्यु हो गई हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रारम्भिक अवस्था में इस से सरकार को किस प्रकार सहायता मिलती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उसे प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने सम्पत्ति का शेयर मूल्य देकर खरीदे हैं । वह सरकार के पास आने के लिये बाध्य नहीं है और न सरकार के पास ऐसे कोई साधन हैं जिन स यह ज्ञात

[श्री सी० डी० देशमुख]

हो सके कि मृत व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों के मध्य कितने हस्तान्तरण हो चुके हैं।

उपाध्यअ महोदय : हम यह मान लेंगें कि कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ तो सरकार को सूचना देना कम्पनी का कर्तव्य है।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ भी हो, जो कुछ हमें ज्ञात होगा कि कुछ सम्पत्तियां जो सम्पदा शुल्क के आरोपण के अधीन नहीं होंगी छूट जायेंगी क्योंकि हमारे पास यह प्रमाण होगा कि या तो उन का प्रतिफल दे दिया गया है या प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। अतः बहुत से मामले प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार की जांच से अपवर्जित हो जायेंगे। यह एक सीमित विषय है और इसे सीमित सफलता से ही तै करना है। श्री पाटस्कर का यह सुझाव कि आयकर अधिकारी को पूर्ण सूचना प्राप्त होनी चाहिये बहुत सुन्दर है। पर आयकर तो अकृषि आय पर ही लगता है। बहुत सी कृषिआय ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु इस का शेयरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री सी० डी० देशमुख : शेयरों का एक अभिलेख रखा जाता है क्योंकि अन्य प्रकार की आयें भी हो सकती हैं। मेरा आशय यह है कि शेयरों से आय होती है। बहुत सी ऐसी सम्भावित सम्पत्तियां हो सकती हैं जिन में भी अंश भागिता हो, परन्तु उनका आयकर से कोई सम्बन्ध न हो।

दूसरे मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा ५४ इस प्रकार की सूचना के दिये जाने म रुकावट नहीं डालेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस में भी आशय का एक खण्ड ह

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु वह अभी पारित नहीं हुआ है। अतः मेरा यह कहना ठीक है कि यह सूचना आयकर अधिकारी के पास सदैव ही नहीं होगी। दूसरे आयकर का निर्धारण देर से किया जाता है। वह सामान्यतः आय की उस वृद्धि से दो तीन वर्ष के बाद लागू होता है, परन्तु हम चाहते हैं कि सम्पदा शुल्क का निर्धारण शीघ्रातिशीघ्र हो जाये। अतः इन्हीं कारणों से मैं अपने संशोधन पर किये गये इस संशोधन विशेष को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

परन्तु जहां तक परक्राम्यता या लोगों को होन वाली असुविधा के सम्भावित प्रभाव का सम्बन्ध है, हमने एक औद्योगिक सार्थ से पूछ ताछ की थी। उसका कथन है कि जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है यह हस्तान्तरण तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाते हैं अथवा क्षतिपूर्ति-बन्धनामों के आधार पर किये जाते हैं। सभी कम्पनियां इसी प्रणाली के अनुसार कार्य करती हैं। प्रापक शून्य हस्तान्तरण सामान्यतः काल्पनिक शेयरों के सम्बन्ध में किये जाते हैं। यह बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता था। यदि किसी को यह सन्देह हो कि इस से सभी शेयरों की परक्राम्यता पर प्रभाव पड़ेगा तो मेरा उत्तर 'नहीं' है। केवल उन्हीं व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो किसी न किसी प्रकार की सट्टे बाज़ी करते हैं।

इस खण्ड के सम्बन्ध में बम्बई स्टाक एक्सचेंज के सभापति से पूर्णरूपेण विचार विमर्श हो चुका है और कलकत्ता तथा अन्य स्टाक एक्सचेंजों की ओर से भेजे गये प्रतिनिधानों पर भी ध्यान पूर्वक विचार किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कथनानुसार यदि इस खण्ड में दो परिवर्तन कर दिये जायें तो यह खण्ड स्टाक एक्सचेंजों को स्वीकार्य होगा। मैं माननीय सदस्यों

से निवेदन करूंगा कि वह उन व्यक्तियों की बात को मान लें जिन का व्यवसाय ही शेयरों की परक्राम्यता से सम्बन्ध रखता है और जो जीवन भर यही कार्य करते रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : खण्ड ५१ (३) के अनुसार सम्पदा शुल्क के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को छः महीन के भीतर सरकार को अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना देनी होगी। मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में भी कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाये। यह अवधि छः महीने की रख दी जाय क्योंकि इस बीच सरकार को सभी सूचना मिल जायगी। ऐसा न किये जाने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अनिश्चित समय लगेगा।, इसलिये समय सीमा निश्चित की जानी आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के सम्बन्ध में मुझे दो शंकायें हैं, और मेरी इच्छा है कि निर्णय करने से पूर्व उन का समाधान कर दिया जाये।

यह कहने का क्या आशय है कि अफ़सरों के लिये पंजीयन करना अवध होगा ? हम यह मान लेंगे कि नये व्यक्ति के नाम से हस्तान्तरण का पंजीयन इस सूचना के अनपेकक्ष कि पूर्वाधारी की मृत्यु हो चुकी है, भी करना है। तो इस हस्तान्तरण का क्या होगा ? क्या वह निर्थक है ? अथवा क्या उक्त अफ़सर को दंडित किया जायेगा ? तो क्या पंजीयन कार्यालय में किया गया यह हस्तान्तरण निरर्थक हो जाता है ? न तो हस्तान्तरण निरर्थक होने को है और न पंजीयन ही रद्द होने को है। सरकार को सूचना कैसे मिलेगी ? मान लीजिये कि हस्तान्तरण कई लाख रुपये के मूल्य का है, तो कम्पनी पर केवल कुछ हजार रुपयों का ही दंड दिया जायगा। क्या यह उचित प्रतिबन्ध है ? जब भी कोई मरे, वे उसकी सम्पत्ति कर योग हो अथवा नहीं, और कम्पनी को यह बात ज्ञात हो जाये तो उसे तुरन्त सूचना देनी चाहिये। सम्पत्ति बीस हजार की ही हो। वह सम्पदा कर के आरोपण योग्य न हो, पर उसके शेयर भी तो हो सकते हैं। तो यदि उसके सौ या दो सौ रुपये के शेयर हों तो क्या उसे अविलम्ब सूचना देनी चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल उत्तरदायी व्यक्ति जिन को खण्ड ५८ के अन्तर्गत लेखा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह मान लेते हैं कि वह उत्तरदायी है। परन्तु यहां पर मेरा आशय खण्ड १९ (५) में व्यक्त उस की सम्पत्ति से है। तो यह कहना कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है, उचित नहीं है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह निश्चित रूप से कहा गया है कि इस से विक्रय तथा उत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सम्पत्ति बेची जा सकती है, पंजीयन ऐसी कार्यवाही है जिसे चाहे तो न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में वह अनावश्यक है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब तक पंजीयन ही नहीं हुआ तब तक अर्जन का लाभ ही क्या है ? यह तो एक इच्छानुसार विक्रय है।

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु समवाय अधिनियम की धारा ३४ में इस की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल स्टाम्प शुल्क के हित में ही नहीं है। यह कम्पनी के हितों को भी सुरक्षित करता है। सम्पदा शुल्क के अतिरिक्त और कोई अन्य साक्ष्य भी होना चाहिये।

संशोधन संख्या ५९२ तथा ७४४ के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है और यह कहा गया है कि हमारे संविधान के अनच्छेद

[उपाध्यक्ष महोदय]

१९ (१) (च) की भावना के प्रतिकूल है। श्री यू० एम० त्रिवेदी ने यह आपत्ति की है कि यह खण्ड वर्तमान कानूनों पर प्रभाव डालेगा, परन्तु उन के इस कथन में कि भविष्य में कोई कानून न बनाये जायें कोई बल नहीं है। मैं इसे प्रत्यादिष्ट करता हूं।

जहां तक 'सामान्य जनता के हितों में' शब्दावलि के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का सम्बन्ध है मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कि इस शब्दावलि का प्रयोग किया गया हो। राज्य की करारोपण नीति पर जो भी चीज़ प्रभाव डालती है वह सार्वजनिक हित की बात बन जाती है। जिस शब्दावलि का सुझाव दिया गया है वह भी प्रायः वही है। जो कुछ भी राज्य के हित के लिय किया जाता है वह सार्वजनिक हित में ही होता है।

प्रश्न केवल यही है कि यह संशोधन किस प्रकार मुक्त हस्तान्तरण में बाधक है। पंजीयन कराना किसी प्रकार से भी सम्पत्ति के मुक्त हस्तान्तरण में बाधा नहीं है। यदि क्रय विक्रय वैध रूप से होता है तो खरीदार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि वह प्रमाणिक खरीदार नहीं है तो सरकार को कोई हानि होती नहीं है। सरकार का एकमात्र आशय यह मालूम होता है कि चाहे कोई खरीदे उसे नियन्त्रक से प्रमाणपत्र या स्वीकृति लेनी होगी और इस प्रकार नियन्त्रक को यह सूचना मिल जायेगी कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पास कुछ शेयर हैं। मेरे समक्ष यह प्रश्न है कि शयरों के मुक्त हस्तान्तरण में नियन्त्रक के प्रमाणपत्र या स्वीकृति पर आग्रह किये जाने से कितनी रुकावट पड़ती है। खण्ड ५१ में उत्तरदायी व्यक्ति, उस के शुल्क तथा दायिता का ब्यौरा दिया गया है। सम्भव है कि इस समय ऐसा कोई प्रतिवन्ध न हो कि हस्तान्तरण न किया जाये अथवा किया गया हस्तान्तरण अवैध समझा जाये। प्रत्येक व्यक्ति अपना हिसाब देने का उत्तरदायी है। परन्तु दूसरा प्रश्न है सम्पत्ति के परिचालन को रोकने के लिये हस्तान्तरण की मनाही। सम्भव है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास सम्पत्ति तो कुछ भी न हो पर कुछ शेयर हों। अब यदि प्रत्येक को नियन्त्रक का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़े तो मेरे विचार से परिचालन यह एक बहुत ही कठोर नियन्त्रण होगा, एक तरह से वह परिपालन में रुकावट डालेगा। मेरा प्रश्न यह है कि यदि इतने प्रतिबन्ध होने पर भी कम्पनी हस्तान्तरण कर दे तो क्या होगा। उस व्यक्ति को दंड दिया जायेगा, परन्तु पंजीयन अवैध नहीं होगा। अतः मेरा विचार है कि इस में हस्तान्तरण के मान्य होने अथवा हस्तान्तरणों के होने में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। यदि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले तो उत्तम है। यह इन हस्तान्तरणों के प्रचालन, परिचालन अथवा परक्राम्यता की राह में कोई रुकावट नहीं बनेगा। मैं इस आपत्ति को प्रत्यादिष्ट करता हूं। इस में कोई औचित्य प्रश्न भी नहीं है। केवल कुछ असुविधा ही हो जायेगी।

प्रश्न यह है :

कि श्री सी० डी० देशमुख के संशोधन में शब्द 'unless' ('जब तक') के पश्चात 'the company is satisfied that transferee has acquired such shares for valuable consideration '["कम्पनी को पक्का विश्वास हो गया है कि हस्तान्तरिती ने उन शेयरों को मूल्य देकर प्राप्त किया है अथवा "] निविष्ट किया **जाए**।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्य महोदय : अब श्री सी० डी० देशमुख का संशोधन संख्या ७४४ द्वारा संशोधित संशोधन संख्या ५९२ है।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३५ में, पंक्ति ३३ से ३९ तक के लिए आदिष्ट किया जाए :

"(2) If any member of a company formed and registered under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) dies after the commencement of this Act and the Company through any of its principal officers as defined in section 18 has knowledge of the death, it shall not be lawful for the company to register the transfer of any shares standing in the name of the deceased member unless the company is satisfied that the transferee has acquired such shares for valuable consideration or there is produced before it a certificate from the Controller that either the estate duty in respect thereof has been paid or will be paid or none is due, as the case may be".

["(२) यदि भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ की संख्या ७) के अधीन बने हुए तथा पंजीबद्ध किसी समवाय का कोई सदस्य इस अधिनियम के आरंभ के बाद मर जाता है और समवाय को धारा १८ में बताए गए अपने किसी प्रमुख पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, तो समवाय के लिए मृतक सदस्य के नाम में रहने वाले किसी अंश के हस्तान्तरण को पंजीबद्ध करना तब तक वैध न होगा, जब तक उसे पूरा संतोष न हो कि हस्तांतरणीय व्यक्ति ने वे अंश दाम चुका कर लिए हैं या उस के समक्ष नियंत्रक का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि तत्सम्बन्धी संपदा शुल्क चुका दी गई है, या, यथास्थिति, चुका दी जाएगी या कुछ भी आदेय नहीं है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३५ की पंक्ति २७ और २८ में——

"at such scale as may be fixed by the Act of Parliament in pursuance of section 34" ['उस माप पर, जो संसद् के अधिनियम द्वारा धारा ३४ के अनुसार निश्चित की जायगी'] के स्थान पर 'at the rates mentioned in Part III of the Second Schedule' [द्वितीय अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित दरों पर'] आदिष्ट किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शेष संशोधनों में से श्री एस० जी० पारिख द्वारा अपना संशोधन संख्या ७४६ सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया, शेष सारे संशोधन अवरुद्ध हो गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

[उपाध्यक्ष महोदय]

"खंड ८० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ८१—(नियम बनाने की शक्ति आदि)

श्री पाटस्कर द्वारा अपना संशोधन संख्या ७५२ प्रस्तुत किया गया, जिस में केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति देने का और उन के केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के सूचना पत्रों (गज़टों) में तथा प्रत्येक भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने का और उन के दोनों सदनों में रखे जाने का उपबन्ध किया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३५ की पंक्ति ४७ में "previous publication" ['पूर्व प्रकाशन"] के पश्चात "and subject to the control of Central Government" ["और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए"] निविष्ट किया जाए ।

(२) पृष्ठ ३६ में पंक्ति २ के बाद निविष्ट किया जाए :

"(1A) The power to make rules conferred by this section shall, on the first occasion of the exercise thereof, include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date of the commencement of this Act".

["(१क) इस धारा द्वारा नियम बनाने के लिये दी गई शक्ति में, उस के पहले-पहल प्रयुक्त करते समय, नियमों या किसी नियम को ऐसी भूतलक्षी तिथि से प्रभावी बनाने की शक्ति सम्मिलित होगी, जो इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से पहले की तिथि न हो "।]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सदन में प्रस्तुत किये गये ।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मेरा संशोधन न केवल इस विधान से संबंधित है, बल्कि कुछ साधारण प्रकार की, बातों को भी लेता है । वित्त मंत्री द्वारा अभी रखे गये संशोधनों के साथ मेरा यह संशोधन मान लेने पर मुख्य अन्तर यह रहेगा कि एक तो नियम बनाने की शक्ति किसी संविहित संस्था में निहित न हो कर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी और दूसरे "Convenient to beprescribed" (विहित करने के लिए सुविधापूर्ण) जैसे भ्रामक शब्द उसमें न रहेंगे। फिर जिस प्रकार का उपबंध अंग्रेजी विधि में है, एक बात मैं ने यह रखी है कि जब तक ये नियम भारत सरकार के सूचनापत्र (गज़ट) में प्रकाशित न हो जाएं, उन को प्रभावी नहीं माना जाएगा । इस प्रकार प्रकाशित बिना हुए ही वे नियम विधि जैसे प्रभावी न हो पायेंगे । इस के साथ ही वैसा बंधन बिना लगाए ही मैं ने यह भी उपबंध रखा है कि ये नियम राज्य सरकारों के सूचना पत्रों (गज़टों) और भाषाओं के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हों । राज्यों में और देहातों में भी अधिकांश लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, अतः उन का राज्य सरकारों के सूचना पत्रों और राज्यों की भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन भी आवश्यक

है। मैं ने चौथे उपखंड में यह उपबन्ध रखा है कि नियमों के प्रकाशन के बाद जब कभी भी दोनों सदन समवेत हों, तो उन के समवेत होने के दस दिन के भीतर ही इन नियमों को सदन-पटल पर रख दिया जाये। 'यथा संभव शीघ्र' रखने का उपबन्ध इंगलैंड के १८९३ के अधिनियम में भी था और महीनों तक उन को सदन-पटल पर न रखा जाता था। अतः १९४६ के अधिनियम में उन्हों ने इतना तक उपबन्ध रख दिया कि यदि सदन के समवेत होने के बाद एक अवधि विशेष के भीतर उन को सदन-पटल पर न रखा गया, तो वे प्रभावी भी न होंगे। मैं तो अगले सत्रारम्भ के दस दिन के भीतर ही उन के रखे जाने का उपबन्ध रख रहा हूं, जिस से यदि कोई सदस्य चाहे, तो उपयुक्त प्रस्ताव रख सके।

प्रतिनिध्यात्मक विधान-निर्माण का पर्याप्त अनुभव कर चुकने के बाद अब हम चाहते हैं कि उस पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण रहे। इस प्रजातंत्र प्रणाली में संसद् सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न है और सरकार उस के प्रति उत्तरदायी है। यही हमारे संविधान का सिद्धांत है। ऐसी दशा में संसद् उप-विधान बनाने की शक्ति सरकार को देगी या किसी अन्य निकाय को ? स्पष्ट ही संसद् सरकार या मंत्रिमंडल को ही यह शक्ति दे सकती है और उसी को यह शक्ति दी जानी चाहिये। १९१४ और १९३५ के महायुद्धों में इंगलैंड में ऐसे विधान बनाने की शक्ति बहुत से विभागों को दे दी गई थी। बाद में एक समिति बनी और उस ने इस प्रथा की जांच की। अन्त में १९४६ के संविहित लिखित अधिनियम की धारा ११ में यह उपबन्ध रखा गया कि राजकोष, नावधिकरण, व्यापार-बोर्ड आदि विभागों को दी गई शक्तियां विभाग के प्रभारी साम्राज्य-मंत्री को दी गई शक्तियां मानी जायेंगी।

आज जब हम उपविधान बनाने की शक्ति देने जा रहे हैं, तो हमें यह शक्ति मंत्री-परिषद् को ही देनी चाहिये, तभी प्रभावी संसदीय नियंत्रण रह सकेगा। संभव है, यह तर्क रखा जाए कि प्रथम वाचन में प्रकट की गई मेरी इस आपत्ति के कारण ही सरकार 'केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए' यह संशोधन रखने जा रही है, परन्तु तब संसद् का नियंत्रण बिल्कुल अप्रत्यक्ष होगा। यह ठीक है कि मंत्रिगण अपने विभाग के द्वारा ही विधान बनायेंगे, पर उन को शक्ति देने में उन पर संसद् का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहेगा। शक्ति सरकार को दी जाए और सरकार किसी दूसरे को शक्ति दे दे, तो मैं इस के विरोध में नहीं। पर इस का आधार गलत है, आप सरकार के अधीन किसी निकाय को शक्ति दे रहे हैं और उस दशा में संसद् का नियंत्रण बहुत दूर का बिलकुल अप्रत्यक्ष प्रकार का हो जाएगा। सरकार को शक्ति देने पर पर्याप्त नियंत्रण होता रहेगा।

इसी प्रकार इन के सदन पटल पर रखे जाने का प्रश्न है। सरकार को शक्ति देने के बाद नियमों के सदन के सम्मुख आने पर हम उन को बदल सकेंगे। पर किसी तीसरे द्वारा नियम बनाये जाने पर सरकार कहेगी कि ये नियम संसद् द्वारा नियुक्त निकाय ने बनाए हैं और सरकार उत्तरदायी नहीं है। अतः सरकार को शक्ति देना और बोर्ड को शक्ति देना दो पृथक् बातें हैं। यह ठीक है कि सरकार अपने विभाग से ही नियम बनवाएगी, पर संसद् द्वारा सरकार को शक्ति न दे कर विभाग को शक्ति देते समय हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिये। इस बात में हम इंगलैंड की प्रजातंत्र प्रणाली के अनुभव से लाभ क्यों नहीं उठाते हैं ? संभव है, यह कहा जाए कि सरकार के बीच में न पड़ने से बोर्ड सहज-संक्षम रूप में शीघ्रतापूर्वक नियम बना सकेगा। वह ठीक है,

[श्री पाटस्कर]

पर प्रश्न केवल शीघ्रता और सक्षमता का ही नहीं, संसदीय नियंत्रण का भी है । यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान के अधीन चलने वाली हमारी प्रजातंत्र प्रणाली में मंत्रि-परिषद् संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है । मैं इस बात से माननीय मंत्री को किसी अड़चन में नहीं डालना चाहता । मेरा तो उन से यही अनुरोध है कि कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या 'नियंत्रण में रहते हुए' ही पर्याप्त है । यदि यह शक्ति सरकार को दी गई, तो इस से सरकार को कुछ हानि नहीं होगी । सरकार को शक्ति देना एक बात है और किसी दूसरे निकाय को शक्ति देना दूसरी बात है । यदि सरकार यह सिद्धांत मान ले कि ये शक्तियां संसद् द्वारा प्रथमत: सरकार को ही दी जानी चाहियें, तो कोई कठिनाई न होगी, क्योंकि नियम तो बोर्ड या विभाग ही बना सकेगा ।

नियम बनाने से संबद्ध एक दूसरी बात यह है कि इन प्रतिनिध्यात्मक विधानों को समय से प्रकाशित किया जाए । यह सिद्धांत सभी प्रजातंत्र देशों में माना जाता है । इस विधेयक को ले कर सारे देश में चर्चा चल रही है और सब जानते है कि क्या हो रहा है, पर प्रतिनिध्यात्मक विधानों के विषय में उन का पर्याप्त रूप से प्रकाशन नितांत अपेक्षित है । यह ठीक है कि प्रत्येक नागरिक को ज्ञात होना चाहिये कि विधि क्या है, पर साथ ही सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि इन प्रतिनिध्यात्मक विधानों को खूब प्रकाशित किया जाए । इस में किसी को आपत्ति नहीं होगी । वह कह रहे हैं कि 'पूर्वप्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए,' पर यह प्रकाशन सरकारी सूचनापत्र में ही होना चाहिये । इंगलैंड में इस प्रकार प्रकाशित हुए बिना कुछ भी वैध नहीं हो सकता । हमारे आयकर अधिनियम की धारा ५९ में भी यही कहा गया है कि सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित हुए बिना वे नियम कार्यान्वित न हो सकेंगे । इसी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख यहां भी होना चाहिये । दुनियां के सारे प्रजातंत्रों में यह माना हुआ सिद्धान्त है कि प्रतिनिध्यात्मक विधानों का खूब प्रचार किया जाए । आयकर अधिनियम में भी यही बात थी, पर अब परिवर्तन करना क्यों आवश्यक समझा जा रहा है ? मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन को राज्य सरकारों के सूचनापत्रों और राज्यों की भाषाओं के पत्रों में भी प्रकाशित किया जाए । जब भारतीय समवाय अधिनियम में धारा १५३ (ग) जोड़ी गई थी, तब जलगांव में जिला अदालत में भी भारत सरकार के सूचनापत्र की प्रति नहीं मिली थी । इसी से मैं ने सुझाया है कि पूर्वप्रकाशन का अर्थ सरकारी सूचनापत्र में प्रकाशन माना जाना चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड) : जब तक इसे सार्वजनिक रूप से सूचित न किया जाय ।

श्री पाटस्कर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन का प्रकाशन, भारत सरकार के गज़ट के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के गज़ट में, तथा एक प्रादेशिक भाषा के समाचार-पत्र में भी, किया जाना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ही व्यक्तियों के मकान और सम्पत्तियां हैं जिन को इन की सूचना नहीं हो पाती है । मेरा तो कहना यह है कि इन को रेडियो द्वारा भी प्रसारित किया जाय । मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम के अनुसार जो नियम बनाये जायं वे संसद के दोनों सदनों के सामने रक्खे जायं । संसद का नियंत्रण प्रभावशाली बनाने के लिये यह आवश्यक है कि गज़ट में प्रकाशित होने के पश्चात दूसरा सत्र आरम्भ होने पर

उस की आरम्भ तिथि के दस दिन के अन्दर यह नियम सदन पटल पर रख दिये जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन में शब्द 'पहला' क्यों है ? क्या एक बार से अधिक प्रकाशन कराने का विचार है ?

श्री पाटस्कर : शब्द 'पहला' निकाला जा सकता है । मैं ने सोचा यह था कि यदि बह नियम एक बार नहीं वरन् दो बार प्रकाशित किये जायं तो उन को दूसरी बार सदन पटल पर रखना आवश्यक नहीं है ।

अस्तु, मेरा कहना है, कि यह तीन उपबन्ध—पूर्व प्रकाशन, पर्याप्त प्रकाशन की आवश्यकता, तथा पर्याप्त संसदीय नियंत्रण—बहुत आवश्यक हैं। "जितना शीघ्र हो सके"—इन शब्दों से पर्याप्त संसदीय नियंत्रण नहीं हो सकता है । इस लिये आशा है कि वित्त मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान, उन्हों ने एक संशोधन संख्या ५९३ की सूचना दी है जिसमें वह कहते हैं कि "पूर्व प्रकाशन" के पश्चात "तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के आधीन" निविष्ट किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य सरकार करे या बोर्ड करे इस में अन्तर क्या पड़ता है । बोर्ड भी तो सरकार के अधीन है । अभी तक संसद ने नियम बनाने का अधिकार सरकार के अतिरिक्त किसी को प्रत्यायोजित नहीं किया है । सरकार यही कार्य या तो स्वयं करेगी या अधिकारियों के द्वारा । पुराना व्यवहार क्यों बदला जाय ? इस से क्या लाभ होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार देने वाले खण्ड हम पारित कर चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आम तौर से नियम बनाने का अधिकार सरकार को प्रत्यायोजित किया जाता है । इस में क्या कठिनाई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसी सदन ने अनेक खण्डों में नियम बनाने का अधिकार बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है । यह सुविधाजनक हो या न हो अब इस वाद विवाद में पड़ने का समय नहीं रहा है । अब तो खण्ड ८१ में केवल अवशेष अधिकारों का ही प्रश्न बाकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या नियंत्रण का यह अर्थ है कि सरकार, बोर्ड के बनाये हुए नियमों में परिवर्तन कर सकती है ? कहा यह जाता है कि सरकार केवल आदेश दे सकेगी सरकार को उन नियमों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार न होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : जो भी आदेश दिये जायेंगे वे बोर्ड के लिये मान्य होंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं एक विशेष नियम बनाने के लिये सरकार बोर्ड की आलोचना कर सकती है तो क्या इस का अर्थ यह है बोर्ड इस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है ।

श्री गाडगिल : सरकार तो हर दशा में इस सदन के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि बोर्ड सम्बन्धी व्यय भी आय व्ययक में सम्मिलित होता है और उस के लिये भी वित्त मंत्री संसद के प्रति उत्तरवादी होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि आप नियम बनाने का अधिकार बोर्ड को देंगे तो सरकार केवल आदेश भर दे सकेगी । इसलिये यदि यह अधिकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार ही को प्रत्यायोजित किया जाय तो कोई हानि नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपत्तिजनक नियमों की सरकार आलोचना करेगी तो क्या

[उपाध्यक्ष महोदय]

सरकार बोर्ड को यह आदेश नहीं देगी कि इन नियमों को परिवर्तित कर दिया जाय ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परन्तु यदि नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जायेंगे तो सदन स्वयं उन को परिवर्तित कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल सदन पटल पर रख दिये जाने से सदन को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है कि वह नियमों को परिवर्तित कर सके जब तक यह संशोधन किया जाय कि ऐसे परिवर्तनों के आधीन जो संसद द्वारा किये जायं ?

श्री गाडगिल : कोई भी सदस्य प्रस्ताव रख सकता है कि इन नियमों पर विचार किया जाय तथा निम्नलिखित नियमों में परिवर्तन किया जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किस उपबन्ध के अनुसार ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख के संशोधन में या मूलखण्ड में या श्री पाटस्कर के संशोधन में किसी में यह नहीं है कि सदन पटल पर जो नियम रक्खे जायेंगे उन में वह परिवर्तन किये जा सकेंगे जो सदन करना चाहे। उन में तो केवल यह है कि वे नियम सदन पटल पर रक्खे जायेंगे। सदन पटल पर रक्खे जाने का तात्पर्य केवल सदन को सूचित करना है। केवल सदन पटल पर रख दिये जाने से सदन को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। प्रश्न तो केवल इतना है कि प्रत्यायोजन 'बोर्ड' को किया जाय या 'सरकार' को।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, कहा यह जाता है कि शब्द 'पूर्व प्रकाशन' की परिभाषा सामान्य खण्ड अधिनियम में दी जा चुकी है तथा इस लिये इन का प्रकाशन अनिवार्य रूप से गज़ट में होना ही चाहिये। यदि ऐसा है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा ही है।

श्री सी० डी० देशमुख : संसद यह कर सकती है कि तय कर दे कि कोई नियम नहीं होगा और इस अधिनियम को संचालित करने के लिये प्रत्येक संभव उपबन्ध इसी अधिनियम में सम्मिलित कर दिया जायगा। परन्तु अनुभव से पता चला है कि ऐसा करना असंभव है। सरकार का सामान्य नियंत्रण ही संसद का नियंत्रण है। संसद आपत्तिजनक नियमों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी और सरकार फिर उन के परिवर्तन कराने का प्रबन्ध करेगी और यदि सरकार संसद के सुझावों की अवहेलना करे तो यह बड़े ही आश्चर्य की बात होगी। प्रश्न तो केवल यह है कि नियम बनाने के अधिकार बोर्ड को प्रत्यायोजित किये जायें या केन्द्रीय सरकार को। अधिकतर विशिष्ट अधिकार बोर्ड को दिये जा चुके हैं अब हमारे वाद विवाद का विषय केवल अवशेष अधिकार हैं। इन में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी होंगे तथा इन के सम्बन्ध में सरकार के कड़े नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है।

नियंत्रण का अर्थ स्वीकृत नहीं है। दोनों क्रियायें अपनाई जा सकती हैं। या तो सरकार की स्वीकृति से नियम बनाये जायं या बोर्ड को नियमों के बनाने का अधिकार दे दिया जाय। बोर्ड जब आय कर अधिनियम के नियम बनाता है तो उस के साथ लिखा रहता है, "केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के आधीन" परन्तु यदि कोई विशेष महत्व की बात होती है तो बोर्ड साधारणतय: नियमों का उल्लेख, निर्गम के पूर्व, सरकार के पास भेज देता है। संभवत: सरकार भी समय समय पर आदेश निर्गम किया करती है।

श्री सी० डी० देशमुख : यह सभी "केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के रहते हुए"

नामक विषय में आ जाता है और मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध भी है। अतः एकरूपता के साथ ही हमारे वास्तविक अनुभव के द्वारा भी इस खण्ड को यों ही रखने में कोई आपत्ति नहीं जहां यह आय-कर अधिनियम की धारा ५९ के समान खण्ड के समानान्तर ही होगा। अनेक अन्य धारायें भी हैं जिन में आय-कर विधेयक से केवल कुछ मौखिक भिन्नतायें हैं, अतः इस उपाय को उपयुक्त बनाने के लिये हम पुनः इस पर वापस आ रहे हैं, जैसा कि धारा ६१ में है। अतः वस्तुओं को उसी अवस्था में रखना ही लाभ कर होगा।

पूर्व प्रकाशन के उपबन्ध के सम्बन्ध में उस का उत्तर देना आसान है। यहां किसी को कोई ऐसी चीज़ पर नहीं सोचना चाहिये जो असाधारण हो। किसी विधि पर आलोचना करते समय, प्रत्येक को सामान्य स्थिति का ही विचार रखना चाहिये। यह विन्दु सामान्य खण्ड अधिनियम के खण्ड २३ के अन्तर्गत आती है। यह बहुत बड़ी धारा है, किन्तु मैं इस का केवल प्रथम अंश ही पढ़ना चाहूंगा :

"जहां किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा विनिमय के द्वारा किसी नियम या उपविधि बनाने के सम्बन्ध में उन नियमों अथवा उप-विधियों की शर्त के अधीन लागू करने का अधिकार प्रकट कर दिया जाता है, जो पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने वाले हैं, तो निम्न उपबन्ध लागू होंगे जैसे :—

(१) वे अधिकारी जिन्हें नियमों अथवा उपविधियों को बनाने का अधिकार प्राप्त है, उन को बनाने से पूर्व, प्रस्तावित नियमों अथवा उपविधियों का एक प्रारूप बना कर उन लोगों की सूचना के लिये प्रकाशित करेंगे जिन को इन से हानि होने की सम्भावना है;

(२) यह प्रकाशन जिस प्रकार वह अधिकारी समुचित समझे उस प्रकार, पूर्व प्रकाशन के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार अथवा उस प्रकार किया जायगा जिस प्रकार केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक सरकार नियत करती है ;"

और इन के अतिरिक्त अन्य खण्ड भी हैं। "प्रारूप के साथ एक सूचना एक तिथि का विशिष्ट निर्देश करती हुई प्रकाशित की जायगी जिस से अथवा जिस के पश्चात् प्रारूप पर विचार करना प्रारम्भ किया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह "सरकारी गज़ट" में कहीं पर कहा गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, अन्तिम खण्ड का उप-खण्ड (५) बताता है कि :

"पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी भी नियम अथवा उपविधि का सरकारी गज़ट में प्रकाशित होना जो नियमों अथवा उप-विधियों को बनाने की किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई बताई जाती हैं, इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि इन विधियों को उचित ढंग से बनाया गया है।"

यह तर्कपूर्ण दृष्टि से उसी रूप में नहीं है जिस में उस का प्रकाशन होगा, किन्तु स्पष्टतः कम से कम इतना सरकार आवश्यक समझती है। मैं किसी भी माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं जो एक भी उदाहरण बता दे कि सरकारी गज़ट में कोई आवश्यक नियम नहीं प्रकाशित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सरकारी गज़ट में प्रकाशित नहीं हुआ होगा तो तब इस पर चुनौती स्वीकार की जायगी। इसी कारण सरकार इस ओर पूर्ण सजग रहती है।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड (२) के अधीन हम प्रकाशन के अन्य उपाय भी अपना सकते हैं, और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम माननीय सदस्य के इस महत्वपूर्ण सुझाव पर ध्यान दें या न दें कि यह एक, दो या तीन अखबारों में प्रकाशित होना चाहिये था। यह मूल विषय से बाहर की बात है। यह हो सकता है कि हम इस के अत्यधिक इच्छुक हों कि जनता की जानकारी के लिये हम इसे अनेक भाषा के अखबारों में प्रकाशित करायें। अतः सामान्य खण्ड अधिनियम के खण्ड २३ के उपखण्ड (२) के द्वारा विशेषकर सरकार को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। अतः जब तक सरकार मूर्ख न हो और नियमों को कुचलने के लिये जो इस विषय में बनाये गये हैं, ऐसी दशा में ही किसी व्यक्ति को मिलने वाले अधिकारों का उपयोग करना चाहिये तथा रखे गए सुझावों पर ध्यान देना चाहिये। अतः मैं इन सब चीज़ों को सम्मिलित करना और इस खण्ड को यह कह कर लादना कि इन का प्रकाशन सभी भाषाओं के अखबारों में होना चाहिये; आवश्यक नहीं समझता हूं।

अब दूसरा प्रश्न "सुविधा" के विषय में उठता है। यह शब्द मूल प्रारूपकार श्री बी० एन० राउ ने ही रखा था अतः यदि उसे निकाल देने के विषय में कोई संशोधन होता तो मैं उसे नहीं रोकता। इस को रखना हमारे लिये सुविधाजनक है, किन्तु यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह शब्द भद्दा लगता है, तो मैं उसे निकाल सकता हूं, किन्तु जैसा कि मैं ने बताया इस विषय में कोई भी संशोधन नहीं रखा गया है।

खण्ड ४६ से ५३ के विषय में किसी को आपत्ति नहीं। अतः वे रखे जा सकते हैं।

तत्पश्चात् "ज्यों ही" के स्थान पर "दस दिन" निविष्ट करने के विषय में मैं समझता हूं कि सदन को वे उदाहरण स्मरण होंगे कि जहां कार्यपालिका ने यह कार्य ले लिया है कि वह सदन के सम्मुख कोई भी मामला नहीं लायेगी। "यथा शीघ्र" एक विज्ञप्ति के पश्चात् दिया हुआ ही रहता है। निर्यात शुल्कों आदि के सम्बन्ध में भी ऐसे ही उपबन्ध हैं। आप को वह अवसर स्मरण होगा जब कि एक माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि निर्यात शुल्क कब लगाया गया था, उस को कितना समय व्यतीत हो चुका है। अतः यह भी एक ऐसा मामला है जिस पर सदन को विचार रखना चाहिये और इसी कारण सरकार की प्रत्येक आकस्मिक आवश्यकता तथा मूर्खता के लिये नियम बनाना आवश्यक नहीं है। यही एक सामान्य सूत्र है और इस से डर जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप का संशोधन है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं अपने संशोधन को युक्तियुक्त ठहराता हूं। मैं अपना संशोधन संख्या ५९३ रखता हूं, जो मैं पहले ही सोच चुका हूं, क्योंकि यह "और केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन" शब्द निविष्ट कराने के सम्बन्ध में है।

मेरा दूसरा संशोधन कुछ अधिक आवश्यक है। सभी अधिनियम के अन्तर्गत् बनाये गये नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन ही हैं तथा नियंत्रित समवायों से सम्बन्धित नियम भी १५ दिन में लोक सभा के समक्ष रखे जायेंगे। अधिनियम प्रारम्भ से ही लागू हो जाना चाहिये तथा नियमों के प्रथम समूह के सम्बन्ध में इन शर्तों का पालन होना भी आवश्यक है नहीं तो यह सम्भव हो सकता है कि कुछ मामले जिन पर सम्पदा शुल्क लगना चाहिये, वे बच जायं। परिणामतः एक उपबन्ध जैसा कि संशोधन में रखा गया है, आवश्यक जान पड़ता है। किन्तु हम ने इस के लिये भी प्रबन्ध कर लिया है कि

नियमों के प्रथम समूह के अनुसार शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, तथा उन नियमों का संसद् के सम्मुख रखना आवश्यक है। इस से संसद को किसी प्रकार का यह भय न होना चाहिये कि इस शक्ति का दुरुपयोग होगा। इस कठिनाई को दूर करने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि नियमों के प्रथम समूह के मामले में पूर्व प्रकाशन की आवश्यकताओं को दूर कर दिया जाय। प्रवर समिति में पूर्व प्रकाशन के साथ ही संसद के सम्मुख नियमों को रखने पर भी अत्यधिक जोर दिया गया था। और यह इसी कारण है कि मैं ने दूसरा उपाय चुना है।

श्री पाटस्कर : हर बार मेरा संशोधन अस्वीकार कर दिया जाता है, अतः उसे वापस ले लेना ही उचित है। मैं ने सरकार की आलोचना करने के उद्देश्य से यह नहीं कहा था, वरन् वैधानिक दृष्टिकोण से कहा था। मुझे गलती से यह समझा गया कि मैं सरकार की मूर्खता की आलोचना कर रहा हूं। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३५ पर, पंक्ति ४७ में,

"पूर्व प्रकाशन" के पश्चात् निविष्ट कीजिये :

"तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के रहते हुए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३६ पर,

पंक्ति २ के पश्चात् निविष्ट कीजिये :

"(१क) इस धारा द्वारा नियम बनाने के लिये दी गई शक्ति में, उस के पहले-पहल प्रयुक्त करते समय, नियमों या किसी नियम को ऐसी भूतलक्षी तिथि से प्रभावी बनाने की शक्ति सम्मिलित होगी, जो इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से पहले की न हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८१, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८१, जैसा संशोधित हुआ, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड—८२

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन संख्या २०६, श्री तुलसीदास द्वारा प्रस्तावित पूर्व उपबन्धों के अनुरूप नहीं है : क्या मैं इसे अनियमित घोषित कर दूं ?

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्तावित करता हूं :

पृष्ठ ३६ में, पंक्ति ४ के पश्चात् निविष्ट कीजिये :

"८२. मण्डल को सरकारी गज़ट में अधिसूचना के द्वारा किसी भी वर्ग की सम्पदाओं तथा विशेष कर छोटी सम्पदाओं को कुल अथवा इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त करने का अधिकार होगा जो उन शर्तों के अनुसार मण्डल नियत करेगा।"

मेरे विचार से छोटी सम्पदा वाले लोगों को जो मुक्ति सीमा के अन्तर्गत आती है उन्हें भी अपनी सम्पत्ति बेचने आदि के पूर्व सरकार के पास जाना पड़ेगा और ५०,००० रु० या १ लाख रुपये की अचल सम्पत्ति वाले लोगों को भी अपनी सम्पत्ति के निबटाने अथवा बेचने के पूर्व नियंत्रक से प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा। इस प्रकार तो और भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। मेरे विचार से सरकार अथवा मण्डल के हाथ में कम से कम उन सम्पदाओं को मुक्त करने का अधिकार तो रहना ही चाहिये जो मुक्ति सीमा के अन्तर्गत आती हैं

[श्री तुलसीदास]

नहीं तो प्रत्येक को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये नियंत्रक के पास जाना पड़ेगा.....

श्री सी० डी० देशमुख : क्यों ?

श्री तुलसी दास: इस कारण कि आप सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। कोई भी किसी मृतक की सम्पत्ति नहीं खरीदेगा। यह हस्तांतरित न होने वाली सम्पत्ति समझी जायगी, क्योंकि जो व्यक्ति उन्हें खरीदेगा उस की यह ग़लत धारणा होगी कि यह मुक्ति सीमा के अन्तर्गत् नहीं आती है। वह जान भी कैसे सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : बेचने वाला तो जानता होगा।

श्री तुलसीदास : किन्तु उसे मुक्ति-प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। हमारे यहां अन्य देशों की भांति कोई भी प्रशासन के पत्रों को जानने का प्रयत्न नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति खरीद लेता है तो यह सिद्ध किस प्रकार की जायगी बिना मुक्ति-प्रमाण पत्र के। अतः नियंत्रक के प्रमाणपत्र जारी किये बिना कोई भी सम्पत्ति नहीं बेचेगा। यदि ऐसा नहीं है तो सरकार अपना मत मुझे समझाये मैं मानने को तैयार हूं। किन्तु सरकार को कुछ सम्पदाओं को मुक्त करने का अधिकार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस के लिये नियम नहीं बनाये जा सकते ?

श्री सी० डी० देशमुख : यहां कठिनाई विधि के विषय में नहीं है। यहां तो माननीय सदस्य के कथनानुसार कठिनाई दो व्यक्तियों के सौदे के बीच है। खरीदने वाले को कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। उन का कहना है कि मृतक की सम्पदा पर कर लगने के कारण उसे कोई भी खरीदने को तैयार न होगा। इस का उत्तर यह है कि विधि में हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि उस अवस्था में ऐसी सम्पत्ति पर हमें कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा। इस का उपाय केवल यह है...

एक माननीय सदस्य : किसी वकील से परामर्श कीजिये।

श्री सी० डी० देशमुख : वकील के परामर्श की आवश्यकता नहीं, किन्तु मृतक की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान लगाना होगा। ऐसे देश में जहां ९० प्रतिशत लोग गरीब हैं, जिन की औसत आय प्रति वर्ष २६५ रु० है, मैं नहीं समझता कि सीमान्त मामलों के अतिरिक्त यहां कोई कठिनाई होगी। हम धारा ५१ (३) में जो व्यवस्था कर रहे हैं, यह वास्तव में उस व्यक्ति के लिये होगी जो यह अनुभव करेगा कि सम्पदा शुल्क देना है। यह उस की इच्छा पर है। जहां किसी को यह दृढ़ निश्चय हो कि सम्पदा शुल्क देना नहीं है, ऐसे मामले में उसे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। अतः यद्यपि एक कठिनाई हो सकती है—मैं यह अस्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इस में एक भी कठिनाई न होगी—किन्तु माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन विशेष से वह बढ़ नहीं सकती। विधिक रूप से छोटी सम्पदा क्या है इस का निश्चय करना असम्भव है। केन्द्रीय राजस्व मण्डल को एक सामान्य शक्ति दी भी किस प्रकार जा सकती है। एक उन्नतिशील खरीदार यह जान भी कैसे सकेगा कि केन्द्रीय मण्डल एक छोटी सम्पदा को मुक्त करने जा रहा है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दू विधि में भी यही कठिनाई उत्पन्न होगी। सीमान्त मामलों में कुछ न कुछ जोखिम उठानी ही पड़ेगी।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३६ पर,

पंक्ति ४ के पश्चात् निविष्ट कीजिये :

"८२. मण्डल को सरकारी गज़ट में अधिसूचना के द्वारा किसी भी वर्ग की सम्पदाओं तथा विशेषकर छोटी सम्पदाओं को कुल अथवा इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त करने का अधिकार होगा जो उन शर्तों के अनुसार मण्डल नियत करेगा।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २८ पर, ४४ से ५० पंक्तियों के स्थान पर निविष्ट कीजिये :

"६१. नियंत्रक के निश्चय के विरुद्ध अपील.—(१) कोई व्यक्ति—

(क) यदि उसे आपत्ति हो—

(१) नियंत्रक द्वारा किये गये किसी मूल्यांकन पर, अथवा

(२) नियंत्रक द्वारा देय सम्पदा शुल्क निश्चय करने के किसी भी आदेश पर, अथवा

(३) नियंत्रक द्वारा धारा ५४ के अन्तर्गत आरोपित किसी भी दण्ड पर, अथवा

(४) किसी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी डालने वाले किसी अन्तिम आदेश या न्याय-निर्णयन पर, अथवा

(ख) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सम्पदा शुल्क से अपने दायित्व को अस्वीकार करता हो, अथवा

(ग) यदि उसे नियंत्रक द्वारा मुक्ति का प्रमाण पत्र अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य प्रमाण पत्र प्रदान करने का आवेदन अस्वीकार करने वाले किसी आदेश पर आपत्ति हो,

तो धारा ५६ के अन्तर्गत खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट किये गये मामलों में तलबी का नोटिस पाने की तिथि के नब्बे दिनों के अन्दर, तथा खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किये गए मामलों में आदेश की तिथि के नब्बे दिनों के अन्दर मण्डल में नियत फार्म पर अपील हो सकती है जिस की पुष्टि नियत तरीके से की जायगी।"

(२) पृष्ठ २९ पर, पंक्ति २१ के पश्चात् निविष्ट कीजिये :

"(४ क) मूल्यांकन कर्ता, उपखण्ड (४) के अन्तर्गत उन को मध्यस्थ-निर्णय के लिये निर्दिष्ट किये गए किसी मामले को निबटाते समय जिस प्रकार वे उचित समझें किसी भी ऐसी जांच को रोक सकते हैं अथवा रुकवा सकते हैं, तथा पुनरावेदक एवं नियंत्रक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जैसे भी वे उचित समझें, आदेश जारी कर सकते हैं तथा उक्त आदेश की एक एक प्रतिलिपि पुनरावेदक एवं नियंत्रक को भेज देंगे।"

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्त दोनों संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गए व स्वीकृत हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : इन संशोधनों में कल रोके गये संशोधन भी आ जाते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना दिया गया।

प्रथम अनुसूची

संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) पृष्ठ ३६ पर, पंक्ति ५ में

for "the schedule" substitute "The First Schedule"

["अनुसूची" के स्थान पर "प्रथम अनुसूची" आदिष्ट किया जाय।"]

(२) पृष्ठ ३६ पर,

पंक्ति १० के पश्चात रख दिया जाय :

[उपाध्यक्ष महोदय]

"Punjab" ["पंजाब"]

(३) पृष्ठ ३६ पर

पंक्ति १२ के पश्चात् रख दिया जाय :

"Madhya Bharat" ["मध्य भारत"]

(४) पृष्ठ ३६ पर

पंक्ति १४ के पश्चात रख दिया जाय :

"All Part C States"

["समस्त भाग ग राज्य"]

—[सी० डी० देशमुख]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूचि संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ली गई।

द्वितीय अनुसूची

श्री सी० डी० देशमुख : मैं भाग २ में आवश्यक समानुवर्ती परिवर्तन के साथ संशोधन नं० ६३७ को प्रस्तुत करता हूं । अर्थात्

(१) समावेश (१) में ७५,००० रुपये के स्थान पर १००,००० रुपये आदिष्ट किये जायें ।

(२) समावेश (२) का लोप किया जाय और शेष समावेशों की फिर से संख्या की जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३६ पर,

पंक्ति १४ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाय :

"THE SECOND SCHEDULE

(See sections 5, 34 and 80)

Rates of Estate Duty

PART I

In the case of property which consists of an interest in the joint family property of a Hindu family governed by the Mitakshara, Marumakkattayam or Aliyasantana law,—

		Rate of Duty
(1) On the first Rs.	50,000 of the principal value of the estate	Nil.
(2) On the next Rs.	50,000 ,, ,, ,,	5 per cent.
(3) On the next Rs.	50,000 ,, ,, ,,	7½ ,,
(4) On the next Rs.	50,000 ,, ,, ,,	10 ,,
(5) On the next Rs.	1,00,000 ,, ,, ,,	12½ ,,
(6) On the next Rs.	2,00,000 ,, ,, ,,	15 ,,
(7) On the next Rs.	5,00,000 ,, ,, ,,	20 ,,
(8) On the next Rs.	10,00,000 ,, ,, ,,	25 ,,
(9) On the next Rs.	10,00,000 ,, ,, ,,	30 ,,
(10) On the next Rs.	20,00,000 ,, ,, ,,	35 ,,
(11) On the balance of the principal value of the estate		,, 40 ,,

PART II

In the case of property of any other kind—

		Rate of Duty
(1) On the first Rs.	1,00,000 of the principal value of the estate	Nil
(2) On the next Rs.	50,000 ,, ,, ,,	7½ per cent.
(3) On the next Rs.	50,000 ,, ,, ,,	10 ,,
(4) On the next Rs.	1,00,000 ,, ,, ,,	12½ ,,
(5) On the next Rs.	2,00,000 ,, ,, ,,	15 ,,
(6) On the next Rs.	5,00,000 ,, ,, ,,	20 ,,
(7) On the next Rs.	10,00,000 ,, ,, ,,	25 ,,
(8) On the next Rs.	10,00,000 ,, ,, ,,	30 ,,
(9) On the next Rs.	20,00,000 ,, ,, ,,	35 ,,
(10) On the balance of the principal value of the estate	,,	40 ,,

PART III

In the case of shares held by a deceased member in any such company as is referred to in sub-section (1) of section 80—

	Rate of Duty
(1) If the principal value of the shares does not exceed Rs. 5,000	Nil
(2) If the principal value of the shares exceeds Rs. 5,000	7½ per cent

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा ५, ३४ और ८०)

सम्पदा शुल्क के दर

भाग १

मिताक्षरा, मरुमक्कट्टय्यम अथवा अलियासन्तान विधि द्वारा शासित हिन्दु परिवार की संयुक्त परिवार सम्पत्ति में स्वत्व रखने वाली सम्पत्ति के मामले में,—

		शुल्क की दर
(१)	सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम ५०,००० रुपये पर	शून्य
(२)	,, ,, ,, अगले ५०,००० रुपये पर	५ प्रतिशत
(३)	,, ,, ,, ,, ५०,००० रुपये पर	७॥ प्रतिशत
(४)	,, ,, ,, ,, ५०,००० रुपये पर	१० प्रतिशत
(५)	,, ,, ,, ,, १,००,००० रुपये पर	१२॥ प्रतिशत
(६)	,, ,, ,, ,, २,००,००० रुपये पर	१५ प्रतिशत
(७)	,, ,, ,, ,, ५,००,००० रुपये पर	२० प्रतिशत
(८)	,, ,, ,, ,, १०,००,००० रुपये पर	२५ प्रतिशत
(९)	,, ,, ,, ,, १०,००,००० रुपये पर	३० प्रतिशत
(१०)	,, ,, ,, ,, २०,००,००० रुपये पर	३५ प्रतिशत
(११)	सम्पदा के मुख्य मल्य के शेष भाग पर	४० प्रतिशत

[श्री सी० डी० देशमुख]

भाग २.

किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति के मामले में,--

		शुल्क की दर
(१)	सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम १,००,००० रुपये पर	शून्य
(२)	" " " अगले ५०,००० रुपये पर	७॥ प्रतिशत
(३)	" " " " ५०,००० रुपये पर	१० प्रतिशत
(४)	" " " " १,००,००० रुपय पर	१२ १/२ प्रतिशत
(५)	" " " " २,००,००० रुपये पर	१५ प्रतिशत
(६)	" " " " ५,००,००० रुपये पर	२० प्रतिशत
(७)	" " " " १०,००,००० रुपये पर	२५ प्रतिशत
(८)	" " " " १०,००,००० रुपये पर	३० प्रतिशत
(९)	" " " " २०,००,००० रुपये पर	३५ प्रतिशत
(१०)	सम्पदा के मुख्य मूल्य के शेष भाग पर	४० प्रतिशत

भाग ३.

मृतक सदस्य द्वारा ऐसे किसी समवाय में जो धारा ८० की उपधारा (१) में निर्दिष्ट है, धृत अंश के मामले में,—

		शुल्क की दर
(१)	यदि अंशों का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक नहीं है	शून्य
(२)	यदि अंशों का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक है	७॥ प्रतिशत

उपाध्यक्ष महोदय : इस के कौन से संशोधन हैं ? मैं ने पहले से ही इस के बारे में अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री गाडगिल : ४० प्रतिशत से ऊपर की सब वृद्धियां समाप्त हो गई हैं । प्रत्येक वृद्धि एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रकट हुई है । क्या किसी ने इस का हिसाब लगाया है ?

श्री एस० एस० मोरे : मान लो कि समस्त योजना को बिना बिगाड़े या इसे एक अतिरिक्त भार न बनाते हुए, यदि मध्यम स्तर पर कुछ दरों को बढ़ाने या घटाने का प्रयत्न किया जाता है, तो क्या इस का यह परिणाम होता है कि योजना में कोई अन्तर नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में जनता के प्रतिनिधि होते हैं ; इसलिये जब दरों को घटाना हो, तो अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं । दरों को बढ़ाने के मामले में यह बात है कि सामान्य ढांचा बिगड़ न जाय, इसलिये इस को उचित नहीं समझा जाता । बात यह है कि दरों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिये ।

श्री आर० डी० मिश्र: मैं अपना संशोधन संख्या ७४८ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एच० एन० मुकर्जी के संशोधन संख्या ७३५ के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली गई है। क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री के० के० बसु : यदि इसे रद्द नहीं किया गया है तो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा कि क्या इस का कोई भाग ठीक है । इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे विषय अनावश्यक हैं। अब मैं भाग २ को देखूंगा।

श्री एस० एस मोरे : यह कमी के बारे म है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब इस की अनुमति है । माननीय सदस्य स्वयं अपने संशोधनों का निरीक्षण करेंगे और बतलाएंगे कि वे कहां तक उचित हैं ।

श्री मुरारका (गंगानगर झुनझुनू) : मैं अपना संशोधन नं. ६८१ प्रस्तुत करता हूं, केवल इस की अन्त की दो पंक्तियां ठीक नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन नं. ६८१, संशोधित रूप में प्रस्तुत होता है । और संशोधन नं. ७१९ तथा ६६५ उचित नहीं हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मुरारका : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

इस के पश्चात् श्री चाण्डक, श्री मूलचन्द दुबे, श्री कृष्ण चन्द्र, पण्डित ठाकुर दास भार्गव, श्री बी० एल० चाण्डक, श्री सुरेश चन्द्र मिश्र और श्री झुनझुनवाला के संशोधन सदन के सन्मुख प्रस्तुत किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अन्त में बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० एम० टामस ।

श्री ए० एम० टामस : मैं अनुसूची पर बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने दो एमेन्डमेन्ट्स का नोटिस दिया है, एक ७४९ और दूसरा ७५० । ७५० की रू से मैं यह चाहता हूं कि देशमुख साहब के एमेन्डमेन्ट के आइटेम नम्बर २ में ५ के बजाय निल रख दिया जाय, और मेरा दूसरा आल्टर्नेटिव एमेन्डमेन्ट यह है कि अगर वहां निल न रक्खा जा सके तो फिर उस के बजाय .०१ पर्सेन्ट रख दिया जाय ।

इन दोनों एमेन्डमेन्ट्स के मुलाहिज़े से वाज़ेह हो गया होगा कि दरअस्ल मेरी कोशिश यह है कि जो डिस्त्रिमिनेशन हाउस ने इस वक्त मंजूर फरमा लिया है, ५०,००० और एक लाख का, उस को जहां तक हो सके, इस शेड्यूल के जरिये या इन दोनों एमेन्डमेन्ट्स के जरिय बराबर कर दिया जाय । या जो कम से कम तमीज हो सकती है वह रक्खी जाय ।

मैं जनाब वाला की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दरअस्ल यह जो एमेन्डमेन्ट किया गया है वह सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि अब तक जितने उसूल हम मानते चले आये हैं उन के खिलाफ है, बल्कि यह एक अजीब चीज़ वाक्या हो गई है जो न कभी किसी लेजिस्लेटर के दिमाग में आई और न कभी फाइनन्स मिनिस्टर के दिमाग में थी न ही कभी पहली बिल में थी । जब पहले सन् १९२४ में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के सामने यह सवाल उठा तो उन को दिक्कत वाक्या हुई कि हिन्दू मिताक्षरा फैमिली के बारे में हम क्या करें । हिन्दू ला के जो उसूल हैं वह कहीं आब्स्टैक्ल न हों । लेकिन उन्हों ने यह करार दिया कि कोई वजह नहीं है कि ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली को टैक्स करने में कोई आब्स्टैक्ल पदा हो और मौत की वजह से दूसरों का जो इन्टरेस्ट होता है वह पास आन न होता हो । जब नया बिल सन् १९४६ में आया, मेरे पास वह बिल भी मौजूद है और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है, उस के अन्दर एक लाख की जो सीमा रक्खी गई थी वह हर एक के वास्ते एक ही थी । उस में किसी तरह की तमीज़ मिताक्षरा और दायभाग में या

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हिन्दू, मुसलिम और क्रिश्चियन में नहीं की गई थी। चुनांचे जब सेलेक्ट कमेटी में मामला गया तो मिताक्षरा फैमिली के वास्ते कुछ रियायतें रखी गई। वहां यह कहा गया कि मिताक्षरा ज्वाइंट फैमिली का जो मैम्बर हो उस पर टैक्स न रहे अगर वह १८ साल की उमर से पहले मर जावे लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने भी उस एक लाख की लिमिट को रक्खा और एग्जेम्प्शन में किसी तरह का डिफरेन्सिएशन मिताक्षरा और दायभाग में नहीं किया। जब हाउस में यह बिल आया तो भी उस में कोई तमीज नहीं थी। लेकिन मेरी हैरानी की हद्द नहीं रही जब इस सेलेक्ट कमेटी ने पचास हजार और एक लाख की सीमा कायम कर दी। अब अगर आप इस फर्क को मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो इस के वास्ते कोई जवाब नहीं है कि क्यों यह फर्क रक्खा जाय। मगर अब चूंकि दफा ३४ हाउस में पास हो चुकी है मैं इस के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस के खिलाफ कहना अब ठीक भी नहीं है। लेकिन अब शेड्यूल हमारे पास आया, शेड्यूल का वही असर है जो किसी सेक्शन का असर है, इस लिये मैं इस बिल के अन्दर यह दुरुस्ती चाहता हूं कि यह तमीज़ जो हाउस ने एक तरह से नामुनासिब तौर पर गलती से पास कर दी, उस का असर ज़ायल हो जाय।

[श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सवाल यह पैदा होता है कि आया इस को करने का क्या असर पैदा होगा और जो मिताक्षरा फैमिली का मैम्बर होगा उस के ऊपर यह कानून लागू करना जायज़ होगा था नहीं।

श्री आर० डी० मिश्र : हाउस ने क्या कर दिया ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हाउस ने जो डिस्टिंकशन कर दिया वह मेरी नाकिस राय में मुनासिब नहीं था। लेकिन चूंकि हाउस ने फैसला कर दिया है, मैं यह नहीं चाहता कि उस फैसले पर कोई ऐसी बात कहूं जिस का मतलब उस फैसले को मिटाना हो जाय। इसलिए इस शेड्यूल के अन्दर जो तरमीमें रक्खी गई हैं वह ऐसी हैं कि बावजूद इस के कि हम दफा ३४ पास कर चुके हैं.....

श्री आर० डी० मिश्र : क्या यहां पर भार्गव साहब यह कह सकते हैं कि इस हाउस ने यह फैसला गलत कर दिया ? यह तो इस हाउस के ऊपर एतराज है कि यह फैसला गलत कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि फैसला हाउस ने गलत किया यह नहीं कहा जा सकता है।

सभापति महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बोलते रहें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हाउस के नजदीक यह कहना कि यह फैसला हाउस ने गलत कर दिया है, इस हाउस की तौहीन नहीं है। हम यहां पर रोज़ कहते हैं कि लैजिस्लेटर्स ने गलती कर दी। हम इस बात को हमेशा कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को गलत समझता हूं कि हाउस कोई डिस्टिंकशन करने का काम करे। मैं यहां पर एक एक मैम्बर की उतनी इज्जत करता हूं जितनी कि उस की होनी चाहिये। लेकिन मैं हाउस के फैसले को ज़रूर गलत कह सकता हूं। मैं अपने आनरेबल दोस्त श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की और अपने बहुत पुराने मेम्बर गाडगिल साहब की कितनी इज्जत करता हूं वह सब को मालूम है ? लेकिन इस के माने यह नहीं हैं कि अगर कोई फैसला यह लोग गलत करें तो मैं उसे कहूं नहीं कि यह फैसला गलत है।

श्री आर० डी० मिश्र : उन की गलतियों से आप को कितनी मुहब्बत है ?

सभापति महोदय : कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य बोलते रहें ।

श्री सी० डी० देशमुख : औचित्य प्रश्न तो यह है कि जब खंड ३४ में हम दो विमुक्ति सीमाएं स्वीकार कर चुके हैं और अब यदि हम आनुषंगिक रूप से अनुसूची में संशोधन करना चाह रहे हैं तो क्या माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि दूसरे ५०,००० पर भी कुछ कर न लगे ? क्या यह चीज़ गलत नहीं होगी ? दूसरी बात वह यह कहते हैं कि दर घटा कर नाम मात्र कर दी जाये । म कहता हूं कि यह ·०१ प्रतिशत की दर नहीं के बराबर ही है । पारिभाषिक रूप से आप कह सकते है कि यह चीज़ अवरोधित नहीं है । हां, यदि वह यह कहें कि ५ प्रतिशत से घटा कर २ प्रतिशत कर दिया जाये, तो यह दूसरी बात है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि दोनों अमेंडमेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं । दूसरे अमेंडमेंट के बारे में तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने फरमा ही दिया है । मैं ने यह समझा कि शायद पहले पर ऐतराज़ हो इसलिये मैं ने दूसरा अमेंडमेंट रखा था । आप .०५ रखें या आप बिल्कुल चार्ज न करें यह आप को अख्तियार है । तो भी दूसरा अमेंडमेंट इन आर्डर है । मैं दफा ३४ को रिव्यू नहीं करता । लेकिन शेड्यूल में आप को अख्तियार है कि आप निल कर दें । लिमिट वही रहेगी पर आप को अख्तियार है कि आप चार्ज न करें । बहर सूरत दूसरे अमेंडमेंट पर तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ऐतराज़ नहीं करते । .०५ से भी कुछ न कुछ तो आप के खज़ाने में जायगा, लाखों रुपया आप के काफर्स में आ जायगा । मेरे वास्ते दोनों अमेंडमेंट एक तरह के हैं । अगर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को पहले पर ऐतराज़ है तो दूसरे को मंजूर फरमा लें ।

जनाब वाला, मेरी अदब से गुजारिश है और मैं बड़े दुःख और तकलीफ से दो चार बातें फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और वह यह है ।

सब से पहले सवाल यह पैदा होता है कि यह एस्टेट ड्यूटी किस चीज़ पर लगनी चाहिये । जिस दिन से यह एस्टेट ड्यूटी का सवाल चला है पहले सन् १९२४ में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के सामने, सन् ४६ के एक्ट में और सन् ५२ में, उस में यह लिखा हुआ है कि जब एक शख्स मर जाता है तो उस की जायदाद जो दूसरों पर जाती है उस पर यह एस्टेट ड्यूटी लगाई जायगी । मेरी अदब से गुजारिश है कि 'ए' के मरने के बाद अगर उस की जायदाद २५ हजार या ५० हजार या एक लाख की है आप को उस से ज्यादा पर टैक्स लगाने का अख्तियार नहीं नहीं है । अगर आप यह उसूल दुरुस्त समझते हैं तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि आप ने एक ऐसी तमीज़ रख रखी है कि जो हमारे कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, हमारी सेक्यूलर स्टेट के खिलाफ है और दुनिया भर के टैक्सेशन के जितने कानून हैं उन के खिलाफ ह ।

श्री झुनझुनवाला : इनकम टैक्स में है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे पीछे से मिस्टर रोहिनी कुमार जी के कहने पर यह तमीज़ रवां रखी गई है, उन के कहन पर यह कहा जाता है कि यह इनकम टैक्स में रवां है इसलिए इस में भी रवां कर दिया गया है । मैं और सब बातों को छोड़ कर सब से पहले इसी बात को एग्ज़ामिन करना चाहता हूं कि यह जो इनकम टैक्स में रवां रखी गई है यह कहां तक दुरुस्त है । जनाब वाला को मालूम है कि पिछले ८० वर्ष से मिताक्षरा ज्वाइंट हिन्दू फैमिली पर किस कद्र जुल्म है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि एक इंडीवीजुअल को और एक जाइंट हिन्दू फैमिली को एक ही बेसिस पर रखा जाता है । मैं ने इस के खिलाफ बार बार सख्त आवाज़ उठाई है । मैं सन् २८ से इस के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं और बीस वर्ष के बाद सन् ४८ में जान मथाई साहब ने यह महसूस किया कि मेरी आवाज़ में असर था और हिन्दू ज्वाइंट फैमिली के साथ इन्साफ नहीं हो रहा है । चुनांचे उन्हों ने सन् १९४८ में उस की लोअर लिमिट का डबल कर दिया, आज इंडीवीजुअल के वास्ते ४२०० है तो जाइंट हिन्दू फैमिली के वास्ते ८४०० है । मैं ने समझा था कि यह पहला कदम है और आगे चल कर यह तमीज़ बिल्कुल मिट जायगी । चुनांचे इंवेस्टीगेटिंग कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट लिखी तो उन्होंने यह करार दिया कि अगर जाइंट हिन्दू फैमिली में तीन या तीन से ज्यादा मेम्बर हों तो ८४०० नहीं बल्कि लिमिट तीन गुनी होनी चाहिए । वह सवाल चल रहा था कि इसी दौरान में यह बिल आ गया । जनाब वाला महसूस करेंगे कि एक बात के लिये बीस वर्ष तक लड़ना पड़ा । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस तमीज को भी दूर कराने के लिए बीस वर्ष नहीं चाहे सौ वर्ष तक लड़ना पड़े हम इस को दूर करा के छोड़ेंगे क्योंकि यह एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कि सेक्यूलर स्टेट के खिलाफ है और सेक्यूलर उसूलों के खिलाफ है और टैक्सेशन के उसूलों के खिलाफ है । मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर ज्यादा बहस करता लेकिन मिस्टर रोहिनी कुमार चौधरी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जनाब वाला की खिदमत में चन्द और बातें अर्ज़ करूं ।

चुनांचे मैं जनाब वाला की खिदमत में एक स्पीच पेश करना चाहता हूं जो कि मैं ने इस हाउस में सन् ४७ में दी थी । उस वक्त भी मैं ने फाइनेन्स मिनिस्टर से यही शिकायत की थी कि यह जो तमीज़ रवां रखी गई है ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के साथ यह दुरुस्त नहीं है । हिन्दुस्तान में हर एक इन्सान के साथ यकसां सलूक होना चाहिये ।

और मुझे उन्होंने कहा था कि इस वक्त फाइनेन्स बिल पर यह नहीं हो सकता पर यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के सामने रखा जायगा ।

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि सन् २८ में जब कि मैं सब से पहले इस हाउस में आया और बाद में भी सन् ४५, ४६ और ४७ में हर मर्तबा मैं यह आवाज़ उठाता रहा लेकिन मुझे अफसोस है कि जो जवाब मुझे मिस्टर लियाकत अली खां साहब ने दिया वही हमारे दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान देते रहे कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी को आने दो उस के सामने यह मामला आयेगा बीच में हम कुछ नहीं कर सकते । हमारे मौजूदा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि बहुत से मामलों में वह ओपेन माइन्ड रखते हैं लेकिन हिन्दू ज्वाइंट फैमिली का बदकिस्मती से ऐसा एक सबजेक्ट है कि जिस के लिये दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खुला है । और मैं थोड़ा सा खुला है इसलिये कहता हूं कि अगर वह चाहते तो इस वक्त भी कुछ न कुछ कर सकते थे । टेक्सेशन इन्क्वायरी को मामला जायगा उस में न मालूम कितना वक्त लगेगा और न मालूम इस मामले पर कब गौर होगा । मैं एक बात अर्ज़ करूंगा कि यह एस्टट ड्यूटी बिल सन् ४७ में आया था उस वक्त मैं ने इस को रेफर किया था और अर्ज़ किया था कि अब गवर्नमेंट ने इस उसूल को मान लिया है कि फार परपज़ेज़ आफ टैक्स अन-डिवाइडेड हिन्दू ज्वाइंट फैमिली डिवाइडेड के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है । सन् ४६ के अन्दर यह उसूल माना गया कि किसी

शख्स के मरने के बाद ख्वाह खानदान मुश्तरका हो उस को डिवाइडेड माना जायगा । मैं ने सन् १९४७ में अर्ज़ किया कि कोई जवाज़ नहीं है आप के पास कि आप दो तरह का उसूल रखें । म तो एक स्पोर्टिंग आफर करता हूं । यह कितनी नामुनासिब बात है कि एक ही स्टेट में एक ही टैक्स के लिए दो उसूल माने जायें । मुझ को दो मर्तबा पहले इस बिल पर बोलने का मौका मिला और मैं ने दोनों मर्तबा फाईनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी कर के अपना हाथ इनकम टैक्स से जल्द ज्वाइंट हिन्दू फैमिली से उठा लें । मैं अदब से पूछना चाहता हूं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कि वह आज हिसाब लगायें और देखें कि सुपर टैक्स, जिस की पहले लिमिट ७५ हजार थी हिन्दू ज्वाइंट फैमिली के लिए और ५० हजार थी अन डिवाइडेड फैमिली के वास्ते उस को भी बाद में उसी के साथ कर दिया गया था, और जो इनकम टैक्स हिन्दू ज्वाइंट फैमिली पर लगाया गया है, सिवाय उस के कि जो लिमिट मिस्टर जान मथाई साहब ने घटा दी थी, तो पता चलेगा कि दीगर फ़ैमिलीज़ पर जो टैक्स लगा है उस के मुकाबले में ज्वाइंट हिन्दू फैमिलीज़ पर अरबहा खरबहा ज्यादा रुपया गवर्नमेंट वसूल कर चुकी है जो कि उस को ज्वाइंट हिन्दू फैमिली से इनकम टैक्स के उसूल के मुताबिक वसूल नहीं करना चाहिये था ।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप देखिये कि आज १९५३ में किस क़दर सख्त एक्सटार्शन हिन्दू ज्वाइंट फैमिली पर होता है । अब फिर आज गवर्नमेंट उसी चीज़ को परपेचुएट करने की कोशिश कर रही है । मैं उम्मीद रखता था कि कम से कम आज तो गवर्नमट इस बात को समझेगी कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस को आप जिस तरह चाहें दबा लें और जिस तरह चाहें मल्कट कर लें । मैं जनाब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के तौर पर टैक्स नहीं देता हूं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह किसी और का मामला देखा जाय कि वह ज्वाइंट हिन्दू फैमिली की बिना पर टैक्स देता है या नहीं । यह मामला 'ए' और 'बी' का नहीं है । यह जनरल सवाल है । मैं जानता हूं कि इस हाउस में इस ऐक्ट के बनने के बाद भी ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के तौर पर एस्टेट ड्यूटी लगेगी । आम तौर पर इनकम टैक्स की मेहरबानी से हिन्दू ज्वाइंट फैमिली खत्म होती जा रही है और यह जो आखिरी किक लगा है उस से आयन्दा हिन्दू ज्वाइंट फैमिली बिल्कुल खत्म हो जायगी । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सवाल पर्सनैलिटी का नहीं है कि कौन टैक्स देता है, कौन नहीं देता है । यह सवाल बिल्कुल प्यौरली इन्साफ़ का सवाल है । अगर आप ऐसा टैक्स लगाएं जिस में हिन्दुओं पर अलग टैक्स की इन्सीडैंस हो और मसलमानों पर अलग हो, क्रिश्चियन्स पर अलग हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह टैक्स जायज़ होगा । अगर शिया पर अलग टैक्स हो, सुन्नी पर अलग टैक्स हो, तो क्या यह जायज़ होगा ? अगर आप प्रोटैस्टैंट्स पर अलग टैक्स की इन्सीडैंस लगावें, कैथोलिक पर अलग लगावें, अगर आर्यसमाजियों पर अलग हो और ब्रह्म समाजियों पर अलग इन्सीडैंस हो, तो क्या यह जायज़ है । आज आप देश के अन्दर क्या कर रहे हैं । आज मिताक्षरा फैमिली पर टैक्स की लिमिट अलग कर रहे हैं और दायभाग, मुसलमानों और क्रिश्चियन्स पर टैक्स और है । मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि हम ने जो यह कांस्टीट्यूशन बनाया है उस में मैं जनाब की तवज्जह दफ़ा १४ और १५ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । हम ने इस कांस्टीट्यूशन में इस तरह के बेसिस को नहीं रखा । दफा १४ इस प्रकार है :

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

"भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।"

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आज एक आदमी के पास सिर्फ़ ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी है तो उसे विधि के समक्ष समता से वंचित किया जा रहा है ।

इसी तरह से आप आगे दफा १५ में मुलाहिज़ा फरमावें :

"राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।"

मेरी अदब से गुज़ारिश है कि एग्ज़ेम्पशन लिमिट में फर्क है और बहुत से मैम्बर साहबान ने स्केल का भी डिफरेंस रखा है । लेकिन स्केल अब तो मेहरबानी कर के हमारे मिनिस्टर साहब ने तरमीम कर दिया और अब स्केल एग्ज़ेम्पशन के अतिरिक्त एक सा हो गया है । इस के पहले स्केल भी और था, क्योंकि ७५ हज़ार और के बाद २५ हज़ार पर और था, स्केल में भी फर्क था और अमाउंट में भी फर्क था । मैं जनाब की खिदमत में एक ज़रा सा फिक्रा और पढ़ दूं, हमारे कांस्टीट्यूशन की उस कुंजी में से जो कि यहां बयान की गई है और जिस के वास्ते हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हमेशा के लिये अनुगृहीत हैं । उन्हों ने प्रीएम्बुल में लिखा था :

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को;"

गो फैमिली आफ सिटीजन्स को नहीं, सारे सिटीज़न्स को । यहां आप सिटीज़न्स की फैमिलीज़ में तमीज़ करते हैं, आप अलग अलग फैमिलीज़ के तौर पर देखते हैं । फिर कहते हैं :

"सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय;"

सोशियल जस्टिस है । लेकिन यह सोशियल जस्टिस कहां रहती है जब कि आप कहते हैं कि जो हम एक सिस्टम आफ़ ला को बिलांग करते हैं तो दूसरे बेसिस पर टैक्स लगता है । मेरा एक सिस्टम ऐसा है जो कि परम्परा से चला आया है और उस को आप इस तरह अलग तरीक़े से टैक्स करते हैं । यह कहां सोशियल जस्टिस रहती है ? फिर :

"प्रतिष्ठा और अवसर की समता ।"

और फिर :

"व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धता ।"

परन्तु यहां व्यक्ति की गरिमा कहां है ? जब कि आप उसी क़िस्म का जजिया मेरे ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मुग़लों ने कभी लगाया था । वह एक तरह से तमीज़ करते थे । मुग़ल बादशाहों के ज़माने में तो यह होता था कि मुसलमानों पर इस तरह टैक्स लगे और हिन्दुओं पर दूसरी तरह से टैक्स लगे । अभी राजस्थान में भी यह तमीज़ होती थी कि अगर उसी ज़मीन को बोने वाला कोई राजपूत है तो उस से एक चौथाई हिस्सा लिया जाता था और अगर वही बोने वाला जाट होता था तो उस से एक तिहाई ले लिया जाता था । यह सब बातें हम ने देखी हैं । लेकिन आज सन् १९५३ में यह कहना कि एक हिन्दू से तो हम फैमिली के तौर पर टैक्स लेंगे और दूसरे को और तरह के सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे, यह बिल्कुल एरोनियसली रॉंग अनजस्ट और सबवर्सिव

आफ आल प्रिंसिपल्स आफ जस्टिस है और यह अनडिमाक्रेटिक है और अनकांस्टीट्यूशनल है। मेरे पास और कोई अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि जिन को मैं इस्तेमाल करूं इस तमीज़ को जाहिर करने के लिये। इस तमीज़ के रखने से हममें बड़ा भारी नुक़सान हुआ है।

मैं ने जनाब वाला की खिदमत में अर्ज़ किया कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को ट्रीट करने में जो उसूल क़ायम किया गया है वह यह है कि इंडीवीज्यूअल पर टैक्स नहीं लगता है, बल्कि फैमिलीज़ पर टैक्स लगता है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई क़ायदा, कोई कानून और कोई कैनन कहीं पर भी आप दिखला सकते हैं जहां पर कि फैमिली पर टैक्स लगता हो? मैं तो निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस को इस तरह करने से आप के सामन बड़ी दिक्कतें पेश आवेंगी, इस में बड़े मुश्किल सवाल पैदा होंगे जिन का हल करना हमारे आनरेबिल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और इन के डिपार्टमेंट के लिये बड़ा मुश्किल होगा। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मुझे तो कोई भी सैक्शन इस में ऐसा नहीं मिला जिस में एक सवाल का जवाब मिलता हो। मैं ने सैक्शन ३४ को ग़ौर से पढ़ा है, लेकिन उस में भी यह नहीं दिया है कि जिस के पास दो तरह की प्रापर्टी होगी तो एग्ज़ेम्पशन लिमिट आप कैसे क़ायम करेंगे। दो तरह की प्रापर्टी है, एक तो हिन्दू फैमिली प्रापर्टी है और दूसरी ग़ैर ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी। ऐसी सूरत में एग्ज़ेम्पशन लिमिट किस को दी जायगी?

श्री एस० एस० मोरे : प्रो रेटा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो प्रोरेटा टैक्स होगा। मगर एग्ज़ेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो तभी यह होगा, लेकिन एग्ज़ेम्पशन लिमिट किस तरह से डिटरमिन होगी यह मेरी समझ में नहीं आया। मुझ को इस का किसी भी सैक्शन में पता नहीं लगा।

मैं जनाब की खिदमत में एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं। अब पंजाब का नाम हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इस अमेंडमेंट के ज़रिए लिया है, पंजाब की ऐग्रीकल्चरल लैंड और दूसरी जगह को भी शामिल किया गया है। बम्बई और मध्यभारत को भी शामिल किया है। मैं उन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब में कस्टम इज दी फर्स्ट रूल आफ डिसीजन। हिन्दू विधि या मुसलिम विधि-पंजाबियों पर बन्धनकारी नहीं है। जिन को पंजाब के हालात से वाकफियत है और जिन्होंने इन पर गौर फरमाया होगा वे तसव्वुर करेंगे कि पंजाब में कस्टम की कितनी इम्पार्टेंस है। जब कभी पंजाब में कोई लिटिगेशन होता है, तो जितने मुकदमें वहां आते हैं उन में कस्टम का सवाल पैदा होता है। देहात के बारे में मैं बहुत नहीं कहता, वहां तो कस्टम ही सब से ज्यादा इम्पार्टेंट होता है। लेकिन जहां की अरबन प्रापर्टी का क्वश्चन पैदा होता है वहां हर मुकदमें में यह तनकीद निकलती है कि शख्स हिन्दू ला से गवर्न्ड है या कस्टम से और हर चीज पर शहादतें ली जाती हैं कि वह किस ला से गवर्न्ड है। फिर मैं जानता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में कस्टम की कितनी इम्पार्टेंस है, जिन्होंने हिन्दू ला पढ़ा होगा वह इस को बखूबी जानते हैं। हिन्दू ला को कस्टम ने कितना चेन्ज कर दिया है यह सब को मालूम है। क्या देशमुख साहब ने १९३७ में हिन्दू ला को, बेवा को हक देकर, तरमीम नहीं कर दिया है? पंजाब में हिन्दू फैमिलीज पर इस का बड़ा एडवर्स असर पड़ता है। वहाँ हर एक केस में यह तय करना होता है कि आया वह हिन्दू ज्वाइंट फैमिली से गवर्न होता है या नहीं और किस कस्टम से गवर्न होता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस सिलसिले में, जनाब वाला, मैं आनरेबिल फायनैन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दू ला का क्या उसूल है । यहां अब्बल उसूल यह है कि हर एक शख्स के हाथ में यह चीज़ है, उस को यह अख्तियार है कि वह हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को खत्म कर सकता है । अगर कोई शख्स, हिन्दू, चाहे कि इस ज्वाइंट फैमिली को खत्म कर दूं तो अपने इरादे के इज़हार से वह इरादा अनईक्वोवोकल हो, तो उस से वह फैमिली को जब चाहे खत्म कर सकता है । वह एक नोटिस दे कर खत्म कर सकता है । एक पार्टीशन की दरख्वास्त से वह फैमिली को खत्म कर सकता है । जनाब वाला, पहले कानून कुछ और होगा, लेकिन आज कानून, हमारे सारे देश का कानून है, सब इस को मानते हैं, प्रीवी काउन्सिल के फैसले से यह तय शुदा कानून है और सारे वुकला इस की ताईद करेंगे कि हर एक हिन्दू को अख्तियार है कि एक अनइक्वीवोकल नोटिस देकर वह ज्वाइंट फैमिली को जब चाहे खत्म कर सकता है । उस को कोई चीज़ ऐसा करने से नहीं रोकती । लेकिन इनकम टैक्स ला में एसी बात नहीं, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस के लिये एक और नयी दफा २५ ए बनाई कि जब तक कि पार्टीशन बिलकुल मुकम्मिल तरीके से नहीं हो जाता उस वक्त इनकम टैक्स के लिये वह सैपरेशन नहीं माना जायेगा । यह चीज़ हिन्दू ला के क़तई खिलाफ थी । उस पर इस हाउस में जब बहस हुई थी, तो इसी तरह फायनैन्स बिल के मौके पर बहस करते हुए जहां पर आज हमारे सी० डी० देशमुख साहब बैठे हुए हैं उसी जगह पर उन के प्रैडैसेसर षणमुखम चैटी साहब ने हमको यकीन दिलाया था कि इस पर अमल करते वक्त हम इस तरह से अमल करेंगे कि जहां हार्डशिप होगी इन अवर ओपीनियन वहां हिन्दू ला के प्रिन्सिपल्स को माना जायेगा और मीट्स एण्ड बाउन्ड्स को ही हर एक जगह देखने की कोशिश नहीं की जायेगी ।

अगर कानून यह है जैसा कि मैं कहता हूं, तो मैं अदब से यह पूछना चाहता हूं कि आप ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली को तो पचास हजार तक एक्ज़ेम्पशन देते हैं लेकिन दूसरों को एक लाख तक देते हैं तो मेरा तो एतराज़ इस डिस्क्रिमिनेशन पर है और वह उसूली एतराज है । इसका नतीजा तो यह होने वाला है कि वह जिसका फायदा इसमें होगा अनइक्वीवोकल इंटेंशन ज़ाहिर करेगा कि मुझे ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली से माफ फ़रमाया जाय, मैं ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली को छोड़ता हूं और इस तरह वह इससे अलग होकर हमने जो एक अलग लिमिट उनके लिये कायम की है, वह उस लिमिट को खत्म कर देगा और वह लिमिट एक मिनट भी कामय नहीं रहेगी । इनकम टैक्स ऐक्ट में तो हिन्दू ज्वाइन्ट फैमिलीज़ के लिये जो लिमिट कायम की है, वह तो किसी हद तक कायम भी रह सकी क्योंकि उसके लिये हमने ऐक्ट में २५ (क) का प्राविज़न कर दिया था कि जब तक रजिस्ट्रियां न होंगी, तब तक आप यह वैलिड नहीं होंगी, लेकिन हमारे इस स्टेट ड्यूटी बिल के अन्दर कोई ऐसी दफ़ा नहीं है और इस वास्ते मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें होगा यह कि एक साल की एक्ज़ेम्पशन पाने के लिये जायदाद वाला शख्श मरने से पहले अपना इरादा जाहिर कर देगा कि मैं अपनी जायदाद का पार्टीशन करता हूं और इस पार्टीशन के करने से उसकी टैक्सेशन लिमिट इप्सो फैक्टो एक लाख बन जायेगी । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उसके लिए एक तरीका यह है कि एक आदमी सिविल मैरिज कर ले, अथवा और कोई मज़हब अख्तियार कर ले और तीसरा तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया । एकोनामिक लाज बड़े रुथलेस

होते हैं, इनकी तारीफ बड़ी सख्त होती है और इन से कोई बच नहीं सकता और यह वाक़या है कि आपके इनकम टैक्स ने सारे देश भर की ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज़ को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और आयन्दा इस ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज़ का अन्त और अन्त्येष्टि संस्कार, हिंदू सोसाइटी का जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में यक़ीन रखती है, हिंदू समाज के जो बेस्ट आदमी हैं और हिंदू सोसाइटी के स्तम्भ हैं, उनके हाथों से हो जायगा। आज सब लोग जानते हैं कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम किस तरह से चलता है और पंजाब हाईकोर्ट ने सन् १८८९ (१०२) में और सन् १९१९ (३४) में रुलिंग दी और दोनों रुलिंग में उन्होंने लिखा कि पंजाब के अन्दर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली नहीं है। एक लड़के को अख़्तियार नहीं है, चाहे उसकी जायदाद उसके दादा की हो या परदादा की हो, अपने बाप से बंटवारा करा सके। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं, कि ऐसी सूरत में हर एक हिंदू फैमिली वर्षों तक चलती रहती है और ज्वाइंट फैमिली की लाइफ़ एक इंडीवीजुअल की तरह नहीं है, बहुत अर्से चलती है, भाइयों में अक्सर झगड़ा हो जाता है लेकिन पार्टीशन नहीं होता और भाइयों के आपसी झगड़े कुछ दिन बाद खत्म हो जाते हैं और ज्वाइंट फैमिली में मर्द के मरने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फैमिली में जो बड़ा वह होता है उस खानदान को चलाता रहता है और उसका फायदा नुक़सान सब का सब एक आदमी को पता रहता है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक आदमी के या दो, चार के मरने से खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसानी हमदर्दी और रिश्तेदारों की मुहब्बत की वजह से अदालत में जाने की नौबत नहीं आती। और इसमें कोई नहीं जानता था कि किस को फायदा पहुंचा और किस को नुक़सान पहुंचा। लेकिन मैं बतलाऊं कि आज इस बिल के पास होने से यह होगा कि हर एक आदमी के मरने पर आनरेबिल फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब के मुहकमे वाले पेश्तर इस के कि घर पर से उसकी अर्थी उठे, यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि मरने वाले की जायदाद क्या है, उसके डिटेल्स मालूम करेंगे, उसके ट्रान्जेक्शन्स् क्या हैं और इस जायदाद से कितना रुपया सरकार को वसूल करना है और इसका नतीजा यह होने वाला है कि उस फैमिली में अब तक जो सबोर्डिनेट हैसियत रखते थे, उनके दिल में यह ख्याल आयेगा कि अब यह मामला ही खुल गया और वह पता लगायेंगे कि फैमिली की क्या हालत है, उसमें हमारा क्या हक़ है और क्या हिस्सा है और खानदान के जो मैटर्स डारमैन्सी में पड़े हुए थे, सरफेस में आजायेंगे, और मुकदमे बाज़ी और आपस में झगड़ा बढ़ने के अलावा दूसरी कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। मैं यह देखता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप इसके वास्ते फाइनेंस मिनिस्टर साहब की शिकायत नहीं करते, क्योंकि स्टेट ड्यूटी बिल जब पास होकर सारे देश पर लागू होगा तो यह नहीं हो सकता कि मिताक्षर वाले हिंदूओं को इससे बरी कर दिया जायगा। मैं स्टेट ड्यूटी बिल को बनाने में पार्टी हूं और मैं समझता हूं कि सारा हाउस इससे कमिटेड है। इसमें हमने अच्छी तरह से हिंदू खानदान की प्लेसिडिटी को रफ़ल कर दिया है और हमने कोशिश की है कि इस तरह से कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली यहां पर नहीं रहे। डाक्टर अम्बेडकर की बात मान लेनी चाहिये थी, क्योंकि इस बिल का असर वही रहेगा, जो वह पैदा करना चाहते थे। हिंदू ला के अन्दर उसको न मानकर हिंदू ज्वाइंट फैमिली ने बड़ी ग़लती की, उसी को गुड ग्रेस में मान लेना चाहिये था। इसके अन्दर किसी को शिकायत करने का मौका नहीं है। मैं तो उन में से हूं कि जो यह मानते हैं कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

"दी ओल्ड आर्डर चेन्जेथ, गिविंग प्लेस टु न्यू"। ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को जो इतने ज़माने से चला आ रहा है, आज खात्मा हो जाय, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की उस कोशिश से डर नहीं है, क्योंकि मैं भी उस कोशिश में शामिल हूं, मैं खुद चाहता हूं कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली से स्टेट ड्यूटी वसूल किया जाय और सारे देश भर में स्टेट ड्यूटी बिल के ज़रिये रुपया इकट्ठा किया जाय, क्योंकि आखिर हमारी स्टेट तो एक वेलफियेर स्टेट है और जब तक सरकार के खजाने पूरे न होगें, हम कोई वेलफेयर का काम नहीं कर सकते, मेरी शिकायत इस संबंध में तो इस क़दर है कि जब कि इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का अन्तिम संस्कार होने जा रहा है और यह बिल उसको समाप्त करने के लिये तीर का काम देगा, तो आप उस तीर में ज़हर क्यों लगा रहे हैं, बस यही मेरी आपसे शिकायत है, वह ह्यूमिलिएशन क्यों क़ायम रख रहे हैं और अब भी आप चाहते हैं कि जैसे ८० वर्ष से इनकमटैक्स में होता आया है, और जो तमीज आज तक रही है वह सदा के लिये पक्की हो जाये। आप दोनों के वास्ते एक लाख कर दें। मैं जनाब की इज़ाज़त से उसके उस रुझान को एनालाइज करना चाहता हूं कि क्यों ऐसा किया गया। कहते यह हैं कि हमारे लायक दोस्त श्री चटर्जी साहब जिनकी जुबान की ताकत और अक्ल बमुकाबले हमारे बहुत ज्यादा है और जिनकी बात हमारे आनरेबिल फ़ाइनेंस मिनिस्टर के दिल में घुस जाती है, मैं चाहता हूं कि काश मेरे भी इतनी अक्ल होती और मेरी जुबान में भी इतनी ताक़त होती कि मैं अपनी बात आनरेबुल फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से मनवा सकता। उनका आर्गुमेंट क्या है? एक मकान में ने बनाया और एक मारवाडी ने बनाया जो मेरे पास रहता है और वह मिताक्षर से गर्वन्ड है, होगा यह कि मेरे से ज्यादा टैक्स लिया जायगा और उस से कम टैक्स लिया जायगा, इससे उन्होंने यह दिखलाने की कोशिश की अगर दोनों की सेल्फ़ एक्वायर्ड प्रापरटी है इंसाफ यह कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिये, उनका आर्गूमेंट यह है कि नार्थ इंडिया में ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज़ इससे गर्वन्ड नहीं है जिन के पास ज्वाइंट फ़ैमिली प्रापरटी नहीं है, वह इसकी ज़द में नहीं आयेंगे, लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने फ़ैमिली पर टैक्स नहीं लगाया, आपने तारीफ़ अब भी जो की है दफ़ा पांच, छै और सात में कि वह प्रापरटी जो किसी शख्स के मरने पर पास होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या उस सूरत में 'ए' के मरने के बाद जो मिताक्षर का है जो प्रापरटी पास होगी और 'बी' जो दूसरे मत का मानने वाला है उसके मरने पर जो प्रापरटी पास होगी, उसमें आप क्यों अन्तर रखते हैं। क्या आप इस कानून के द्वारा एबसोल्यूट इक्वैलिटी करना चाहते हैं, क्या इस ला के ज़रिये एबसोलूट इक्वैलिटी इन दोनों तरह की जायदादों में करना चाहते हैं? आपका एम तो एक ही था और वह एम यह था जिस शख्स की प्रापरटी मरने पर जितनी हो, उस पर टैक्स लगाया जाय, अब 'ए' पर ज्यादा टैक्स लगेगा और 'बी' पर कम पड़ेगा, एबसलूट इक्वैलिटी के उसूल पर इसे नहीं तोला जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान् ने भी किसी की ज्यादा अक्ल दी है तो किसी को उतनी नहीं दी है और जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको शुक्र मनाना चाहिये कि सारे इंसानों को उनके बराबर नहीं बनाया और अगर फ़ाइनेंस मिनिस्टर जैसा मेरे पास भी ज़हन और इल्मियत होती तो फिर उनकी काहे को सुपीरियोरिटी रहती और एबसलूट इक्वैलिटी अगर होती तो सोमानी साहब के पास इतनी

ज्यादा दौलत क्यों होती और मेरे पास उनके बराबर क्यों न होती। इस वास्ते मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि यह प्लीड करना और स्टेट ड्यूटी बिल के ज़रिए यह तमीज़ करना कि फ़लानें सिस्टम पर इतना टैक्स लगना चाहिए और दूसरे सिस्टम वालों पर इतना लगाना चाहिए, इस तरह की तमीज़ करना क़तई ग़लत है और मेरा तो इस बारे में खुला चैलेंज है कि स्टेट ड्यूटी से आपको फ़ायदा उतना नहीं पहुंचेगा जितना आपको नुक़सान पहुंच जायगा अगर आपने उस बिल के उसूल उसी तरह से कायम रक्खे नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ जनाब वाला, इसके करन से कि अगर आप कंसिस्टेन्टली यही उसूल दूसरी चीज यानी इन्कमटैक्स में लागू करें तो हमारी सरकार को आमदनी पहले से कम होगी ज्यादा नहीं। जनाब वाला का हाथ मुझे घंटी पर मालूम पड़ता है। अगर जनाब का यह ख्याल है कि किसी क्लाज पर किसी मैम्बर को अपने ख्याल के इज़हार करने का हक़ नहीं है..

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य कोई और बात कहना चाहते हैं तो मैं हस्तेक्षेप नहीं करूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी अदब से गुजारिश है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता मगर चूंकि हम दफा ३४ से मज़बूर हैं इसलिये इस शेड्यूल को ऐसा बना दिया जाय कि यह दफ़ा 'निल' के बराबर हो जाय या उस से ज़रा सा ज्यादा हो जाय। मेरी इतनी सी तरमीम है और उसके वास्ते मैं जनाब से रूबरू वजूहात दे रहा हूं ताकि आप इसको मान लें। इस के लिये मैं ने कुछ वजूहात तो अर्ज़ कर दी हैं और चन्द वजूहात और हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं।

मैं जनाब की खिदमत में यह अर्ज़ कर रहा था कि यह सवाल यूं सख्त पड़ता है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके पास कौन सा कांटा है जिस के मुताबिक उन्होंने यह तय किया। एक वक्त था जिस की मैंने अभी हिस्ट्री सुनाई। सन् १९४६ तक एक क्लास का एग्जेम्प्शन सब के वास्ते था। लेकिन अब वह और सेलेक्ट कमेटी के ३५ मैम्बर बैठे और उन्होंने बहुत दिनों के ग़ौर व खोज के बाद सारी चीजों को तोला तो मालूम हुआ कि दायभाग या मुसलमान और क्रिश्चियन को ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मुकाबले में .....

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के संबंध में, मुझे यह कहना है कि प्रवर समिति के पैंतीस सदस्यों में से केवल सात दायभाग के थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरी दायभाग के मेम्बरों से या मि० रोहिणी कुमार चौधरी से हर्गिज कोई शिकायत नहीं है। दायभाग वालों ने ऐसा कर दिया यह मैं नहीं कहता।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : दायभाग नहीं है वह तो अब दया भाग बन गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, मैं इस सवाल में तो जाना नहीं चाहता था लेकिन गाडगिल साहब ने मुझ को याद दिलाया कि दायभाग नहीं है अब वह दया भाग है। मैं कुछ इसके बारे में कहना चाहता हूं। दाय उस को कहते हैं जो कि मरने वाला आदमी दूसरों के लिये छोड़ दे। हिंदू कोड में लिखा हुआ है, पहला फिकरा है, कि दायभाग क्यों कहते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि दायभाग वालों की ही फिक्र है या मिताक्षर वालों की भी है, इस को बतलाइये। मिताक्षर तो सिर्फ स्पिरिचुअल बिना पर है। मैं यह कहना नहीं चाहता लेकिन गाडगिल साहब ने मजबूर कर दिया है। यह मिताक्षर ला हिंदू ज्वाइंट फैमिली के लिये बना हुआ था यह कोई टैक्सेशन मेजर के लिये बेसिस नहीं था कि सन् १९५३ में ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ऊपर टैक्स लगाया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जाय । यह तो 'बेस्ट फार्म आफ मिउचुअल वालन्टरी हेल्प था' । उस के अन्दर कोआपरेटिव स्पिरिट थी । मिताक्षर ला इसका अदना सा नहीं बल्कि एक मजबूत नमूना है । इस के अन्दर क्या होता है कि आज चार भाई और एक बाप का खान्दान है । बाप बुड्ढा हो जाता है, बेटा काम करता है और ज़ायदाद पैदा करता है । बहुत सी जायदाद कुल खान्दान पैदा कर लेता है । उस वक्त दायभाग और मिताक्षर खान्दान में यह फ़र्क़ हो जाता है कि ज्वाइंट फैमिली का सारा खान्दान मुश्तर्का कोशिश से ज़ायदाद पैदा करता है । दायभाग वाले जब जायदाद लेते हैं तो वह ज्वाइंट तरह की नहीं होती है । हिंदू ज्वाइंट फैमिली की तरह की नहीं है । ज्वाइंट फैमिली के अन्दर बूढ़े बाप और बेटों की जो कमाई है वह मुश्तर्का समझी जाती है जैसे कि कुल एक ही आदमी ने पैदा की हो । यह मेन फ़र्क़ है जो इस में रक्खा गया है । नतीजा यह होता है कि लड़का तो मेहनत से पैदा करता है लेकिन बाप के मरने के बाद उस को सिवाय सरवाइवरशिप के द्वारा पूरा हक़ नहीं मिल सकता है सिर्फ ज़रा सा हिस्सा मिलता है । उसका पूरा हिस्सा मानना स्टेट ड्यूटी के तौर से नहीं मिल सकता और मिताक्षरा ला के मुताबिक पूरा मिलना चाहिये । इसी वास्ते मिताक्षर ज्वाइंट फैमिली पर सन् १९२४ से १९४६ तक यह चीज़ चली आई कि डैथ ड्यूटी नहीं लग सकती । लेकिन मेरा यह पाइंट नहीं है । मैं कहता हूं कि मिताक्षर पर भी डैथ ड्यूटी लगनी चाहिये, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूं । किसी वेलफेयर स्टेट का काम नहीं चल सकता अगर उसके पास रुपया न हो । दुनियां भर में यह तरीका है रुपया वसूल करने का, मैं क्यों कहूं कि मिताक्षर को प्रोटेक्शन दिया जाय । लेकिन मेरे दोस्त गाडगिल साहब ज़रूर मंज़ूर करेंगे कि आप ने मिताक्षर के आदमियों को उनके क़ानून से अलग कर दिया है । जो जायदाद खुद एक आदमी की पैदा की हुई है उस पर डैथ ड्यूटी न लगनी चाहिये, आप ने इस को रखकर और मिताक्षर फैमिली में तमीज़ करके उन के उसूलों को सेट बैक कर दिया है । मैं इस बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल बांड की बिना पर मिताक्षर का ला आफ सक्सेशन बेस्ट है । मैं अर्ज़ करूंगा कि ज्वाइंट मिताक्षरा फैमिली का जो उसूल था उस को सरकार ने नहीं माना । मैं भी नहीं मानता और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यह मानता हो कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली पर टैक्स न लगे । मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था जब गाडगिल साहब ने दखल दिया । मैं तो यह पूछना चाहता था अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि उन के पास कौन सा कांटा है, कौन सा बैलेंस है जिसकी बिना पर उन्होंने यह पर्सेंटेज कायम की है । ३५ मैम्बर सेलेक्ट कमेटी में बैठे, उन में से सात काले थे या सात गोरे थे इस से मुझे कोई मतलब नहीं । ३५ मैम्बर बैठे । उन्होंने मुतफिक तौर पर, गलत या सही, यह तय किया कि पचास हजार और पछत्तर हज़ार की सीमा रहेगी, चलो वह शिकायत भी जाती रही, लेकिन अब वहां से आने के बाद कौन सी वजूहात नई निकलीं, श्री एन० सी० चेटर्जी की जबान में कौन सा नया रस था जिस की वजह से सीमा दायभाग की पछत्तर हज़ार से एक लाख कर दी । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरा अपना विउ यह था और मैं श्री देशमुख और गाडगिल साहब के दलायल से इत्मीनान रखता था कि मैं ने सही राय कायम की कि हाउस में कहा कि पछत्तर हज़ार की लिमिट होनी चाहिये । मैं अब भी चाहता हूं कि बड़े बड़े आदमियों से रुपया ले कर वेलफेयर स्टेट के ऊपर खर्च किया जाय और पछत्तर हज़ार की लिमिट रखी जाय ताकि हमारे देश का खज़ाना कम न हो । यही हमारे देशमुख साहब और गाडगिल साहब की राय है । मैं अब भी

इसी राय का हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप इस तरह से दोनों सिस्टमों में तमीज़ नहीं करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि देश का जो धन है जो दो चार दस आदमियों का अनआब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है वह ले लिया जाय, जब तक वह नहीं लिया जाता तब तक हमारा काम नहीं चल सकता, तो कौन से कांटे से आप ने तोला जिस की रू से पचास हज़ार और एक लाख की तमीज़ रखी ? क्या वह यह कांटा था कि चूंकि आप ने अरबों खरबों और संखों रुपया ज्वाइंट फैमिली से इन्कम टैक्स में ज्यादा वसूल किया है अस्सी वर्ष तक इस लिये और भी उन से वसूल किया जाय। यह कोई वजह थी? यह कोई बुनियाद थी ? अगर आप को तमीज करनी ही थी तो यह करते कि मिताक्षरा को करते एक लाख और दायभाग को करते पचास हजार । जो भी पुराना रुपया उन से वसूल किया गया है अगर उसका आप को खयाल था तो उसका यह असर होना चाहिये था ।

इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि जो मिताक्षर की लिमिट पचास हजार की रक्खी है उसके बर्खिलाफ मेरी अब भी शिकायत है कि वह मुनासिब नहीं था । तमीज करना ही गलत था । फिर यह और भी गलत था कि ३५ आदमियों के रिपोर्ट देने के बाद एक दम बिना किसी माकूल वजह के उनकी सीमा को पछत्तर हजार से एक लाख कर दिया । क्यों ऐसा किया गया मैं इस को समझ नहीं सका । यह मामला इतना ही नहीं है......

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ और समय लेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां ।

सभापति महोदय : अब सदन मध्याह्न भोजन के लिये ४ बजे तक के लिये स्थगित होता है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये चार बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्षमहोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

राज्य परिषद् से सन्देश

उपाध्यक्ष महोदय : अब सचिव राज्य परिषद् से प्राप्त एक संदेश पढ़ कर सुनायेंगे ।

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य परिषद् ने आन्ध्र राज्य विधेयक को, जो कि लोक-सभा द्वारा २७ अगस्त १९५३ को पारित किया गया था, बिना किसी सशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अहसास है कि मैंने अपने पहले रिमार्कस में कुछ ज़रूरत से ज्यादा वक्त लिया लेकिन जनाब वाला मुझे मुआफ फर-मायेंगे कि मैंने अपनी तरफ से कोई इरेलवेंट चीज़ नहीं कही और न मैं यह चाहता हूं कि इतना वक्त लिया जाय कि और मेम्बर साहि-बान के वास्ते वक्त न रहे ।

मैंने एक बात हाउस के सामने कही थी और वह एक ऐसा मुअम्मा है कि जिसका हल हाउस को ढूंढना ही होगा । मैंने दफा ३४ को अपनी तरफ से गौर से पढ़ा लेकिन मैं उसके अन्दर इस सवाल का साल्यूशन नहीं देख सका कि अगर एक शख्स के पास दो किस्म की जायदाद है, ज्वाइंट फैमिली की भी जायदाद है और सेल्फ एक्वायर्ड जायदाद भी है तो उसको डिसीज्ड की कितनी प्रापर्टी पर टैक्स देना होगा । यह सवाल गौर तलब है । मैं अब तक इसका हल नहीं कर सका ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

इस वास्ते मैं अदब से जनाब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और दूसरे दोस्तों की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुअम्मे को ज़रूर हल कर देना चाहिए। फर्ज कीजिये कि एक आदमी के पास २५ हजार की जायदाद सेल्फ एक्वायर्ड है और बाकी ४० हजार की जायदाद ऐसी है जो कि ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी है। ऐसी सूरत में जबकि यह दोनों मिल कर ५० हजार से ज्यादा हो जाती हैं, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। या कि उसकी जायदाद जो कि ज्वाइंट फैमिली की है वह अलग समझी जायगी। कैसे यह मामला हल होगा, उस पर कितनी रकम पर टैक्स लगेगा। अगर किसी शख्स के पास ५० हजार सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी है और दस पांच हजार की या १५ हजार की ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी है तो क्या उसकी एक लाख की लिमिट की जायगी या कोई निस्बत कायम की जायगी जिससे यह त हो कि अगर किसी शख्स के पास दोनों किस्म की जायदाद हो तो उसकी जो जायदाद है वह किस तरह से डील की जायगी। मुझे अफसोस है कि मैं दफा ३४ में इसका हल नहीं पा सका। यह मामला मेरी समझ में नहीं आया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस मअम्मे को हल किया जाय ताकि पता लग सके कि उसके वास्ते क्या टैक्स लगेगा।

स्केल भी मैं देखता हूं कि अलग अलग स्केल है। लेकिन ऐसी कोई स्केल नहीं है कि जो ऐसे केसेज़ के वास्ते प्रोवाइड की गयी हो जहां दो तरह की प्रापर्टी है। और मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अगर इन स्केल्स को देखा जाय तो यह बात नहीं है कि सिर्फ दो ही आइटम्स में फर्क है। इसमें अव्वल से आखिर तक फर्क है। इसमें जो ओरिजिनल सिन ह वह अव्वल से आखिर तक मौजूद है। चालीस परसेंट तक एक एक रुपये पर मुहर लगी हुई है डिस्क्रिमिनेशन की। दोनों किस्म की जायदाद में जो फर्क है वह परपीचुएट होता चला जायगा और ज्वाइंट फैमिली वालों को ज्यादा रकम देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी तवज्जह होनी चाहिये। अगर फैला कर देखा जाय तो पहली रकम के फर्क की वजह से हर एक आइटम में फर्क हो जायगा और यह फर्क आखिर तक होता चला जायगा। जब मैंने इसको फैला कर देखा तो मेरी समझ में आया। पहले मुझको इसका आइडिया नहीं था।

मैं एक सवाल और जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। माना आपने डिस्क्रिमिनेशन ही कर दिया। जैसा मैंने पहले अर्ज किया इस डिस्क्रिमिनेशन का ज्वाइंट हिन्दू फैमिली पर असर पड़ता है। और उसमें भी जितना खानदान ज्यादा गरीब होगा उसके साथ उतना ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होगा आपने जो रियायत ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को दी है कि अगर कोई शख्स १८ बरस से पहले मर जायगा तो उसके पास जो जायदाद होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यह किसको ओपन है और किस हद तक ओपन है। जो मार्गिनल खानदान हैं वह इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। जितने जितने आगे बढ़ते जायेंगे उतना उतना फायदा होता जायगा। लेकिन एक गरीब खानदान को जो कि अमृतसर में ह इससे क्या फायदा होगा अगर बम्बई या पूना में किसी खानदान को फायदा हो जाय। यही हालत इनकम टैक्स में होती है और मैं बहुत मर्तबा अर्ज कर चुका हूं कि किसी पंजाब वाले को क्या फायदा अगर किसी ऐसे आदमी को रियायत देदी गयी जो कि ५०० मील दूर रहता है। मुझे इससे क्या मतलब कि आप दूसरे पर क्या टैक्स लगाते हैं। दूसरों को आप रियायत दें इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। यह कोई कलेक्टिव फाइन है तो नहीं जो कि अगर एक से ज्यादा वसूल हो गया तो दूसरे से कम वसूल हो जायगा। यह तो

टैक्स है । इसमें पुअर फैमिलीज को नुकसान होगा और रिचर फैमिलीज़ को फायदा होगा । यहां यह डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों खानदानों में ही नहीं है, आगे चल कर और भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ।

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि इसमें फैमिली एरेंजमेंट का क्या बनेगा । किस तरह की स्केल के अन्दर उनको रखा जायगा ।

अब जनाब आप मुलाहज़ा फ़रमाइये कि टैक्स लग जायगा । टैक्सिंग अथोरिटीज, कंट्रोलर साहब, तो अपने हिस्से को लेकर भाग जावेंगे । क्या उनके ऊपर आइन्दा कोई दावा हो सकेगा ? क्या वह सवाल रीओपन हो सकेगा ? क्या पार्टीशन एक नये सिरे से, जब कोई नया आदमी खानदान में पैदा होगा जो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, रीओपन होगा ? और क्या रीओपन होकर कंट्रोलर साहब से वह सारे का सारा दिया हुआ रुपया वापस रीफंड लिया जा सकेगा ? मैं जनाब वाला, अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सारे मामले में इतने झगड़े पैदा होंगे कि यह मुकद्दमेबाज़ी कहीं खत्म नहीं होगी, खसूसन ऐसे इलाक़े के लोग जो हिन्दू धर्म शास्त्र से भी अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं हैं, उनकी ख़राबी का तो कोई अन्दाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि इस चीज़ का उनके ऊपर कितना भारी असर पड़ेगा ।

इसलिये मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब जब कि यह टक्स लग रहा है तो इसके लिये जो रूल्स बनेंगे, जिनका अभी ज़िक्र किया गया था, उन के ऊपर ज्यादा तवज्जह से ग़ौर किया जाय, जिनका कि इस सैक्शन से वास्ता नहीं है । जिनका इस सैक्शन से वास्ता है, उनके बारे में तो दो ही बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूं । अव्वल तो यह है कि अरिथमेटिक के उसूल लगा कर सोचिये और यह देखिये कि नान मिताक्षरा फ़मिलीज में एक डैथ होगी वहां मिताक्षरा फैमिलीज में उनके मुक़ाबले में क्योंकि मम्बर्स का नम्बर बहुत ज्यादा होगा, मौतों की फ्रीक्वैंसी ज्यादा होगी और २५ साल के अर्से में आप मालूम करगे कि मिताक्षरा फैमिलीज में बमुक़ाबले नान मिताक्षरा फैमिलीज के ज्यादा टैक्स पड़ेगा । यह सब फ्रीक्वैंसी आफ डैथ्स की वजह से होगा, जैसा मैंने अभी कहा कि वहां नम्बर बहुत ज्यादा होगा ।

इसके अलावा मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो रियायतें आपने दी हैं, उन रियायतों को आप वापस ले लीजिये । हमें कोई रिआयत किसी तरह की नहीं चाहिये । अगर नुक़सान भी होता है तो मिताक्षरा फैमिलीज में नुक़सान ही होने दीजिये । लेकिन साइकालाजिकली हमें यह चीज़ पसन्द नहीं है । हमें मिताक्षरा वालों को आप मुंह दिखाने के लिये रहने दीजिये, हम यह किसी का कहना पसन्द नहीं करते कि हम को हिन्दुस्तान में कोई रिआयत दी गयी है । हमारा कितना ही नुक़सान हो, या फ़ायदा हो, इस तरह से हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को सिंगल आउट कर के इस तरह से टैक्स करना, हम को बिल्कुल पसन्द नहीं है । यह कोई एक देश है या इस में अलग अलग टुकड़े करके इस तरह टैक्स आप लगाना चाहते हैं ? यह बिल्कुल ऐबसर्ड है, यह एक बदनुमा धब्बा है । हम इस सैक्युलर स्टेट में इस को किसी तरह से बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं । जितनी भी रिआयतें दी हैं, आपने दफ़ा १४ इन्कम टैक्स ऐक्ट में जो कहा, हमेशा कहते रहे हैं आप उनको वापस ले लीजिये । इनकम टैक्स के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि किसी को कोई रिआयत देने की ज़रूरत नहीं है । हम चाहते हैं कि आप हर एक के साथ इंसाफ़ और ईमानदारी का सलूक करें ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तो गो मैं स्केल के बारे में और अर्ज़ करना नहीं चाहता, स्केल से हिन्दू ज्वाइंट फैमिली को और ग़रीबों को खसूसन ज्यादा नुक़सान रहता है, उसका किसी तरह कम्पनसेशन नहीं हो सकता है । कम्पनसेशन की बात करना आन दी फेस आफ इट ऐबसर्ड है । इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि यह जो आपकी क्लाज है इसकी दो वजूहात पर मैं सख्त मुख़ालिफ़त करता हूं और अदब से जनाब आनरेबिल फायनेन्स मिनिस्टर की ख़िदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसका अब भी आप कुछ कर सकें तो मेहरबानी फरमा कर देखें कि जो हिन्दू ज्वाइंट फैमिली वाले हैं उनको यह कितना बुरा लगता है । जहां तक मेरा जाती सवाल है या बहुत से और दोस्तों का सवाल है जो मिताक्षरा से बाउंड हैं, उन पर कोई इफैक्ट नहीं होगा, मिताक्षरा में और दया भाग में और मुसलमानों में जहां तक सैल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी का ताल्लुक़ है, कोई फर्क़ नहीं होगा, लेकिन ताहम इसका जो साइकोलाजिकल असर है उसको हम नहीं भूल सकते । न मैं अपने नुक्ते ख्याल से भूल सकता हूं और न दूसरे के नुक्ते ख्याल से भूल सकता हूं । तो जहां तक स्केल का ताल्लुक़ है, जहां तक एग्जम्पशन लिमिट का ताल्लुक है, मैं इस क्लाज की सख्त मुख़ालिफ़त करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मैं पंडित भार्गव के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं प्रवर समिति का सदस्य था और एक अन्य अवसर पर मैंने प्रवर समिति द्वारा निश्चित की गई विमुक्ति सीमा के बदले जाने का विरोध किया था । वाद विवाद के दौरान में मैंने सदस्यों की यह धारणा महसूस की मानो वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 'दायभाग खतरे में है' । परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने दायभाग के साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया है । मिताक्षरा परिवार के समांशी को छोड़ कर सभी को लाभ पहुंचाया गया है । इस प्रकार के बर्ताव को विभेदात्मक कार्यवाही कहा जा सकता है ।

इस विधि द्वारा दो अलग अलग व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भिन्न भिन्न प्रकार से कर लगाये जाने की प्रस्थापना है । अतः यह हमारे संविधान के अनुच्छेद १४ की भावना के प्रतिकूल है जिसमें कहा गया है कि "भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से.....राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।" संविधान के अनुच्छेद १३ (२) में यह उपबन्धित है कि "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो.....।" विधि के समक्ष सब के साथ समानता का बर्ताव किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने जो दर प्रस्तावित किये हैं उनके अनुसार दायभाग परिवारों को—बल्कि यों कहिये कि अभागे मिताक्षरा परिवारों को छोड़ कर शेष सब लोगों को—फ़ायदा पहुंचेगा । अगर वह आदमी मर जाता है तो ५ प्रतिशत की दर से कर में अन्तर १२५० रुपये का होगा । अब तो यह अन्तर कोई ३००० रुपये या २५०० रुपये होगा क्योंकि ५०,००० रुपये पर ५ प्रतिशत की दर से कर लगेगा जो कि २५०० रुपये फैलता है । यदि दर ५ प्रतिशत घटा से कर २ प्रतिशत कर दिया जाये तो भी यह अन्तर रहेगा, हां कुछ हद तक कम ज़रूर हो जायेगा । वर्तमान स्थिति में हमें से कम कम ऐसा तो करना ही चाहिये—यानी दर ५ प्रतिशत से घटा कर २ प्रतिशत कर देना चाहिये ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार मिताक्षरा परिवारों को खत्म करने पर तुली

हुई प्रतीत होती है। यदि प्रस्तावित खंड ३७ क भी स्वीकार हो गया होता तब तो मिताक्षरा परिवारों के साथ और भी अधिक अन्याय हो जाता। अतएव मैं पंडित भार्गव के संशोधन का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि दर ५ प्रतिशत से घटा कर २ प्रतिशत कर दी जाये।

पंडित एस० सी० मिश्र : प्रारम्भ में इस विधेयक के सम्बन्ध में काफी उत्साह पाया जा रहा था किन्तु ज्यों ज्यों दिन बीतते गए वह उत्साह कम होता गया, यह एक गम्भीर विषय है, मैं समझता हूं कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण बातें दरम्यान में उत्पन्न हुई हैं, माननीय वित्त मंत्री उनका इस समय भी निवारण कर सकते हैं।

सदन का उत्साह उसी समय से ठंडा पड़ने लगा जबकि कर मुक्ति-सीमा ७५,००० रुपये से बढ़ा कर १००,००० कर दी गई, शुरू में मैं समझने लगा कि वित्त मंत्री शायद एक अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ रियायत देना चाहते हैं, पहले तो ऐसा ही लगा, परन्तु आंकड़ों को देखने पर मुझे पता चला कि चाहे उनका विचार कुछ भी रहा हो, उन्होंने आप के एक बहुत बड़े भाग को तिलांजलि दी है, मुझे मालूम हुआ कि संयुक्त हिन्दू परिवारों की कुल आय, जो कि करारोपण के लिए निश्चित की गई है ८० करोड़ रुपये है, इसी तरह अधि-कर के लिए यह ३३ करोड़ रुपये है। सारे भारत में कर योग्य सम्पत्ति का कुल मूल्य ८१० करोड़ रुपये लगाया गया है। संयुक्त हिन्दू परिवार जिनके लिए कि कर-मुक्ति सीमा ५०,००० रुपये निश्चित की गई है, लगभग ११३ करोड़ रुपये की वार्षिक आय पर आय-कर तथा अधि-कर दे देते हैं, यदि हम कुल सम्पत्ति का मूल्य इससे १६ गुना मान लें तो ऐसे परिवारों की कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग दो अरब रुपया आता है। दूसरे स्रोतों से यह उससे लगभग ८० गुना होगा, हम यह मान लेते हैं कि १६ वर्ष में पिता अपने पुत्र को अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित करेगा, वार्षिक कर निर्धारण के लिए हम केवल उसी सम्पत्ति को ध्यान में रख सकते हैं जो उस वर्ष में सम्बन्धित उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाये, मैं निवेदन करता हूं कि 'दायभाग' आदि के बहाने से मंत्री जी काफी धन खो बैठे हैं, अधिकांश सम्पत्ति ऐसे लोगों के हाथ में है जिनकी आय दो से लेकर पांच लाख तक है।

करारोपण दरों पर दृष्टिपात करने से पता चलेगा कि किस तरह से प्रथम प्रक्रमों पर शुल्क की दरें अधिक हैं। १५०,००० रुपये से हम एक दम २५०,००० रुपये पर पहुंच जाते हैं। अगले २००,००० के लिए दर २½ प्रतिशत है, वहां तक तो हर ५०,००० के लिए दर बढ़ती चली जाती है, लेकिन आगे को यह क्रम दो लाख से पांच लाख पर और पांच लाख से १० तथा २० लाख पर जाता है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि निम्नतम क्रम के लिए शुल्क की दर ५ प्रतिशत रखी गई तथा उच्चतम क्रम के लिय यह ४० प्रतिशत रखी गई है। मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि एक लाख के बाद क्रम जो एकदम बढ़ा दिया गया है उससे हम बहुत सा धन खो बैठेंगे।

वित्त मंत्री के फंदे में छोटे छोटे पूंजीपति तो अवश्य ही फंस जाते हैं परन्तु बड़ बड़े पूंजीपति छूट जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों के प्रति क्यों इतनी उदारता दिखाई जा रही है। सदन में बताया गया है कि शुल्क दर बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने प्रभाव को प्रयोग में लाकर राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करें। यह सचमुच अन्याय है कि आप निम्न आय वाले वर्गों पर ज्यादती करते हैं किन्तु

[पंडित एस० सी० मिश्र]

अधिक आय वाले वर्गों के प्रति उदार रहते हैं। यदि आप एक लाख रुपये के प्रत्येक क्रम पर सम्पदा-शुल्क में ढाई प्रतिशत वृद्धि करते रहेंगे तो १६ लाख रुपये के क्रम पर ही हमें ४० प्रतिशत सम्पदा-शुल्क लगाना होगा, वित्त मंत्री जी की योजना के अन्तर्गत हम ५०,००,००० रुपये के क्रम पर ४० प्रतिशत सम्पदा-शुल्क लगा सकेंगे। वैसे तो हम १६,००,००० रुपये के क्रम पर ही इसे लागू कर सकेंगे तथा इससे हमारी आय दुगुनी हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा इस पर काफी चर्चा भी हुई है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूगा कि वह किसी अन्य नुक्ते पर चर्चा करें।

पंडित एस० सी० मिश्र : यहां राष्ट्रपति की अनुमति से मतलब सरकार की इच्छा से है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बहाने का आश्रय न लेकर इस में परिवर्तन करेंगे।

श्री ए० एम० टामस : मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री ठाकुर दास भार्गव तथा श्री राघवाचारी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस अवस्था पर 'मिताक्षरा' तथा 'दायभाग' का प्रश्न फिर उठाया है। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ है तथा मैं समझता हूं कि इस पर अग्रेतर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि करमुक्ति सीमा बढ़ा देने के सम्बन्ध में इतना झगड़ा नहीं होना चाहिये था तथा इसके स्थान पर हमें शुल्क-दर के प्रश्न पर अधिक ध्यान देना चाहिये था। मैं समझता हूं कि कर मुक्ति सीमा बढ़ा दी जाने के कारण दो आपत्तियों का निवारण हुआ है। एक यह है कि कर भार में यथासम्भव समता प्राप्त की गई ह। जहां हम असमता का निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां हम उचित जीवन यापन स्तर को गिराना नहीं चाहते हैं। हमें उस स्वाभाविक भावना का उन्मूलन नहीं करना चाहिये जो कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। जब हमने यह नीति अपनाई है तो 'मिताक्षरा' उत्तराधिकार प्रणाली पर चलने वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं। मैं समझता हूं कि यह विवाद अब समाप्त होना चाहिये।

कुछ लोग समझते हैं कि वित्त मंत्री जी ने कर-मुक्ति सीमा बढ़ा कर कुछ लोगों को बहुत बड़ी रियायत दी है। हमें मालूम है कि आपने स्वयं यह एक लाख रुपये रखने की सिफारिश की है, प्रो० एस० एन० अग्रवाल के विचार भी हमें इस सम्बन्ध में मालूम हैं, वास्तव में वित्त मंत्री जी ने बुद्धिमता से काम लिया है, उन्हें मालूम है कि सम्पदा शुल्क दर का मामला अधिक महत्वपूर्ण है तथा करमुक्ति सीमा में रियायत देने से सरकारी कोष पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक दरों का सम्बन्ध है, इनके सम्बन्ध में दो आपत्तियां हो सकती हैं, एक यह है कि यह कड़ी हैं तथा दूसरे यह एकदम बढ़ जाती हैं, यदि हम इस सम्बन्ध में ब्रिटेन में प्रचलित दरों को देखेंगे तो हम बहुत कुछ उससे ग्रहण कर सकेंगे। वहां यह दरें हल्के हल्के बढ़ती जाती हैं, छोटी सम्पत्तियों के बारे में हमारा सिद्धान्त उनसे कुछ भिन्न नहीं हो सकता है।

श्रीमान्, हम देश में पहली बार यह कर लगा रहे हैं। हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि कहीं इस से असंतोष न फैल जाये। ब्रिटेन में कृषि-भूमि पर जो सम्पदा शुल्क लगाया जाता है उसका ४५ भाग छूट के रूप में दिया जाता है। हमने यहां यह रियायत २५ प्रतिशत रखी है और वह भी ऐसी सम्पत्तियों के बारे में, जो कि दो लाख से कम हों। दूसरी बात जो हमें ध्यान में

रखनी है यह है कि भारतीय परिवार ब्रिटिश परिवारों से बड़े होते हैं। इसके साथ ही निर्वाह व्यय भी यहां बढ़ रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में ५०,००० से लेकर १ लाख तक की सम्पत्ति पर तीन प्रतिशत शुल्क लगाना चाहिये। इसके बाद यह ५ प्रतिशत तथा फिर साढ़े सात प्रतिशत होना चाहिये। मैं श्री मिश्रा के इस कथन का समर्थन करता हूं कि विभिन्न प्रक्रम समान रूप से निश्चित किये जान चाहियें थे। यह नहीं कि दो लाख से हम फिर एकदम पांच लाख पर जायें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमें इन में कुछ परिवर्तन करना चाहिये।

श्री के० के० बसु : श्रीमान् माननीय वित्त मंत्री ने इस विधेयक को संसद् में प्रस्तुत करते हुये कहा था कि वह एक सम-समाज का प्रादुर्भाव करने जा रहे हैं। परन्तु शुल्क दरों को देखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि समाज में धन सम्पत्ति के आधार पर जो असमता है उसका निवारण किया जा सकेगा। हमने समझा था कि वित्त मंत्री उस धन को प्राप्त कर सकेंगे जो कि पूंजीपतियों की तिजोरियों में बेकार पड़ा है, परन्तु दरों को देख कर इस बात का पता चलता है कि १ करोड़ रुपये की सम्पत्ति रखन वाले को भी अपनी सम्पत्ति का केवल ३४.२ प्रतिशत भाग अपनी मृत्यु के पश्चात् सरकार को देना पड़ेगा। हमारी यह इच्छा थी कि कम आय वाले वर्गों को कुछ परित्राण मिल जाये, किन्तु इसके साथ ही पूंजीपतियों का दबाया हुआ धन देश के पुनर्निर्माण में लग जाये।

जहां तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यहां की खानों में, बागानों में तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं में काफी विदेशी पूंजी लगी हुई है। यहां हमारी यह कोशिश है कि विदेशी धन को समुदाय के फायदे के लिये उपयोग में लाया जाये। परन्तु हम देखते हैं कि मंत्री जी उनके प्रति नर्म रहे हैं, मैं इस समय अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं, किन्तु मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब उन्हें भविष्य में ऐसा कोई विधान बनाना हो तो वह मेरे सुझावों को ध्यान में रखें। अच्छा तो यह होता कि वित्त मंत्री अपनी दर अनुसूची प्रस्तुत करने से पहले उन लोगों से भी मशवरा करते जिन्हें कि इस सम्बन्ध में अपने संशोधन पेश करने थे। इसके बाद वह राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकते थे।

श्री मोरारका : मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि इस संशोधन द्वारा उन्होंने शुल्क की दरें विधेयक में ही सम्मिलित कर दी हैं। चर्चा के दौरान में सदन के सदस्यों की यही सामान्य मांग थी शुल्क की दरें भी विधेयक की ही अंग हों। हम माननीय मंत्री जी के इसलिये विशेष अनुग्रहीत हैं कि दरों का ढांचा बहुत सरल है।

मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। एक का मुख्य आशय यह है कि सम्पत्ति के निम्नतर खंडों पर दरें कम की जायें तथा उच्चतर खंडों पर बढ़ाई जायं। दूसरे संशोधन में मिताक्षरा, मयूरमक्कट्टयम तथा अलियसंतान के अतिरिक्त परिवारों को कुछ छूट देने की अपेक्षा की गई है। किन्तु चूंकि अन्य परिवारों के सम्बन्ध में छूट की सीमा ७५,००० रुपये से बढ़ा कर १,००,००० रु० कर दी गई है, इसलिये मेरे दूसरे संशोधन की अब आवश्यकता नहीं रहती।

अब केवल पहला संशोधन रह जाता है कि सम्पत्ति के निम्नतर खंडों पर शुल्क की दरें कम की जायें तथा उच्चतर खंडों पर बढ़ाई जायें। किन्तु जहां तक दरों के बढ़ाए जाने का प्रश्न है, हम इस सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी आलोचना केवल निम्नतर खंडों पर

[श्री मोरारका]

निर्धारित दरों की आलोचना तक सीमित रक्खूंगा। मुझे यह कहने में तनिक भी आपत्ति नहीं है कि इन दरों को निर्धारित करने में सरकार ने अपने राजस्व पर अधिक ध्यान दिया है, सामाजिक पहलू पर नहीं। यदि इन दरों को सम्पत्ति के प्रथम कुछ खंडों पर अपेक्षाकृत कम रखा जाता तो बड़े सुचारु रूप से कुछ ही समय में प्रजातांत्रिक तरीके से आर्थिक समानता लाने के प्रयत्न में सफलता मिल सकती थी। मैं नहीं समझता कि इन दरों को कम करने से राष्ट्र के राजस्व पर कोई गम्भीर प्रभाव पड़ता है। सरकार की आवश्यकताओं तथा मृत्यु-शुल्क में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि लोग तो बिना सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं का विचार किए मरते रहे हैं और मरते रहेंगे। सरकार इस बात का ठीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकती कि इस स्रोत से उसे कितना राजस्व प्राप्त होगा। सम्पदा शुल्क स्वाभाविक रूप से ही ऐसा है कि इससे कर प्रणाली में लचीलापन नहीं लाया जा सकता। इसलिये सरकार को इस शुल्क की दरें इस प्रकार निर्धारित करनी चाहियें जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका भार इस प्रकार पड़े कि वह एक प्रकार की आर्थिक समानता की ओर ले जाए। इसके लिये सरकार को पहले यह निर्णय करना होगा कि वह किस स्तर पर देश में धन के वितरण में समानता लाना चाहती है। जब तक सरकार यह निर्णय न करे तब तक बिना किसी निश्चित आधार के यों ही दरें निर्धारित करने का कोई लाभ नहीं है। मेरा निवेदन है कि सम्पत्ति के निम्नतर खंडों पर दरें निर्धारित करते समय आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि देश में सामाजिक सेवा किस सीमा तक उपलब्ध है। और यदि यह उचित समझा जाए कि लोगों के पास अपने परिवार के प्रति नैतिक तथा आर्थिक दायित्व निभाने के लिये कुछ सम्पत्ति छोड़ दी जाए तो मैं समझता हूं कि इस बात का पर्याप्त न्यायोचित कारण है कि सम्पत्ति के प्रारम्भिक खंडों पर समुचित छूट तथा दरों की कमी की जाए। इंग्लैण्ड और अमरीका का उदाहरण लीजिए जिनका कि आप बहुधा अनुसरण करते हैं। इंग्लैण्ड में प्रथम दो खंडों पर १ तथा २ प्रतिशत शुल्क है जबकि यहां ५ और ७½ प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। इंग्लैण्ड में ये दरें सन् १८९४ में निर्धारित की गई थीं और साठ वर्ष के पश्चात् अभी तक लगभग उतनी ही हैं यद्यपि सम्पत्ति के उच्चतर खंडों में आमूल परिवर्तन आ गया है अर्थात् ८ से बढ़ कर ८० प्रतिशत।

अमरीका को लीजिये। यदि कोई व्यक्ति वहां पांच लाख की सम्पत्ति छोड़ता है तो उसे ५½ प्रतिशत के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि भारत में अमरीका की अपेक्षा पूंजी निर्माण का रेट कहीं अधिक है। किन्तु फिर भी उतनी सम्पत्ति पर यहां १०½ प्रतिशत शुल्क देना पड़ेगा। आस्ट्रेलिया तथा कनाडा में भी प्रारम्भिक खंडों पर शुल्क की दरें बहुत साधारण हैं।

इसलिये न्याय तथा औचित्य की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि सरकार समस्त दरों के ढांचे को दोहराए और कम से कम प्रारम्भिक कुछ खंडों पर दरों को कम करे।

मैं नहीं कह सकता कि दरों के ढांचे की सरलता पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि मैं यह सुझाव दूं कि इन दरों को मृतक तथा उत्तराधिकारी के रिश्तेदारी की निकटता के अनुपात में वर्गीकृत कर दिया जाए। फ्रांसीसी तथा इटैलियन लेखकों ने काफी विस्तार से इस बात पर विचार प्रकट किया है कि दुख की मात्रा रिश्तेदारी की निकटता के अनुपात में भिन्न-भिन्न होती है।

यदि दरों को प्रारम्भिक खंडों में ही ऊंचा निर्धारित किया जाए तो उसका एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि लोगों में यह प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी कि किसी भी तरह से इस कर से बचा जाए और इसके लिये वे तरह-तरह के उपाय निकालेंगे । इससे सरकार के लिये भी प्रशासनात्मक कठिनाई बढ़ जाएगी ।

फिर, न्याय के नाम पर मैं यह अनुभव करता हूं कि एक बार इन दरों के निर्धारित हो जाने पर, ये पर्याप्त समय तक अपरिवर्तित रखी जानी चाहिए । इन दरों में बराबर परिवर्त्तन करते रहने से लोगों के मस्तिष्क में अनिश्चितता समा जाएगी । मृत्यु पर किसी का हाथ तो है नहीं । कोई नहीं जानता कि यह कब आएगी । इसलिये काफी समय तक इन दरों के अपरिवर्तित रहने से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक शुल्क महज़ इस लिए नहीं देना पड़ जाएगा कि एक के पिता की मृत्यु दूसरे के पिता से पहले या बाद में हुई जबकि शुल्क की दर अधिक थी ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : हमको यह कहते बड़ा संकोच होता है कि इस मामले में दायभाग और मिताक्षरा में एक झगड़ा सा लगा दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : झगड़ा ख़त्म हो गया ।

श्री झुनझुनवाला : रेट में फिर आ गया । तो मेरे कहने का यह मतलब कभी नहीं है कि दायभाग को बेशी मिले या मिताक्षरा को कम या बेशी मिले । हमारे भाई ठाकुर दास जी ने आप के सामने कहा है कि आपके कांस्टीट्यूशन में क्या लिखा है । उसकी धारा १४ में लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्शन करना चाहिये या नहीं करना चाहिये । कांस्टीट्यूशन के शब्दों के अनुसार हमारा यह केस ठीक आवेगा या नहीं । हो सकता है कि न आवे । परन्तु यह तो एक मामूली सी बात है कि एक राजा को दो आदमियों के बीच में किसी भी प्रकार का फ़र्क़ नहीं करना चाहिये । सभी को एक आंख से देखना चाहिये, दो आंख से नहीं देखना चाहिये । तो जैसा मैं ने शुरू में कहा था वह बात एक दम से अच्छी नहीं है । मैं ने उस समय बताया था कि यह भेद हम लोगों में, हमारी जाइंट फ़ैमिली में, ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था जो कि हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहती थी । अब जब कि हमारा राज्य हो गया है तो हम लोगों का इस भेद का मिटा देना चाहिये । यही मुझ को कहना है । जो लोग मिताक्षरा के जाइंट फ़ैमिली सिस्टम से गवर्न होते हैं उनको इनकम टैक्स का क़ानून बनने से पहले यह ख्याल भी नहीं होता था कि हमारा कितना है, हमारे भाई का कितना है, बेटे का कितना है । सब एक साथ रहते थे और एक साथ खाते पीते थे । किसी के मन में यह भावना नहीं आती थी कि यह पैसा मेरा है यह उनका है । पर आपके इस इनकम टैक्स के कानून ने उनमें अब भेद कर दिया है । अब तो वह यह सोचने लगे हैं कि मेरा हिस्सा इतना है, मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा । आपने जो यह सेपेरेटिज्म की भावना फैला दी है इस से आपस का प्रेम हट गया है । यह आपने अच्छा काम नहीं किया । परन्तु जैसा कि कहा गया कि नहीं यह बात तो तै हो गयी, आप इस पर नहीं बोल सकते हैं । तो मैं इस बात पर क्या कहूं । परन्तु यदि आप थोड़ा सा भेद रखें भी जैसा कि ठाकुर दास जी भार्गव ने सुझाया है कि .०१ पर सेंट रखा जाय, तो उसका मतलब यह हो सकता है कि भेद प्रायः मिट गया है । मैं ने अपने संशोधन में यह कहा है कि ५ परसेंट की जगह २ परसेंट रखा जाय । यदि आप ऐसा कर देंगे तो लोगों में यह भावना हो

[श्री झुनझुनवाला]

जायेगी कि आपने पूरा भेद तो नहीं मिटाया लेकिन थोड़ा थोड़ा मिटा दिया है । जो लोग धनवान हैं उनके लिये तो दो परसेंट और पांच परसेंट में कोई ज्यादा भेद नहीं होता जब वह दो लाख देंगे तो २५०० रुपये अधिक बिना किसी दिक्कत के दे देंगे । परन्तु जो नीचे तबक़े के आदमी हैं उनके लिये यह भेद काफ़ी हो जाता है । डेढ़ लाख की सम्पत्ति के ऊपर, जिनकी सेल्फ़ एक्वायर्ड प्रापर्टी है उनको जो टैक्स देना पड़ता है वह ३७५० रहता है और यहां पर जा कर ६ हज़ार और कितना हो जाता है । तो यह भेद बहुत भारी है । आप यदि ठाकुर दास जी का संशोधन मंजूर न करें तो मेरा जो संशोधन है कि पांच परसेंट से दो परसेंट कर दिया जाय यह संशोधन मंजूर कर लें । यह बहुत मामूली संशोधन है । इसको आप को मंजूर कर लेना चाहिये ।

इस विषय पर बहुत कहा जा चुका है । मैं फिर फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे ज़रा सोच विचार करें और यह भावना कम से कम दिखलावें कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस भेद को मिटा रहे हैं और एक दिन आवेगा जब कि हम यह सारा भेद मिटा देंगे ।

श्री शोभा राम : मैं शुल्क की दरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता; किन्तु मैं अनुसूची के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । अनुसूची में दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के लिये छूट की सीमायें निर्धारित की गई हैं । यदि इस सूत्र को गणित का हिसाब लगाकर देखा जाय तो विदित होगा कि इस में कुछ गड़बड़ी है ।

मान लीजिये कि दोनों प्रकार—"क" और "ख"—की सम्पत्ति ७५–७५ हज़ार रुपये है । यदि दोनों पर शुल्क की दर का हिसाब लगा कर देखा जाय तो छूट की सीमा ७५,००० रुपये होगी । यह छूट हुई एक लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर यदि सम्पत्ति एक लाख से कम हो, मान लीजिये "क" और "ख" के अन्तर्गत आने वाली ४०–४० हज़ार रुपये की अर्थात् फुल ८०,००० की सम्पत्ति हो तो छूट की सीमा हिसाब लगाने से ६५,००० रुपये ही बैठती है । इस प्रकार जहां दोनों वर्गों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों में १ : १ का अनुपात है अर्थात् उनकी राशि बराबर है और दोनों मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक हैं, वहां छूट की सीमा ७५,००० रुपये होगी और जहां दोनों में १ : १ का अनुपात है किन्तु कुल राशि एक लाख रुपये से कम है वहां छूट की सीमा ६५,००० रुपये ही होगी । इसलिये मेरा कहना यह है कि जो राहत हम अधिक धनाढ्य वर्ग को प्रदान कर रहे हैं उस से कम धनाढ्य लोगों को वांचित नहीं कर देना चाहिये ।

इसी प्रकार की असमानता आप २ : ३ या १ : ४ अथवा किसी भी अन्य अनुपात की दोनों प्रकार की राशियों के सम्बन्ध में पायेंगे । एक लाख से अधिक सम्पत्ति वालों के लिये छूट की सीमा अधिक हो जाती है, एक लाख से कम वालों के लिये अपेक्षाकृत कम । इसलिये जो सूत्र हम लागू करने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में हमें पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि शुल्क की दरों में परिवर्तन कर दिया जाय । माननीय सदस्य ने जो विरोधाभास बतलाया वह दो प्रकार से दूर हो सकता है । एक तो यह कि खंड ३४ को हटा दिया जाये —जो कि अब सम्भव नहीं है क्योंकि यह सदन द्वारा पास किया जा चुका है । यह दूसरी

तरह से दूर किया जा सकता है अर्थात् दरों में रद्दो बदल कर के । क्या यही आशय है ?

श्री शोभा राम : इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है यदि हम यह देखें कि जो राहत धनाढ्य वर्ग को दी जा रही है उससे ग़रीब वर्ग को वंचित न रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ग़रीब-अमीर का भेद जानबूझ कर नहीं किया गया है । जो भी सदस्य इस बात पर ज़ोर दें उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये कि खंड ३४ पर वापस जाने के लिये अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सदन इसे स्वीकार कर चुका है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह पास हो भी चुका हो । मान लीजिये कि कोई गलती रह गई है । क्या हम इसे किसी प्रक्रम पर दूर नहीं कर सकते ? यह विधेयक दूसरे सदन के सम्मुख जायगा । मान लीजिये कि हम वित्त मंत्री जी को यह विश्वास दिलाने में समर्थ हो जाते हैं कि वास्तव में कोई ग़लती रह गई है और कुछ लोग बच सकते हैं, तो वह दूसरे सदन में इसे ठीक कर सकते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : यह बात खंड ३४ (२) के विषय में है । किन्तु वह खण्ड तो पहिले ही पारित कर दिया गया है ।

श्री शोभा राम : खण्ड ३४ को अनुसूची के साथ पढ़ा जाना चाहिये । मेरा वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि जब खण्ड ३४(२) में दिया हुआ सिद्धान्त एक लाख रुपये से कम की सम्पत्ति पर लगाया जाय तो यह एक विशेष प्रकार से लगाया जाना चाहिये और इसे कानूनी रूप में न लगाया जाय । इस सिद्धान्त को लगाने का एक विशेष तरीका है । मैं नहीं चाहता कि खण्ड ३४ हटाया जाय अथवा इस पर कोई संशोधन रखा जाय । मेरा कहना यह है कि धनी व्यक्तियों को जो लाभ मिले वही ग़रीब आदमियों को भी मिलना चाहिये । मैंने खण्ड ३४ पर अपना संशोधन संख्या १४४ रखा है । मुझे उस पर बोलने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं उस पर बोलता । इस विधेयक में यदि कोई अनियमितता हो तो अभी इस बात के लिये समय है और इस विधेयक को राज्य परिषद् में भेजे जाते समय विधि मंत्री उसे ठीक कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही प्रकार के तर्क बार बार नहीं दिये जाने चाहियें । श्री कृष्ण चन्द्र

श्री कृष्ण चन्द्र : संशोधन में इस बात का सुझाव है कि ५ प्रतिशत के स्थान पर २ प्रतिशत होना चाहिये । यह तो पहिले ही कहा जा चुका है कि जो दरें रखी गई हैं उन से बड़ी सम्पत्तियों की अपेक्षा छोटी सम्पत्तियों को अधिक नुकसान होगा । मिताक्षरा कानून के अन्तर्गत आने वाले संयुक्त हिन्दू परिवारों पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार किये गये संशोधन का अधिक असर पड़ा है, जिसमें अन्य लोगों के लिये छूट की सीमा को बढ़ा कर ७५,००० रुपये से १,००,००० रुपये कर दिया गया है । मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे मिताक्षरा परिवार की सम्पत्ति के पहिले ५०,००० रुपये पर लगने वाले दर को ५ प्रतिशत से २ प्रतिशत कर दें और अन्य दरों को वैसा ही रखा जा सकता है । वित्त मंत्री ने यह बताया कि उन सम्पत्तियों की तुलना में, जिनपर शुल्क लगेगा, संयुक्त हिन्दू परिवारों की कुल संख्या बहुत कम है । अतः यदि उनकी संख्या बहुत कम है तो मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से राज्य की वित्तिक स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ठीक ही कहा है कि यदि मिताक्षरा कानून के अन्तर्गत

[श्री कृष्ण चन्द्र]

आने वाले लोगों को कोई सहायता नहीं दी गई तो इससे संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली समाप्त हो जायेगी। मैं इस प्रणाली के लाभ नहीं बताना चाहता क्योंकि वे पहिले बताये जा चुके हैं। वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को देख कर मैं यह समझ रहा था कि जो हमारे विधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात कही गयी है, जो बात प्लानिंग कमिशन ने बतलाई है, उसकी पूर्ति की जायगी। मैं समझ रहा था कि जिस नक़शे को हम अपने मुल्क में लाना चाहते हैं, वह जल्दी हमारे सामने आयगा। लेकिन जब इस बिल के साथ यह दरों का नक़शा हमारे सामने आया तो मैं चकाचौंध रह गया और मुझे मालूम पड़ा कि जो नक़शा हम अपने देश में लाना चाहते थे, वह नक़शा हमारे फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब जल्दी नहीं लाना चाहते। इसके लिये मैं कहूंगा कि एक पुराना वेद मंत्र है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं :

यज्ञेन यज्ञम् यजन्ति देवा, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन।

तेहि नाकम् महिमाना सचान्ति, यत्र पूर्वे साध्या संति तेहि नादाम देवा ।।

इसका मतलब है कि "एक कारण से देवता कार्य पैदा किया करते हैं, उसके कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं अर्थात् कार्य उत्पन्न होने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। वही लोग इष्ट कार्य पैदा करने में कामयाब होते हैं जो पहले से सिद्ध किये गये कानूनों को अमल में लाते हैं"। इसलिए जब कोई कानून लागू करना हो तो उस ला अर्थात् कानून नियम को ठीक तरह से लागू किया जाय तो जो वह फल बताता है, वह नतीजे में पैदा होगा, वरना नहीं जैसे Boyles law, अगर उस को प्रयोग में लाना है तो उसको उस प्रकार प्रयोग में लाया जाय जिस प्रकार दूसरे विशेषज्ञों ने उस को प्रयोग करके सिद्ध कर रखा हो तो उसके द्वारा इष्ट प्राप्त होगा अथवा नहीं। तो इस तरह से समाज में हम अगर कोई परिवर्त्तन लाना चाहते हैं तो हम ऐसा ही क़ानून बना कर प्रयोग कर सकते हैं कि जो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा पहले अज़माया हुआ हो। यह स्टेट ड्यूटी बिल जो हम अपने भारत वर्ष में ला रहे हैं कोई नया क़ानून नहीं है जो हम ला रहे हैं। इस क़ानून को इंग्लैंड ने अपने यहां लागू किया, और आज से ६०, ७० वर्ष पहले इस क़ानून को अपने यहां लागू किया, अमरीका ने भी इसको अपने यहां लागू किया, और बहुत सी जगहें हैं जहां पर यह क़ानून लागू किया गया है और उन जगहों पर इस कानून के लागू होने पर इसके सम्बन्ध में वहां के बड़े बड़े विद्वानों का क्या मत रहा है और किया उन्होंने तर्जुबा हासिल किया है और उनका अन्तिम निर्णय क्या है? उस तर्जुबे को हमें मालूम करना चाहिये और उसके आधार पर यहां यह कानून बनाना चाहिये।

इंग्लिस्तान के राजनैतिक विद्वानों ने अपने देश में जो पहले पहल कानून लागू किया तो उन्होंन नीचे का स्तर रक्खा १०० पौंड और १०० पौंड पर उन्होंने कर का रेट रक्खा १ परसेंट और ऊपर जा कर लगाया ८ परसेन्ट। लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि वह उस कर की दर के द्वारा समाज में उस संतुलन की मात्रा को नहीं रख सकते हैं जो वह चाहते हैं। विषमता समाज में बहुत बढ़ती चली जा रही जिस के कारण देश में हाहाकार मचता है वह शक्ति जो धन

पैदा करती है मुट्ठी भर आदमियों के हाथों में चली जा रही है तो उन्होंने अपने क़ानून को बार बार बदला । सन् १९०९ में बदला, १९१४ में बदला, सन् १९ में, सन् २५ में, फिर १९३० में बदला, फिर १९३९ में, फिर सन् १९४० में और फिर १९४६ में बदला, अन्तिम बार १९४९ में बदला । उन्होंने क्या क्या इस के लिये नहीं किया। उन्होंने सन् १९२५ में कर की दर को ऊंचे लेवेल पर ४० पर सेन्ट कर दिया और नीचे स्तर पर एक पर सेन्ट ही रक्खा लेकिन उसके बाद ही यह ध्यान आया कि यह जो ग़रीब आदमी हैं उन के ऊपर एक एक पौंड लगा कर कोई ज्यादा आमदनी तो होती नहीं और बिना कारण एक परेशानी खड़ी हो जाती है, और धन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होता ही चला जाता है, वह तब हुआ जब वहां का ग़रीब तब्का ऊपर उठा, लेबर गवर्नमेंट आई और हाउस आफ़ कामन्स में इन्कलाब आया तो उन्होंने इस बला को रोका । उन्होंने हायर लेवेल पर जा कर अर्थात् दस लाख पौंड की सम्पत्ति पर ८० पर सेन्ट ड्यूटी कर दी अर्थात् १०० में से ८० रुपया ड्यूटी रक्खी और नीचे के लेवेल पर उन्होंने १०० पौंड के बजाये २००० पौंड तक की सम्पत्ति को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया अर्थात् यह कि २००० पौंड की सम्पत्ति तक किसी को कोई कर नहीं देना पड़े । मैं समझता था कि हमारे फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब बहुत होशियार और क़ाबिल आदमी हैं, उन की क़ाबलियत का रोब मेरे ऊपर भी है, उन्होंने इंग्लैंड का क़ानून पढ़ा होगा, अमरीका का कानून पढ़ा होगा, क्योंकि वह अंग्रेज़ी जानते हैं, मैं तो पुराने ढंग का आदमी हूं, मैं समझता था कि उन्होंने सब क़ानून पढ़े होंगे और वहां की दरों को देखा होगा, लेकिन मुझे अब पता लगा कि यह दरें उन्होंने नहीं पढ़ीं या उनकी मिनिस्ट्री के आदमियों ने उन को बताया नहीं, या मिनिस्ट्री के किसी आदमी ने उन को सुझाया नहीं, जिस से इस प्रकार का कानून हमारे सामने आया । मैं बड़े ताज्जुब में रह गया । इंग्लैंड और अमरीका में तो यह बात नहीं की गई लेकिन यहां ग़रीब के गले पर छुरी चलाई गई। नीचे के लेवेल पर कर कर दिया पांच परसेन्ट और कर से मुक्त सम्पत्ति की लिमिट रख दी पचास हज़ार । इस में किसी साहब ने पौंड का हिसाब लगाया और सोचा कि चूंकि इंग्लैंड में एक लाख रुपये पर तीन हज़ार का औसत पड़ता है तो यहां इन लोगों से ढाई हज़ार ले लो । कर मुक्त सम्पत्ति तो ऊंची कर दी, लेकिन दरों में छुरी चलाई तेज़ । लेकिन तीन लाख से ऊपर की सम्पत्ति पर कर की दरों में छूटें देने लगे और बार बार हर स्तर पर देने लगे। जो जितना मोटा आसामी उस को उतनी ही छूट । यह बात जब मुझे मालूम हुई तो मैं ताज्जुब में रह गया । यहां देहली से 'जनसत्ता' अख़बार निकलती है, उस का एक आर्टिकल मैं ने इस क़ानून के सम्बन्ध म हिन्दी में पढ़ा । उस ने भी यह बात कही कि एस्टेट ड्यूटी में जो दरें पेश की गई ह वह बड़े ग़लत तरीक़े पर रक्खी गई हैं । उस में ऊंचे के लेवेल पर दरें तो कम है और नीचे के लेवेल पर दरें ज्यादा हैं । मैं समझता था कि फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर करेंगे, लेकिन हिन्दी के अख़बार को पढ़ता कौन ? यहां पर पार्लियामेंट है, पंद्रह वर्ष तक तो यहां अंग्रेज़ी बेटी है, यहां के अफ़सरान हिन्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में भी हिन्दी में बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, पंद्रह वर्ष के बाद क्या होगा यह मैं जानता नहीं । मैं यह कह रहा हूं कि जनसत्ता अख़बार अगर फ़ाइनेन्स

[श्री आर० डी० मिश्र]

मिनिस्ट्री या उस डिपार्टमेंट के हुक्काम देखते तो कुछ सोचते, समझते लेकिन उन्होंने उस अखबार को भी नहीं देखा और फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपने संशोधन में दर ठीक नहीं किये। मैं ने यह किया कि और जगह फ़ैक्ट्स ऐंड फ़िगर्स इकट्ठे किये। कुछ किताबें पढ़ीं, शुरू से आखिर तक की बातें देखीं। अमरीका के क़ानून को भी देखा तो मालूम हुआ कि वहां ७७ परसेन्ट तक ड्यूटी लगी हुई है। पर वहां नीचे के लेवेल पर वह कम रखी गई है। लेकिन हमारे यहां इस प्रकार से कर की दरें नहीं रखी गईं तो मैं ने यह समझा कि मैं भी पार्लियामेंट का मैम्बर हूं, मैं ही इस क़ानून पर एक ऐमेन्डमेन्ट पेश कर दूं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट पर सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी है इस लिये फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब को गवर्नमेंट चलाने के लिये बहुत पैसा चाहिये। और मिलना भी चाहिये। हम लोग ग़रीबों के नुमाइन्दे हैं हम यह चाहते हैं कि जल्दी से देश में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। बड़ों के पास जो रुपया इकट्ठा है वह बंटे और विषमता कम हो, बड़े बड़े कारखाने भी खुलें, उद्योग धंधे चलें जिस से बेकारी दूर हो गवर्नमेन्ट पर भी ज़िम्मेदारियां ज्यादा आ गईं, हम ने गवर्नमेन्ट को स्वयं बनाया है, इसलिये हम गवर्नमेन्ट को पैसा भी देना चाहते हैं ताकि वह यह सब काम कर सके। तो हम ने सोचा कि सरकार से यह कहना कि नीचे के लोगों की दर घटा दो यह ग़लत बात होगी, हम तो कहते हैं कि टैक्स लो, ग़रीब लोगों से भी लो और ऊपर के लेवल वालों से भी लो। जिस के पास १०० रुपये का भी धन है उस पर भी एक रुपया लगा दीजिये हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आज इन बड़े बड़े आदमियों पर क्यों मेहरबानी कर रहे हैं। यह कांग्रेस का सिद्धान्त नहीं यह प्लानिंग कमिशन का सिद्धान्त नहीं, कान्स्टिट्यूशन का सिद्धान्त नहीं कि छोटों से ज्यादा और बड़ों से कम कर लिया जाय। यहां मैं क्या कहूं, मुझे एक फ़ारसी की रुबाई याद आ गई :

याराय ज़ुबां को कि सनाय तो कुनम, तोसीफ़े
कमाले किबरियाये तो कुनम।
चीज़ें ब बिसाले मा तिही दस्तां नेस्त,
वोटे कि मा दाक्षतम फ़िदाये तो कुनम।।

"हमारी ज़बान में ताक़त कहां जो हम आपकी अर्थात् फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब की बड़ाई करें और हम आपका कमाल बयान कर सकें। हम ख़ाली हाथों के पास कोई चीज़ नहीं है, एक वोट मैं रखता हूं जो नौछावर करता हूं"। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं मुझे आपके ही के बिल पर वोट करना है अगर आप कहेंगे तो अमेडमेंट को भी वापस कर लूंगा लेकिन मेरे मन में जो बात है वह कहूंगा ज़रूर और अपनी बात कहने का यहां मौक़ा है। एस्टेट ड्यूटी बिल में बड़े बड़े आब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उन पर बहस हुई, मिताक्षर और दायभाग पर बहस हुई, लेकिन आगे चल कर छोटा सा ऐमेन्डमेन्ट आया। पहले तो एस्टेट ड्यूटी बिल चल रहा था, उसके बाद एस्टेट ड्यूटी की दरों का जो बिल था वह एमेन्डमेन्ट बन कर हाउस के सामने आया डिप्टी स्पीकर साहब इस पर पहले बोलने का मुझे अवसर नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से समय अब मिला है। मैं ने अपना एक ऐमेन्डमेन्ट मूव कर दिया। लेकिन फिर पता चला और यहां पर एक एतराज़ भी हो गया कि कर बढ़ाने वाली एमेन्डमेन्टों के लिये मुझको प्रेज़िडेन्ट की मंजूरी चाहिये। अब तक मेरे पास ऐमेन्डमेन्टों की जो लिस्टें आई हैं और जो मेरे पास ही रक्खी हैं, उन में फ़ाइनेन्स

मिनिस्टर साहब के ऐमेन्डमेन्ट पर नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने कभी प्रेसीडेन्ट साहब से मंजूरी ली हो। ऐसी मंजूरी हमेशा बिल के ऊपर लिखा रहता है लेकिन उनकी एमेंडमेंट के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, कि उनको मंजूरी मिली है फिर भी उस को मान लिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब ने भी उसे नहीं देखा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ने मंजूरी प्राप्त कर ली है।

श्री आर० डी० मिश्र : आप के पास है वह ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां जी।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं ने जो रूल्स को पढ़ा है उन में लिखा हुआ है कि जिस किसी सदस्य ने प्रेज़िडेन्ट की सैंक्शन ली हो तो वह उसे अपने ऐमेन्डमेन्ट के साथ अटैच कर दे और वह अटैच हो कर नोटिस के साथ जायगा। मैं ने सैंकशन प्राप्त करने के लिये अपने संशोधन को भेजा पर उसकी मंजूरी मुझ को नहीं मिली। और मिलती भी क्यों ? डिमाक्रेसी के अन्दर जो कुछ फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब कहेंगे वही प्रेज़िडेन्ट साहब का आदेश है। प्रेज़िडेन्ट साहब का तो शायद पता भी नहीं होगा क्योंकि डिमाक्रेसी में तो यह मिनिस्टर की ही रिस्पान्सिबिलिटी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने मंजूरी ले ली हो तो आप अपना संशोधन रख सकते हैं।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरे पास रिजेक्शन है और वह भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तरफ़ से आया है। मुझे इत्तला दी गई है कि उस एमेंडमेंट को पेश करना मंजूर नहीं किया गया। जब उस को मंजूर नहीं किया गया तो मैं ने अपने मन में सोचा कि आखिर यह मामला क्या है ? मैं तो फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब को पैसा देना चाहता हूं बहुत सा, और उसके लिये टैक्स की दर बढ़ाने का संशोधन किया परन्तु वह मंजूर नहीं किया गया।

सवाल यह है कि इस प्रकार के विषय के लिये हमें एक कन्वेन्शन कायम करना है। कांस्टीट्यूशन में यह लिख दिया गया है कि मेम्बरान खर्च करने के लिये बिना राष्ट्रपति की सिपारिश के एमेन्डमेन्ट संसद् में रख सकते हैं लेकिन बढ़ान के लिये नहीं दे सकते। टैक्स बढ़ाने का एमेन्डमेन्ट हम नहीं दे सकते, टेक्स कम करने का दे सकते हैं। गवर्नमेन्ट की ज़िम्मेदारी हम जानते हैं। जब इतने डिपार्टमेन्ट क़ायम हैं, तो हम उसकी आमदनी कम कैसे करें। कर कम करने के लिये प्रेज़िडेन्ट की मंजूरी लेने की ज़रूरत होनी चाहिये। अगर कोई सदस्य टैक्स कम करने का प्रस्ताव करें तो राष्ट्रपति यह कह कर उसको अस्वीकार कर सकते हैं कि साहब, आप ने इतने नौकर मुकर्रर कर दिये हैं, दुनियां के क़ानून पास कर दिये हैं हमने इतनी तन्ख्वाह देनी पड़ेगी, इतना खर्च आयेगा, लिहाज़ा खर्च कम करने की बात आप कैसे करते हैं ? हम इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन यहां हम यह कहते हैं कि लीजिये आप को एक लाख की ज़रूरत है तो हम आप को पांच लाख देते हैं तो इस में प्रेज़िडेन्ट साहब का या फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब को क्या एतराज़ है। आप ने बिल में कहा कि ४० फ़ीसदी कर लिया जाय, हम कहते हैं कि आप ८० फ़ी सदी लीजिये। इससे सरकार को अधिक आमदनी होगी और जनता के हित में अधिक कार्यवाही कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कि माननीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी न दिये जाने पर उसकी आलोचना करते ही चले जायें।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ने प्रेज़िडेन्ट का आर्डर तो मान लिया है, जो मेरी ऐमेन्डमेन्ट ७२८ नम्बर पर थी मैं ने उसको वापस ले लिया, दूसरा ऐमेन्डमेन्ट टेबल कर दिया है जो ७४८ नम्बर है प्रेज़िडेन्ट की आज्ञा के मुताबिक, फ़ाइनेन्स मिनिस्टर के आदेश के मुताबिक ।

मैं यह कह रहा था कि हमको हिन्दुस्तान की डिमाक्रेटिक वर्ल्ड में एक नया कनवेंशन खड़ा करना है ।

मैं यह कह रहा हूं कि हमने इंगलैंड के क़ानून ले ले कर अपने कांस्टीट्यूशन में रखे हैं । वहां पर पार्लियामेंट में जो बड़े बड़े कैपीटलिस्ट थे उन्होंने इस तरह की बात खड़ी की । क्योंकि वह जानते थे कि कोई टैक्स लगेगा तो उन पर लगेगा । इसलिये उन्होंने यह कायदा बनाया कि हाउस आफ़ कामन्स टैक्स न बढ़ा सके । और उनको यह कह कर बहका दिया कि आप तो जनता के आदमी हैं, आप को तो टैक्स घटाना चाहिये न कि बढ़ाना चाहिये । यह फ़्यूडल लार्ड्स की की हुई बात है । हमारे यहां तो फ़्यूडल लार्ड्स के लिये क़ानून नहीं बनाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि हाउस आफ़ कामन्स का यह नियम है कि जो कर लगा हो उसका दर बढ़ाया जा सकता है ?

श्री आर० डी० मिश्र : वहां पर तो इसलिये नहीं बढ़ाया जा सकता कि वहां पर कैपीटलिस्ट थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको अब कुछ और नहीं कहना है । अब किसी दूसरे सदस्य से बोलने के लिये कहूंगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : कार्यक्रम मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार हमें इसे आज शाम तक समाप्त कर देना चाहिये । यदि इस पर अब और भी सदस्य बोलेंगे तो इसमें एक दिन और लग जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में यथा सम्भव शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि दो तीन सदस्य बोलना चाहते थे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं किसी बात पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हमें इसे आज शाम तक समाप्त कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे आज समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं किन्तु उठाये गये औचित्य प्रश्नों पर कुछ समय लग गया । माननीय सदस्य अधिक समय लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । अब केवल दो या तीन सदस्य बोलेंगे । मुझे आशा है कि हम सभी खंडों को अभी समाप्त कर देंगे और तृतीय वाचन भी आरम्भ कर देंगे ।

सभी दलों के नेता तथा बहुत से माननीय सदस्य आज मुझ से मिले । उन सबने यह बात तय कर ली थी कि तृतीय वाचन में प्रत्येक दल का एक सदस्य बोलेगा । यदि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान ले कि उसके भी एक या दो सदस्य बोलेंगे तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं । यदि हमें कुछ समय तक बैठना भी पड़ा तो हम इसे ७ बजे तक समाप्त कर देंगे । किन्तु इस असाधारण परिस्थिति के कारण हम कल एक घंटा और ले सकते हैं । परन्तु मैं इसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : एक सदस्य एक घंटे तक बोले। यदि आप विनिर्देश भी दे देते हैं तो भी सदस्य तो बोलते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस समय यहां नहीं था। मुझे मालूम है कि आप ८ बजे से ९ बजे तक बैठे रहे। किन्तु आप बाहर जा कर बैठ तो सकते हैं। मुझे भी यहां बहुत देर तक बैठना पड़ता है और मैं भी कुछ आराम चाहता हूं। जब मैं यहां आया तो मैंने सभापति महोदय से कहा था कि इस पर फिर चर्चा न की जाये।

श्री एस० एस० मोरे : क्या सभापति महोदय की आलोचना की जा सकती है। ये सब आवश्यक बातें हैं और हमें अब और अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री आर० डी० मिश्र : श्रीमान्, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत कुछ कह चुके हैं। आप यदि चाहें तो अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं।

श्री राघवाचारी : कार्यक्रम मंत्रणा समिति के कार्यक्रम में एक दिन बढ़ गया था। इसलिये इस सब काम में एक दिन और बढ़ा देना चाहिये।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि जब इस तरीक़े का अमेंडमेंट कर बढ़ाने का आपके पास आया और उस पर अगर आप ग़ौर करना मुनासिब नहीं समझते थे तो हमें मौक़ा देते, इस सदन को अवसर देते और उस पर डिसकशन हो जाता और अगर यह हाउस उसे मंज़ूर करता तो मंज़ूर हो जाता और ऐसा इस देश में कनवेंशन कायम हो जाता कि यह हाउस टैक्स बढ़ा सकता है। इस में कोई ज्यादा कानून के बदलन की ज़रूरत नहीं थी।

लेकिन अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम ऊपर के लैविल पर टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इंगलैंड और अमरीका के तरीके पर नीचे के लैविल पर टैक्स घटा देना चाहिये और दरें कम कर देनी चाहियें और उन की गरदन ज्यादा नहीं काटनी चाहिये जो ग़रीब हैं और कम सम्पत्ति वाले हैं। इसीलिये मैं ने अपना अमेंडमेंट दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट आपके सामने रखता हूं। आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे।

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट सैक्युलर स्टेट है, प्रजातन्त्र राज्य है। इस में जो क़ानून बनाये गये हैं, वे मनुष्य मात्र के लिये एक आधार पर बनाये गये हैं, एक उसूल पर बनाए गये हैं। फिर यह समझ में नहीं आया कि माननीय फ़ायनैन्स मंत्री जी ने किस तरह से ज्वाइंट हिन्दू फ़ैमिली और दूसरे लोगों के साथ यह फ़र्क़ रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि दायभाग तथा मिताक्षर प्रणालियों के अन्तर्गत आने वाले संयुक्त परिवारों के अन्तर का निर्देश करने से कोई लाभ नहीं। इस पर चर्चा हो चुकी है और खण्ड ३४ के सम्बन्ध में निणय कर लिया गया है। यदि आपको अनुसूची के सम्बन्ध में कुछ कहना हो आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सेठ अचल सिंह : मैं शिड्यूल के ऊपर ही बोलना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, इस का प्रीऐम्बल नहीं चाहिये।

सेठ अचल सिंह : एक तरफ़ एग्ज़म्पशन ५० हज़ार का रखा है और दूसरी तरफ़ एक लाख का रखा है। यह डिफ़रैंस बिल्कुल ग़ैर मुनासिब है, ग़ैर जां है, क्योंकि यह हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और इस में एक ही कांस्टीट्यूशन सब के वास्ते है, वह एक सा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह एग्ज़ेम्पशन बजाये ५० हज़ार के एक लाख तक कर दिया जाय।

साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो रेट्स हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। जब कि अमरीका में इंग्लैंड में वे रेट्स बहुत कम हैं, यहां वे रेट्स ५ परसेंट और साढ़े सात परसैंट हैं। वे कम कर दिये जायें। इस तरीक़े से अगर हम शिड्यूल बनावेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम ज्यादा कामयाब हो सकेंगे और ज्यादा ज्यादती आम जनता के साथ नहीं होगी।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : इस मामले में संयुक्त परिवार सम्पत्ति अथवा संयुक्त परिवार के अंशधारी को २ लाख रुपये के सम्पत्ति के मालिक के समान माना गया है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के मालिकों के साथ यह विशेष प्रकार का बर्ताव क्यों किया गया है और संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के ५०,००० रुपये के मुकाबले में पहिले ५०,००० रुपये पर ५ प्रतिशत का उच्च दर क्यों रखा गया है। मेरा कहना कि दरों के मामले में तर्क से काम नहीं लिया गया है, क्योंकि १ लाख के ऊपर वृद्धि २,१/२ प्रतिशत है और २ लाख के ऊपर वृद्धि ५ प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि इस पहिले ५०,००० रुपये पर ५ प्रतिशत का उच्च दर नहीं लगना चाहिये। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वह इस ५ प्रतिशत को कम करके २,१/२ प्रति शत कर दें जिससे संयुक्त परिवार के सदस्यों के साथ इस अधिनियम के अन्तर्गत समन्याय्य व्यवहार हो सके। ये दर कम कर देने चाहियें जिससे कि सब मामलों में न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मुझे छूट की सीमाओं के बारे में बहुत निराशा हुई है। मेरे विचार में छूट की सीमा बहुत कम होनी चाहिये थी। विदेशों में, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैण्ड आदि में, ५०,००० रुपये मामूली रक़म समझी जाती है जब कि हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए यह रक़म काफ़ी बड़ी है। विदेशों की नक़ल करते हुए इतनी बड़ी रक़म को छूट दे देना उचित नहीं है। इंग्लैण्ड या अमरीका का करारोपण हमारे लिये आदर्श नहीं हो सकता।

विधेयक का उद्देश्य सम्पत्ति का और अधिक समन्याय्य वितरण बतलाया गया है। कदाचित, माननीय वित्त मंत्री आजकल फैली हुई सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते हैं। मेरे विचार में उच्च स्तर वालों के लिये दर बहुत ही अधिक होनी चाहिये थी। दाय सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा साधन है। यदि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलने वाली सम्पत्ति को आप समाप्त करना चाहते हैं तो दरें बहुत ऊंची होनी चाहिये। मेरे विचार में दाय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुणों के अनुसार काम मिलना चाहिये। दाय का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण इसलिये होता है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को बिना मेहनत करे ही सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। यदि समाज में समानता ही लानी थी तो यह सम्पदा शुल्क विधेयक अन्य ढंग से तैयार किया जाना चाहिय था। यदि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं

तो इस प्रकार प्राप्त किया गया धन देश के गरीबों पर खर्च किया जाना चाहिये । यदि इस का उद्देश्य वित्तीय लाभ करना है तो ऐसा कभी न हो सकेगा । मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि बड़ी बड़ी सम्पत्तियों पर अधिक से अधिक कर लगाया जाये ।

श्री अच्युतन (क्रेंगान्नूर) : पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने संशोधन द्वारा दाय भाग तथा मिताक्षरा प्रणालियों में अन्तर नहीं रखना चाहते । मैं इस का विरोध करता हूं क्योंकि सामान्यतः परिवारिक बन्धन तो बना ही रहता है । ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् ही माननीय वित्त मंत्री ने दाय भाग प्रणाली तथा अन्य गैर-मिताक्षरा प्रणाली वाले परिवारों के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा—७५,००० रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपये रखी है । पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने संशोधन द्वारा इस अन्तर को दूर करना चाहते हैं । मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं ।

क्या विश्व में कोई ऐसा भी देश है जहां दरों के सम्बन्ध में समानता हो ? प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों, अपनी नीतियों, अपने संविधान के अनुसार चलना होता है । मैं चाहता हूं कि नवजवान अपने हाथों से काम करें, अपने पैरों पर खड़े होना सीखें । यदि ऐसा करने में अविभक्त परिवार विभक्त भी हो जाये तो मैं इसका स्वागत करता हूं । मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द ने यह आवाज उठाई थी कि इस प्रकार पूंजी बाज़ार में न आ सकेगी । मैं पूछता हूं कि क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वे सरकार को अपनी सार सम्पत्ति सम्पदा शुल्क के रूप मे छड़े जायेंगे । अब तो वे अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध इस प्रकार से करेंगे जिससे सरकार को कम से कम सम्पदा शुल्क देना पड़े । हो सकता है पहले कुछ वर्षों में सम्पदा शुल्क के रूप में अधिक राशि प्राप्त हो जाये मगर बाद में ऐसा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि लोग सरकार के लिये सम्पत्ति छोड़ने की बजाय उसे अन्य प्रकार से ठिकाने लगाना अधिक अच्छा समझेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : पहले जब इस दर अनुसूचि को एक वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो सदस्यों ने उसका स्वागत किया था किन्तु पता नहीं कि अब वे इसे उस रूप में क्यों नहीं देखते । सदस्यों में इस सम्बन्ध में काफ़ी मत भेद है ।

खण्ड ३४ के सम्बन्ध में प्रवर कमेटी ने अपनी राय यह दी थी कि हिन्दू अविभक्त परिवार की सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति के बारे में छूट देने के मामले में अन्तर रहना चाहिये । यह अन्तर ठीक ठीक कितना हो यह तो अपनी अपनी राय पर निर्भर है । खण्ड ३४ के सम्बन्ध में चर्चा होते समय मैं ने सोचा था कि यह कहीं अच्छा होगा यदि एक विशेष अन्तर रख दिया जाये । परन्तु हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कुछ संशोधन करना आवश्यक है जैसा कि अब मैं ने अपने संशोधन द्वारा रखा है ।

यह भी बात उठाई गई थी कि खण्ड ३४ के दूसरे उप-खण्ड में दिया गया सूत्र किस प्रकार लागू होगा । माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में संशोधन संख्या १४४ रखा था । हमारे सूत्र तथा उनके सूत्र में यह अन्तर है कि उन का सूत्र इस आधार पर लागू नहीं होता कि कोई शुल्क देय भी है अथवा नहीं । हमारा सूत्र इस आधार पर लागू होता है कि शुल्क देय है । उनका

[श्री सी० डी० देशमुख]

सूत्र केवल छूट की सीमा बतलाता ह छूट की सीमा का उचित स्थान खण्ड ३४ में है न कि अनुसूची में। हो सकता है १,००,००० रुपये से कम वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ अन्तर हो। यदि कोई कठिनाई होती है तो उसे भविष्य में संशोधन द्वारा दूर किया जा सकता है। कुछ सदस्यों का कहना है कि यह संशोधन अभी कर दिये जायें जिससे दूसरा सदन उन पर विचार कर सके। मगर मैं इससे असहमत हूं। यदि आप को संशोधन करने ही हैं तो उचित समय आने पर कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि दरें आरम्भिक अवस्था में बहुत ऊंची हैं। परन्तु मेरे विचार में उन्होंने मेरी इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जब कि अन्य देशों में कर निर्धारण क्रम प्रणाली से होता है तो हम उसे स्तर प्रणाली से लगा रहे हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हम ने क्रियाकारी दरें रखी हैं, अर्थात्, छूट सीमा का अनुमान लगाते हुए किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि अन्य छूटों का भी ध्यान रखते हुए। मान लीजिये, किसी सम्पत्ति का मूल मूल्य तीन लाख रुपये है तो हमारी दर ७·०८ प्रतिशत है—इसी दर पर शुल्कदेय होगा। जब कि इंग्लैण्ड में १५ प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में ७·१ प्रतिशत, लंका में ८ प्रतिशत तथा पाकिस्तान में ८ प्रतिशत है। यदि दस लाख रुपये मूल मूल्य हो तो हमारी दर १७·१ प्रतिशत है जब कि आस्ट्रेलिया में १०·३ प्रतिशत, लंका में १० प्रतिशत तथा पाकिस्तान में १२ प्रतिशत है। अतएव जहां तक छोटी छोटी सम्पत्तियों का सम्बन्ध है हमारी दर काफ़ी उदार है। हम यहां पर एक छोटी समस्या को छोटे ढंग से वर्त्तमान परिस्थितियों में हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि मिश्रित आर्थिक व्यवस्था का सिद्धान्त धीरे धीरे हट जाता है तो शायद इस विधेयक की आवश्यकता ही न होगी। किन्तु ऐसा होने में पीढ़ियां गुज़र जायेंगी।

पंडित एस० सी० मिश्र : आपका यह कथन गलत है।

श्री सी० डी० देशमुख: छोटी सम्पत्तियों पर करारोपण की दरों के सम्बन्ध में हुई चर्चा मुख्यतः शास्त्रीय है। राजस्व अथवा कर समाहर्त्ता के नाते मेरी चिन्ता उन अधिकांश सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है जिन पर सम्पदा शुल्क लगाया जायगा। बड़ी अथवा महान सम्पत्तियों पर करारोपण की चाहे कोई भी दर क्यों न लगाई जाये अपवंचन के कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आयेंगे। व्यवहारिक रूप से यह पाया जायेगा कि नीची दरें लागू होंगी और इस प्रवृत्ति को देश की जो वर्तमान अवस्था है उससे और भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यहां कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। मान लीजिये कि कोई सम्पत्ति २० लाख रुपये की है। हमारी करारोपण दर होगी २०·०६ प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन में दर होगी ५० प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमरीका में दर होगी २५·२ प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में होगी २६·१ प्रतिशत, लंका में होगी १६ प्रतिशत और पाकिस्तान में होगी ३० प्रतिशत।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सम्पत्ति के लिये अधिकतम दर क्या होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने एक करोड़ रुपये तक की गणना की ह। यदि करारोपण के लिये मुझे कोई ऐसी सम्पत्ति मिली तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : देशी राजाओं की सम्पत्तियां हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : दान हो सकते हैं, प्रन्यास तथा व्यवस्थायें हो सकती हैं।

हमारी दर ३४·०१ प्रतिशत है; संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन में यह ७० प्रतिशत है, संयुक्त राज्य अमरीका में ४२·५ प्रतिशत है, आस्ट्रेलिया में २७·३ प्रतिशत है, लंका में ३० प्रतिशत है और पाकिस्तान में ३५ प्रतिशत है। मैंने दरों को अन्य देशों के अनुरूप ही रखने की चेष्टा की है।

इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि इस साधन के अन्तिम उद्देश्यों अर्थात् अपनी योजना के लिये धन प्राप्त करने तथा इस महत्वपूर्ण समाजार्थ शास्त्रीय विधान को संविधिपुस्तक में रखने के लिये हमें कितना प्रयत्न करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार का एक विधान सर्व प्रथम संविधि पुस्तक में रखा जा रहा है तो यह कहना ठीक है कि जब तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य न करने लगे तब तक हमें अपनी मांग को अत्यधिक न करके नम्र रखना ही उत्तम है जिस से कि अपवंचन को प्रोत्साहन न मिल सके। कदाचित यह तर्क माननीय सदस्यों को रुचिकर न हो। सरकार प्रशासनिक समस्याओं में उलझी हुई है। इस कारण अपनी मांग में कठोर होने से पूर्व हमें कर्मचारियों को एकत्रित करना है, उन को प्रशिक्षण देना है, और कार्यकरण के समय उठ खड़े होने वाले सैकड़ों कानूनी पेचों और उलझनों से उन को परिचित कराना है। और ऐसा करन का यही कारण है। समाज के किसी वर्ग के प्रति पक्षपात करने अथवा किसी के प्रति दयाभाव रखने जैसी कोई बात नहीं है।

परन्तु एक उद्देश्य ऐसा है जिस पर विचार करना आवश्यक है, और वह है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि हम से कहीं पूंजी निर्माण पर प्रतिबन्ध लगने की सम्भावना न हो। मेरे विचार से इन दरों से तथा इन छूट सीमाओं से ऐसा होने की सम्भावना नहीं है। अत्यधिक स्तर में प्रारम्भ करके फिर कमी कर देना वांछनीय नहीं है, हम से आक्षेप किया जा सकता है, अतः नम्र रहना ही अधिक उत्तम है। इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम अगले वर्ष ही इन दरों में वृद्धि करने की चेष्टा करेंगे—यदि ऐसी इच्छा होती तो हमने पृथक् वित्त विधेयक को छोड़ कर इन दरों को यहां शामिल न किया होता। मुझे आशा है कि कई वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के बाद ही हम इन दरों का प्रश्न पुनः उठा सकेंगे। संभव है कि तब हम इसके अधिक सन्तोषजनक प्रतिरूप प्रस्तुत कर सकेंगे। अतः अभी से यह सोचना कि आगे चल कर क्या होगा व्यर्थ है। मुझे यह विश्वास है कि यदि दरों में कोई प्रपाती अनुक्रम रखा गया तो अपवंचन और भी अधिक बड़े पैमाने पर होगा। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३६ में पंक्ति १४ के पश्चात यह जोड़ा जाये

"THE SECOND SCHEDULE

(*See* sections 5, 34 and 80)

Rates of Estate Duty

PART I

In the case of property which consists of an interest in the joint family property of a Hindu family governed by the Mitakshara, Marumakhattayam or Aliyasantana law —

		Rate of Duty
(1) On the first Rs.	50,000 of the principal value of the estate	Nil
(2) On the next Rs.	50,000 " " "	5 per cent.
(3) On the next Rs.	50,000 " " "	7½ "

[उपाध्यक्ष महोदय]

				Rate of Duty
(4) On the next	Rs.	50,000	of the principal value of the estate	10 Per cent.
(5) On the next	Rs.	1,00,000	,, ,, ,,	12½ ,,
(6) On the next	Rs.	2,00,000	,, ,,	15 ,,
(7) On the next	Rs.	5,00,000	,, ,, ,,	20 ,,
(8) On the next	Rs.	10,00,000	,, ,, ,,	25 ,,
(9) On the next	Rs.	10,00,000	,, ,, ,,	30 ,,
(10) On the next	Rs.	20,00,000	,, ,, ,,	35 ,,
(11) On the balance of the principal value of the estate				40 ,,

PART II

In the case of property of any other kind—

				Rate of Duty
(1) On the first	Rs.	1,00,000	of the principal value of the estate	Nil
(2) On the next	Rs.	50,000	,, ,, ,,	7½ per cent.
(3) On the next	Rs.	50,000	,, ,, ,,	10 ,,
(4) On the next	Rs.	1,00,000	,, ,, ,,	12½ ,,
(5) On the next	Rs.	2,00,000	,, ,, ,,	15 ,,
(6) On the next	Rs.	5,00,000	,, ,, ,,	20 ,,
(7) On the next	Rs.	10,00,000	,, ,, ,,	25 ,,
(8) On the next	Rs.	10,00,000	,, ,, ,,	30 ,,
(9) On the next	Rs.	20,00,000	,, ,, ,,	35 ,,
(10) On the balance of the principal value of the estate				40 ,,

PART III

In the case of shares held by a deceased member in any such company as is referred to in sub-section (1) of section 80—

	Rate of Duty
(1) If the principal value of the shares does not exceep Rs. 5,000	Nil
(2) If the principal value of the shares exceeds Rs. 5,000	7½ per cent.'

["द्वितीय अनुसूची]

(देखिये भाग ५, ३४ और ८०)

सम्पदा शुल्क की दरें

भाग १

मिताक्षरा, मरुमक्कट्टय्यम अथवा अलियासन्तान विधि द्वारा शासित हिन्दू परिवार की संयुक्त परिवार सम्पत्ति में स्वत्व रखने वाली सम्पत्ति के मामले में,—

				शुल्क की दर
(१)	सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम	५०,०००	रुपये पर	शून्य
(२)	,, ,, ,, ,, ,, अगले	५०,०००	रुपये पर	५ प्रतिशत
(३)	,, ,, ,, ,, ,, ,,	५०,०००	रुपये पर	७,१/२ प्रतिशत
(४)	,, ,, ,, ,, ,, ,,	५०,०००	रुपये पर	१० प्रतिशत
(५)	,, ,, ,, ,, ,, ,,	१,००,०००	रुपये पर	१२,१/२ प्रतिशत
(६)	,, ,, ,, ,, ,, ,,	२,००,०००	रुपये पर	१५ प्रतिशत

		शुल्क की दर
(७) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले	५,००,००० रुपये पर	२० प्रतिशत
(८) ,, ,, ,, ,, ,,	१०,००,००० रुपये पर	२५ प्रतिशत
(९) ,, ,, ,, ,, ,,	१०,००,००० रुपये पर	३० प्रतिशत
(१०) ,, ,, ,, ,, ,,	२०,००,००० रुपये पर	३५ प्रतिशत
(११) सम्पदा के मुख्य मूल्य के शेष भाग पर		४० प्रतिशत

भाग २

किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति के मामले में

		शुल्क की दर
(१) सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम	१,००,००० रुपये पर	शून्य
(२) ,, ,, ,, ,, अगले	५०,००० रुपये पर	७ १/२ प्रतिशत
(३) ,, ,, ,, ,, ,,	५०,००० रुपये पर	१० प्रतिशत
(४) ,, ,, ,, ,, ,,	१,००,००० रुपये पर	१२ प्रतिशत
(५) ,, ,, ,, ,, ,,	२,००,००० रुपये पर	१६ प्रतिशत
(६) ,, ,, ,, ,, ,,	५,००,००० रुपये पर	२० प्रतिशत
(७) ,, ,, ,, ,, ,,	१०,००,००० रुपये पर	२५ प्रतिशत
(८) ,, ,, ,, ,, ,,	१०,००,००० रुपये पर	३० प्रतिशत
(९) ,, ,, ,, ,, ,,	२०,००,००० रुपये पर	३५ प्रतिशत
(१०) सम्पदा के मुख्य मूल्य के शेष भाग पर		४० प्रतिशत

भाग ३

मृतक सदस्य द्वारा ऐसे किसी समवाय में जो धारा ४८० की उपधारा (१) में निर्दिष्ट है, धृत अंश के मामले में—

	शुल्क की दर
(१) यदि अंश का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक नहीं है	शून्य
(२) यदि अंश का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक है	७ १/२ प्रतिशत"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सभी संशोधन बाधित हो जाते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची को विधेयक का अंग बनाया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि खंड १ के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं मैं खंड एक अधिनियम सूत्र तथा विधेयक के नाम को एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :

[अध्यक्ष महोदय]

"कि खंड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा प्रस्ताव यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी० पी० सिन्हा ने तृतीय वाचन अगले सत्र तक स्थगित किये जाने की मांग की है मुझे दुख है कि यह एक विलम्बकारी प्रस्ताव है। मैं इसे विलम्बकारी प्रस्ताव होने के कारण अनियमित घोषित करता हूं। अब मैं कांग्रेस दल के दो सदस्यों तथा प्रत्येक दल के एक एक सदस्य को भाषण देने के लिए कहूंगा ।

श्री वी० पी० सिंह (मुंगेर सद व जमूई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह खयाल है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो आज हम लोग पास करने जा रहे हैं। इस का सिद्धान्त हम ने क़बूल कर लिया है। सरकार को पैसे की ज़रूरत है और पैसा मिलना चाहिये । इस में कोई दो मत नहीं हैं । मतभेद केवल इतना ही था कि इस बिल के पीछे भारतीय भावना का होना बहुत ही उपयुक्त था । परन्तु इस बिल में अभी भारतीय भावना का अभाव मालूम पड़ता है । साथ ही हमें अपने विधान को प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इस बिल में कुछ ऐसी धारायें पास हो गयी हैं जिन से कि विधान की पूरी पूरी रक्षा नहीं होती । यहां धारा ३३ के सम्बन्ध में हमारे उपाध्यक्ष महोदय को स्वयं सम्मति देने के लिये कहना पड़ा कि वे इस विषय को हाउस के ऊपर छोड़ते हैं । उन के अन्दर जो राजनीति का पांडित्य था उस से वह समझते थे कि वह विधान की धारा के अनुकूल नहीं है, इसलिये उन्हों ने इस को हाउस के ऊपर छोड़ दिया । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं था । हमारे सभापति महोदय को अपनी रूलिंग देनी चाहिये थी । फिर भी आज धारा २६९ और धारा १४ की बहुत अवहेलदा हुई है ।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसलिये मेरा यह प्रस्ताव था, सुझाव था कि यदि वित्त मंत्री इस बिल को इतनी जल्दबाज़ी में पास न करके तृतीय वाचन को स्थगित करते तो हम बहुत ठंडाई के साथ सोच सकते थे । आपने देखा होगा कि इस बिल के सम्बन्ध में हम सब सिद्धान्ततः एकमत हैं । लेकिन आज दूसरे लोगों ने बहुत तरह के सुझाव उन के सामने रखे हैं, जिन को वह क़बूल नहीं कर सके । हिन्दी में एक कहावत है, "जल्दी काम शैतान का" । तो वैसे तो आज यह बिल पास हो ही जायगा और आज ही तुरन्त इस का तृतीय वाचन पास करने को जा रहे हैं । लेकिन यह तुरन्त लागू नहीं होगा । लागू तो दो ही वर्ष में हो सकता है, चाहे वह कैलेंडर ईयर के प्रारम्भ में लागू हो, या वित्तीय वर्ष के आरम्भ से लागू हो । अगर इस को हम आगे के दूसरे सैशन में पास करते तो इन दोनों बातों में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इस में जो कोई उपेक्षा है या कमी है, उस को हम सोच सकते थे । इसलिये हमारा यह बहुत छोटा सा सुझाव था ।

दूसरी बात यह है कि इस में कृषि भूमि को ले लिया गया है जिस में मैं समझता हूं कि किसानों के साथ अन्याय किया गया है। किसानों के साथ ही नहीं, उनके साथ तो अन्याय हुआ ही है, बल्कि राज्य सरकार के साथ भी अन्याय किया गया है। ऐग्रीकल्चर प्रान्त का विषय है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस धारा को इस में लाने की कोई आवश्यकता थी। इस की एक ही आवश्यकता समझ पड़ती है। वह आवश्यकता यह प्रतीत होती है कि इस से ऐग्रीगेट आफ़ वेल्थ ज्यादा होगा, जिस से कि लोगों से ज्यादा कर ले सकेंगे। मैं कहता हूं कि जिस की ऐग्रीकल्चरल भूमि ज्यादा है और दूसरी सम्पत्ति कम है, उस पर इस बिल का बोझ पड़ने से उस की रीढ़ ही टूट जावेगी और आर्थिक लाभ तो बहुत दूर की बात हो जायगी। इसलिये हमारा बहुत ही आदरपूर्वक और नम्रतापूर्वक वित्त मन्त्री को यह सुझाव था कि इस में बहुत जगह पर संविधान की उपेक्षा हुई है। संविधान की प्रतिष्ठा हमें करनी चाहिये। संविधान हमारे लिये सब से ऊपर की चीज़ है। संविधान ऐसी चीज़ नहीं है कि जब चाहें उस की अवहेलना कर दें। इस लिये संविधान के प्रति जब लोगों के दिल में इज्जत नहीं रह जायगी, प्रतिष्ठा नहीं रह जायगी, तो मैं समझता हूं कि हमारी आर्थिक भावना को कहां तक उन्नति हो सकेगी।

साथ ही प्रान्तीय राज्यों का भी हक देखना चाहिये। जो प्रान्तीय विषय हैं उन में बिला वजह सैंटर को दखल देना उचित नहीं है। उन के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हमारी केन्द्रीय सरकार की नीति होनी चाहिये विकेन्द्रीकरण की। मैं बहुत ही अदब के साथ वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि भूमि कर को, ऐग्रीकल्चरल लैंड को इस बिल में ला कर उन्होंने राज्य के साथ कोई न्याय नहीं किया है और संविधान का सम्मान नहीं किया है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर भी वित्त मंत्री से बार बार निवेदन करूंगा कि इस का यह तृतीय वाचन इस सैशन में पूरा न करें, आगे पास करें, ताकि वह बहुत ही ठंडे दिल से इस पर विचार कर सकें। इस में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है जो वह स्थगित कर के कर सकते हैं। आज तो धारा पास कराने के लिहाज़ से जो सदस्य कांग्रेस की ओर से हैं, वे इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक इस में साथ दे रहे हैं। लेकिन उन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिये कि कौन धाराओं पर विचार होना चाहिये और कौन में परिवर्तन होना चाहिये। इसलिये हम समझते हैं कि यदि दूसरे सैशन में यह बात होती, यह पास होता, तो यह बिल सर्वांग सुन्दर होता और सब का हृदय से इस को समर्थन प्राप्त होता।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ–दक्षिण): प्रत्येक विधान का महत्व निर्धारित करने के लिये देश की तत्कालीन सामाजिक है और आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना पड़ता है और उस दृष्टि से इस प्रकार का विधान अत्यन्त वांछनीय था। यह कहना वस्तुस्थिति की अवहेलना करना है कि यह विधान परिपाटी के विरुद्ध है या जनता इसे नहीं चाहती। मेहनत करने वाले किसानों और मज़दूरों के मन में यह भावना है कि उन से अन्याय हो रहा है जब कि वह देखते हैं कि बिना किसी परिश्रम के कुछ गों के लोगों का संचित धन पीढ़ियों तक चलता रहता है। पूंजी का रोज़गार बढ़ाने वाले उद्योगों में विनियोजन पृथक् बात है और विना परिश्रम किए श्रमकों तथा किसानों के धन से मजे लूटना पृथक् बात है। पुलिसवाला यदि अपने मन में यह समझता रहेगा कि उस के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप की संपत्ति की रक्षा कैसे करेगा।

[पंडित के० सी० शर्मा]

आशा है, इस विधान के द्वारा एक नए प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म की ओर ध्यान देगा, परम्परा से आए हुए या दूसरों द्वारा अर्जित धन पर मजे न लूट सके । हमारे यहां संपन्न परिवारों में यह परम्परा सी चली आ रही है कि काम करना वे अपमान जनक समझते हैं । एक बार मैं ने एक न्यायाधीश की छोटी अंगुली का नाखून बहुत बड़ा देख कर उन से उस के बारे में पूछा तो पता चला कि वह दक्षिण का एक कुलीन ब्राह्मण है और उस के यहां शारीरिक काम करना कुल-परम्परा से वर्जित है । ऐसे व्यक्ति जनता के साथ क्या न्याय करेंगे, जो समाज के साथ अन्याय करते हैं । इस विधान के साथ इस सब का अन्त हो रहा है, और एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है । हमारे यहां यह परिपाटी है कि मरने के बाद मृतक को पिंड दान दिया जाता है, जिस से इहलोक की संपत्ति का कुछ अंश उसे वहां भी मिल जाए। पर मैं तो यह कहता हूं कि जो अपने पाप से कमाई हुई संपत्ति में से जनता को कुछ दिए बिना, जनता का ऋण बिना चुकाए मर जाता है उसे स्वर्ग में भी शान्ति न मिलेगी । ऐसा किए बिना उस का लौकिक ऋण हलका नहीं हो सकता । अतः अब उसे वह ऋण चुकाने के लिए और भी अधिक अवसर मिल गया है, और उसे परिपाटी-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।

सभापति महोदय : अभी ७–३० बज तक चर्चा चलेगी, और मैं कुछ सदस्यों से बोलने के लिए कहूंगा । कल सवेरे यह समाप्त होगा ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । द्वितीय वाचन के समय जनता द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधियों को इस विधेयक के विरुद्ध तथा जनविरोधी कुछ बातें कहते सुनकर मुझे बड़ा दुख और निराशा हुई ।

जनता बहुत दिनों से ऐसे विधान की मांग कर रही थी, पर पुरःस्थापित होने के बाद भी इस में देर हुई । फिर भी कुछ लोग इसे स्थगित करना चाहते थे, परन्तु शायद वे समय की गति से सर्वथा अनभिज्ञ हैं ।

आर्थिक असमानता का अन्त करने के लिए एक विधान पर्याप्त नहीं है, और हमें इस प्रकार के अनेक विधान बनाने पड़ेंगे । इसे घोर सुधारात्मक भी नहीं कहा जा सकता, पर यह उचित दिशा में उठाया गया एक पग है । यदि यह अपेक्षतया अधिक प्रगतिशील होता तो मुझे विशेष हर्ष होता, पर फिर भी निराशा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वर्ष में ७ महीने हम यहां सदन में बैठते हैं और इस विधान में यथावश्यक संशोधन कर के हम इसे क्रमशः घोर सुधारवादी बना देंगे । इन शब्दों में इस का समर्थन करते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री को इतने योग्यता, संयम और धैर्य के साथ इसे पारित कराने के लिए बधाई देता हूं ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : शीघ्र ही यह विधेयक संविधिमाला में ग्रंथित कर दिया जाएगा । क्रमशः श्री मोरे, श्री चटर्जी और श्री किलाचन्द के सत्याभासों, विदग्धताओं और शांत प्रहारों से भरी हुई इस रण नदी को पार कर लेने के लिए मैं श्री देशमुख जैसे केवट को बधाई देता हूं, और मुझे महाभारत के सम्बन्ध में कही गई एक पंक्ति याद आती है :

"सोत्तीर्णाः खलु बान्धवैः रणनदी कैवर्त्तकः सी० डी० डी ।"

जनसाधारण को दिये गए वचन को पूरा करने के लिए सरकार ने यह

विधेयक पुरःस्थापित किया था । यद्यपि इस जहाज का कुछ माल फेंक देना पड़ा है और आज यह किसी दल की वस्तु नहीं रह गया है, पर सुन्दर सुन्दरतर का शत्रु नहीं है । आज यह देश के सर्वप्रभुत्वसम्पन्न प्राधिकार द्वारा पारित हो रहा है । विरोधियों की आकांक्षाएं और परिश्रम पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए, पर जो कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उस का उन को उतना ही गर्व है, जितना हमें शेष अंश का । अस्तु हमें आशा है कि इस के प्रवर्त्तन में सरकार पूरा ध्यान रखेगी और किसी को अनुचित कष्ट न पहुंच पाएगा ।

तेज हवा भले न चल पाई हो, पर इस विधेयक रूपी पंखे ने कुछ हवा तो चला ही दी है, जैसा कि ज्ञानेश्वरी में भी कहा गया है कि "कां अफाटा समीरणा । आपैतेपण शहाणा । केले जैसे विजंणा । निर्मूनिया"

जैसा लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं धनिकों की मृत्यु नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि वे खूब जिएं और खूब आयकर दें और मरकर सरकार और अपनी सन्तान के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएं ।

इस समय मुझे प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार श्री एन० सी० केलकर की एक कविता याद आ रही है, जिस का भाव यह है कि "जन्म के समय से लेकर आज तक मुझे पंच तत्वों द्वारा जो समृद्धि प्राप्त हुई है मेरा कर्त्तव्य है कि प्राण त्याग करते समय मैं उस ऋण से मुक्त हो जाऊं ।"

जन्म लेने के बाद मनुष्य को अनेक वस्तुएं उत्तराधिकार में मिलती हैं । भाषा, सामाजिक संगठन और धन कमाने, समृद्धि जोड़ने और प्रतिष्ठा और कीर्ति खड़ी करने के अवसर उसे प्राप्त होते हैं । वैध दायिता के अतिरिक्त उस का नैतिक और आध्यात्मिक कर्त्तव्य भी है कि वह अपनी लौकिक संपत्ति में से समाज के लिए कुछ अवश्य छोड़ जाए हम सभी अपने पददलित भाइयों को समान अवसर प्रदान करना चाहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को मरने के बाद उन के लिए कुछ भेंट अवश्य छोड़ जानी चाहिए ।

पंडित एस० सी० मिश्र : यह विधेयक, जिसे इतने उत्साह के साथ सदन में पुरः स्थापित किया गया था, अब सदन में इतने निरुत्साह के साथ पारित होने जा रहा है । यद्यपि क्रूर बहुमत के कारण वित्त मंत्री न इसे जैसे चाहा मनवा लिया है, परन्तु अभी पांच ही मिनट पहले अनुसूची पर मत लेते समय लोग पक्ष या विपक्ष में मत देने में बिलकुल निरुत्साहित दिखाई दिए थे । उपाध्यक्ष महोदय को भी इस पर आश्चर्य हुआ था और बहुत कुछ उन के प्रयत्नों के फलस्वरूप भी यह विधेयक वित्त मंत्री द्वारा चाहे गए रूप में पारित हो सका है ।

सदन में तीन सप्ताह से इस विधेयक पर विचार हो रहा है और माननीय वित्त मंत्री ने जबर्दस्ती से उसे पारित करा लिया है, परन्तु सदन में कांग्रेस सदस्यों तक में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है । जनता की मनोभावनाओं का प्रभाव यहां सदन के भीतर भी पड़ता है और इतना स्पष्ट हो गया है कि इस से देश को विशेष संतोष न होगा और न सदस्यगण ही अपने निर्वाचन-मंडल में जाकर इस के लिए कुछ श्रेय प्राप्त कर सकेंगे । सैद्धान्तिक रूप से भले ही इसे निर्धनों की विजय कहा जाए, पर दुर्भाग्य से इस सदन में संपत्ति वाले वर्ग के अनेक प्रवक्ता हैं । सैद्धान्तिक रूप से भले ही इसे विजय कहा जाए, पर व्यवहारतः यह बेरोजगार और दरिद्र लोगों की पराजय ही है । फिर भी हम निर्धन वामपक्षियों को नाममात्र के लिए वित्त मंत्री ने जो कुछ दिया है, उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने रक्खा गया है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो इस बिल को लाने की कृपा की है उस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं। इस के साथ साथ हमें यह देखना चाहिये कि यह बिल जिस वक्त पहले पहल हाउस के सामने आया वह १९४६ में पेश किया गया, क्या क्या कारण थे जिन के कारण यह बिल उस वक्त पास न हो सका। उस के बाद जब कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली बैठी तब फिर यह बिल सदन के सामने लाया गया, लेकिन बहुत से कारणों से यह बिल फिर वापस चला गया। और अब इतने सालों के बाद यह बिल इस सदन के सामने आया है। अगर हम इस को कुछ पहले ही पास कर दिये होते तो आज हमारे देश की और हमारे देश की जनता की हालत कुछ अच्छी होती और हमारे बहुत से दोस्तों के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया है उस का काफी हिस्सा आप के पास आ गया होता और उस से आप बहुत से कार्य कर सकते थे।

इस बिल का उद्देश्य यह है कि जो भी अधिक पैसा हमारे बड़े बड़े लोगों के पास है उस को लेकर हम देश के कामों में लगा सकें। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था कि जिस से हम अपने देश के बड़े लोगों से पैसा लेकर देशहित के कार्यों में लगा सकते। हमारे इस सदन के उन माननीय सदस्यों को जिन के पास काफी पैसा है बहुत बुरा मालूम होता होगा लेकिन उन को यह सोचना चाहिए कि यह कार्य जो किया जा रहा है यह जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। इस कार्य को जनता की चुनी हुई पापुलर सरकार कर रही है और जनता की भलाई के लिए कर रही है। जो भी यह पैसा आवेगा यह जनता के हित के लिए खर्च किया जायगा।

इस के अतिरिक्त हम इस बिल के ज़रिये से उस खाई को भी बहुत कम करने में सफल होंगे जो कि हमारे देश के धनी वर्ग और दूसरे लोगों के बीच में पड़ गयी है और इस से देश का बहुत कुछ लाभ होगा।

इसी के साथ साथ मैं अपने उन मित्रों से जिन को कि शिड्यूल (अनुसूची) पर आपत्ति है यह कहना चाहता हूं कि जो शिड्यूल बना है अभी उस के अनुसार कार्य होने दीजिये और देखिये कि इस को कितनी सफलता मिलती है। यदि उन को अभी इस को बदलने का मौका नहीं मिला है तो इस के कार्य रूप में परिणत होने दीजिए फिर साल दो साल बाद उन को मौका मिलेगा कि वह उस को बदल सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इस बिल को हाउस के सामने रखा।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): पिछले वक्ता ने इस शुल्क द्वारा संचित होने वाले धन के उपयोग के विषय में कुछ कहा है मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस धन को सामुदायिक या विकास परियोजनाओं में बरबाद न किया जाए। पिछले कई वर्षों में हम ने देखा है कि हमारे पास पहले तो धन ह ही नहीं और जो है भी उसका भी ५०-६० प्रतिशत तो बरबाद हो जाता है और शष केवल ३०-४० प्रतिशत ही उपयोगी कामों में लग पाता है आशा है इस धन को सम्बन्धित पदाधिकारियों की जेबों या परनालों में न गिरने दिया जाएगा। यद्यपि दरें कम हैं, पर फिर भी सभी लोग इस विधान के कारण प्रसन्न हैं। आशा है, भविष्य में सरकार इस धन को बरबाद न होने देगी। फिर भी इस छोटे से विधान को भी

सफलतापूर्वक पारित कराने के लिए मैं वित्तीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का जो कि पारित किया जा रहा है हृदय से समर्थन करता हूं । इस प्रकार की विधि हमारे देश के लिये सर्वथा नवीन है । सदन के बाहर जनता ने तथा सभी दलों ने इस विधेयक का सत्कार किया है परन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन को इस के रूप से असन्तोष हो । इस सम्बन्ध में मुझे श्री राघवाचार्य का कथन याद है कि मिताक्षरा द्वारा नियमित सम्पत्तियां अभागी हैं । जहां तक सम्पत्ति शुल्क-विधेयक का प्रश्न है मैं तो यह कहूंगा कि सभी अभागे हैं । इस विधि के पारित हो जाने के पश्चात् हमें, अपने अनुभव से लाभ उठा कर, कम से कम हिन्दुओं के लिये, थोड़े ही समय में, सदन के सामने, एक समान विधि उपस्थित करना चाहिये ताकि हम परस्पर एक दूसरे का न तो विरोध किया करें और न एक दूसरे को बुरा समझा करें । हमारा संविधान सिफ़ारिश करता है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में समानता उत्पन्न करें । हमें चाहिये कि जो विभेद है उन को पुनः पुनः कम करते जायं ताकि सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य क्षेत्रों में हम एक ही विधि प्रयोग कर सकें ।

श्रीमान्, यह विधेयक हमारे देश में साम्यवाद स्थापित करने का अहिंसात्मक उपाय है तथा मैं इसलिये भी इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय : सदन कल सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात सदन की बैठक मंगलवार १५ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

IPD—HS—421 PSD—8 2 54—285